C O N T E N T S

Fifteenth Series, Vol. XVIII, Eighth Session, 2011/1933 (Saka)
No. 18, Friday, August 26, 2011/Bhadra 4, 1933 (Saka)

S U B J E C T	**P A G E S**
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 341 to 346	3-43
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 347 to 360	44-89
Unstarred Question Nos. 3911 to 4140	90-527

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 528-530

MESSAGE FROM RAJYA SABHA AND BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA 531

STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY

Statements 532-533

STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT

(i) 21st and 22nd Reports 533

(ii) Statements 534-535

DISCUSSION UNDER RULE 193

(i) Steps taken by Government of India for relief and resettlement of Tamils in Sri Lanka

Shri S.M. Krishna 545-561

(ii) Jan Lokpal Bill

Shri Pawan Kumar Bansal 579-580

MATTERS UNDER RULE 377 562-578

(i) Need to accord approval to the proposal of State Governemnt of Kerala for sanction of funds for construction and repair of roads in the State

Shri P. C. Chacko 562

(ii) Need to construct dwelling units for those people who have lost their houses due to flood and incidents of fire in Bahraich Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

Shri Kamal Kishor 'Commando' 563

(iii) Need to restore examination system in CBSE schools and to do away with automatic promotion system

Shri Anto Antony 564

(iv) Need to stop the smuggling of fireworks and put a ban on its sale in the country to protect the interests of indigenous fireworks industries particularly that of Sivakasi

Shri Manicka Tagore 565

(v) Need to provide safe drinking water in the country

Shri Bhakta Charan Das 566

(vi) Need to make river Sariswa passing through East Champaran District, in Bihar, pollution free

Dr. Sanjay Jaiswal 567

(vii) Need to fix quota of admission in Kendriya Vidyalayas for children with deceased father and children of State Government employees

Shrimati Jyoti Dhurve 568

(viii) Need to include Dumka, Godda, Deoghar, Jamtara, Pakur and Sahibganj districts of Jharkhand under Integrated Action Plan for naxal hit districts

Shri Nishikant Dubey 569

(ix) Need to deploy 'Fire Watcher' and 'Guards' for safety of forests and crops in Himachal Pradesh under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme

Shri Virender Kashyap 570

(x) Need to construct a rail overbridge at level crossing in Matakutta, district Chandauli, Uttar Pradesh

Shri Ramkishun 571

(xi) Need to set up a 'Handicraft Museum' at Moradabad in Uttar Pradesh showcasing the artefacts made by artisans of the city

Dr. Shafiqur Rahman Barq 572-573

(xii) Need to augment passenger facilities at Nalanda Railway Station in Bihar

Shri Kaushalendra Kumar 574

(xiii) Need to set up a rubber Research Institute in Kanyakumari, Tamil Nadu

Shrimati J. Helen Davidson 575

(xiv) Need to release funds to provide educational facilities to people in Yavatmal-Washim Parliamentary Constituency in Maharashtra

Shrimati Bhavana Patil Gawali 576

(xv) Need to formulate a comprehensive scheme for development of naxal-affected States in the country

Shri Kameshwar Baitha 577

(xvi) Need to run Kalingautkal Express (Train Nos. 18477 and 18478) from Cuttack to Chakradharpur via Keonjhar-Banspani-Padapahar-Chaibasa

Shri Madhu Koda 578

MOTION RE: 20th REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS 581

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

(i) Special status to the State of Bihar 582-621

Shrimati Putul Kumari 582-586

Shri Hukumdeo Narayan Yadav 587-592

Shri Kaushalendra Kumar 592-593

Shri Sanjay Nirupam 594-598

Dr. Monazir Hassan 599-601

Shri Arjun Ram Meghwal 602-604

Shri Uma Shankar Singh	605-606
Shri S. Semmalai	607-609
Shri Maheshwar Hazari	610-611
Shri Rajendra Agarwal	612
Shri Jagdambika Pal	613-614
Shri Ashwani Kumar	616-618,621
Dr. Bhola Singh	619-621
Resolution – withdrawn	621

(ii) Special economic development package for desert regions of the country

Shri Harish Chaudhary	622-629

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	649
Member-wise Index to Unstarred Questions	650-655

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	656
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	657-658

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Dr. Girija Vyas

Shri Satpal Maharaj

SECRETARY GENERAL

Shri T.K. Viswanathan

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, August 26, 2011/Bhadra 4, 1933 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Question Hour.

Question No. 341. Shri Navjot Singh Sidhu.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : यह बहुत गलत बात है। सदन में इस तरह पोस्टर दिखाना गलत है।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : इस तरह सदन में नहीं दिखाते हैं। आप क्यों खड़े हो गए हैं, आप बैठ जाएं।

…(व्यवधान)

डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क (सम्भल): अध्यक्ष महोदया, आज नमाज़ का दिन है। मुसलमानों के त्यौहार का दिन है, आज छुट्टी होनी चाहिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : उस तरफ से लोग पहले से खड़े हैं और अब आप खड़े हो गए हैं। आप सभी बैठ जाएं।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record. Absolutely nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

अध्यक्ष महोदया : आप लोग क्या कर रहे हैं? आप प्रश्नकाल किसी दिन तो चलने दीजिए। आप बैठ जाएं।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Question No. 341. Shri Navjot Singh Sidhu – not present;
Dr. Jyoti Mirdha – not present.
Shri Ramkishun.

… (*Interruptions*)

* Not recorded

(Q. No. 341)

श्री रामकिशुन : अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु एजुकेशन लोन देने का प्रावधान किया गया है। शिक्षा के दौरान छात्रों से ब्याज नहीं लेने की बात सरकार ने कही थी। ऐसा पता चला है कि बैंक शिक्षा के दौरान भी छात्रों से ब्याज सहित ऋण लेने का काम कर रहे हैं।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि शिक्षा ऋण में ब्याज की छूट की सीमा क्या है? छात्रों को शिक्षा के समय जो ऋण दिया जाता है, उस दौरान क्या ऋण में छूट देने का काम सरकार कर रही है?

श्री नमो नारायन मीणा : महोदया, भारत सरकार द्वारा छात्रों को शिक्षा के लिए ऋण देने की स्कीम चल रही है और लगभग 41 हजार करोड़ रुपए विभिन्न बैंकों द्वारा दिए गए हैं। माननीय सदस्य छात्रों को मोरेटोरियम पीरियड के दौरान ब्याज में छूट देने की बात कह रहे हैं, यह एचआरडी मिनिस्टरी की स्कीम है, जिसके तहत जो छात्र टेक्नीकल एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, उन छात्रों को मोरेटोरियम पीरियड में ब्याज लगता है, वह एचआरडी मिनिस्टरी से उन्हें दिया जाएगा। जिन छात्रों के अभिभावकों की साढ़े चार लाख से कम इनकम है, उनके लिए यह देय है। यह दिया जा रहा है और उस अवधि में उनको एप्लाई करना चाहिए ताकि एप्लाई करने से उनको उसमें छूट मिल सके।

अध्यक्ष महोदया : इतनी जोर से मत बोलिए। अब आपका प्रश्न हो गया।

श्री सुरेश काशीनाथ तवारे : अध्यक्ष महोदया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अन्य सरकारी बैंकों द्वारा नियुक्त अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों में से जांच के बाद अभी तक कितने अधिकारियों के वि[illegible]कार्रवाई की गई है?

श्री नमो नारायन मीणा: मैडम, बैंक के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें आती रहती हैं और उसके लिए मैकेनिज्म है। हमने अपने उत्तर में भी बताया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ इंक्यावरी की जाती है। पिछले 4 साल का मेरे पास डेटा है और इन शिकायतों में लगभग 1322 लोगों को सस्पेंड किया गया है, 991 लोगों को डिसमिस किया गया है और 453 लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केसेज दर्ज कराये गये हैं। इसमें सारे बैंक के हैं।

(Q. No. 342)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अध्यक्ष महोदया, आप जानते हैं कि लोकपाल के बारे में कितनी अधिक चर्चा हो रही है। वर्तमान में तीन लोकपाल काम कर रहे हैं- बैंकिंग लोकपाल, बीमा के क्षेत्र में लोकपाल और आयकर के क्षेत्र में लोकपाल। इन तीनों लोकपाल के बारे में माननीय मंत्री जी ने जो रिप्लाई दिया है, उसमें मैं बताना चाहता हूं कि जो बैंकिंग लोकपाल है, उसके बारे में शिकायतें 70000 से 80000 के बीच में आती हैं। बीमा के क्षेत्र में जो लोकपाल है, उसमें 2000 से 3000 के बीच में शिकायतें आती हैं और जो आयकर का लोकपाल है, उसमें 1500-2000 शिकायतें आती हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आरबीआई के 18 दफ्तर हैं लेकिन लोकपाल तो अभी 15 ही काम कर रहे हैं। इसी तरह से बीमा के क्षेत्र में 12 लोकपाल ही हैं और आयकर के क्षेत्र में 12 लोकपाल काम कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अभी एटीएम के माध्यम से जो ट्रांजेक्शन होता है और सबको पता है तथा सभी माननीय सदस्य भी एटीएम का यूज करते हैं। एटीएम में क्या सिस्टम हो रहा है कि ज्यादातर शिकायत यह आती है कि आपने एटीएम कार्ड डाला और आपका पैसा निकला ही नहीं और आपके खाते में डेबिट हो गया। जब लोकपाल से बात करते हैं तो बताया जाता है कि अभी तो यह ट्रांजेक्शन जो एटीएम के माध्यम से होता है कि उसमें पैसा निकला ही नहीं है और खाते में डेबिट हो जाता है, इसका हम कोई टैक्नीकल हल नहीं ढूंढ़ सकते क्योंकि जो सॉफ्टवेयर जे.पी.लॉग इन्होंने डेवलप किया है और उसके माध्यम से जो स्विच रिपोर्ट आती है, वह खाली रिकॉर्डिंग के रूप में आती है। पैसा उसका डेबिट हो जाता है और वह व्यक्ति बैंक में जाता है, लोकपाल के पास जाता है, फिर भी उसको दो महीने, तीन महीने तक पता नहीं चलता।...(व्यवधान) इसलिए मेरा प्रश्न यह है कि जो एटीएम के माध्यम से ट्रांजेक्शन होता है, क्या लोकपाल उसका कोई तोड़ निकालने का प्रयास करेगा?

श्री नमो नारायन मीणा: अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि बहुत सारी शिकायतें आती हैं, ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Let us have order in the House.

… (*Interruptions*)

श्री नमो नारायन मीणा: जो आरबीआई के डाइरेक्शंस हैं, That money has to be refunded for faculty transactions within one week. होता क्या है कि एटीएम सारे देश में लगभग 80,000 के आसपास हैं और किसी प्रकार का उनमें फॉल्ट हो जाता है तो जिस कंपनी ने एटीएम लगाये हैं, उन कंपनी के लोगों को बुलाया जाता है, फिर कोशिश की जाती है कि किस प्रकार से कहां कहां गड़बड़ी हुई है

ताकि जो एक्यूज्ड हैं, जिन्होंने किसी में गड़बड़ी की है, उनको पकड़ा जाए। अगर खुद आदमी ने निकाला नहीं है और डेबिट हो जाता है तो इस तरह के केसिस को ओमबुड्समैन भी देख रहा है और इसके अलावा हर एक बैंक में मेकेनिज्म है, विजिलेंस अफसर हैं, सीएमडी की मानिटरिंग होती है, बैंक के रीजनल अफसर देखते हैं, ब्रांच के मैनेजर देखते हैं, इस तरह से काफी कुछ किया जाता है और लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया जाता है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अध्यक्ष महोदया, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। मेरा प्रश्न है कि पैसा नहीं निकलता है फिर भी डेबिट हो जाता है, क्या इसका कोई इलाज लोकपाल के पास नहीं है? क्या सरकारी मशीनरी के पास कोई इलाज नहीं है? जेपी लॉग, स्विच रिपोर्ट साफ्टवेयर है लेकिन कोई टेक्नीकल तोड़ नहीं है? इसका जवाब नहीं आया है।

मैं आपके माध्यम से दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं। बैंकिंग लोकपाल में लंबी लिस्ट है कि कौन सी कम्पलेंट बैंक लोकपाल डील करेगा। 2006 में बैंकिंग लोकपाल, बीमा लोकपाल और आयकर लोकपाल आया। मैं पूछना चाहता हूं कि बैंक लोन और एडवांस कोई आदमी लेता है तो उसे लोकपाल के दायरे में क्यों नहीं रखा गया है? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : शांत रहिए।

...(व्यवधान)

श्री नमो नारायन मीणा: अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि ओमबुड्समैन के पास इस प्रकार की शिकायत जाती है कि लोन डिले किया या नहीं दिया गया तो इस चीज को कवर करते हैं और बैंक को नोटिस निकालते हैं। ...(व्यवधान) इस चीज का समाधान किया जाता है।

MADAM SPEAKER: These interruptions will not go on record. Nothing will go on record except the hon. Minister's reply.

(Interruptions) ...[*]

श्री नमो नारायन मीणा: इस तरह का मेकेनिज्म है, न केवल इसके लिए बल्कि सारा मेकेनिज्म है, Ombudsman is an alternate grievance redressal mechanism. और बहुत सी मेकेनिज्म रिड्रेसल ग्रिएवेंसिस की हैं, This is one of them. यह एक तरह से अल्टरनेट व्यवस्था बैंकिंग विभाग ने की है, आरबीआई का खुद का विजिलेंस है, बैंकों के खुद के विजिलेंस है, रीजनल अफसरों की जिम्मेदारी है और सारे मामलों को देखकर ग्राहकों का हित हमेशा ध्यान में रखा जाता है।

[*] Not recorded

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): I would request the hon. Member to confine his questions to the Ombudsman. Ombudsman is an institutional mechanism for the grievance redressal mechanism. The entire credit policy, the branch expansion policy address the problems caused sometimes by fraudulent operation of ATM. He has referred to many other areas. That is not within the scope of this Question. Many mechanisms are there in operations starting from Reserve Bank's permission, audit, etc. A series of operations are there. Ombudsman is one of such mechanisms. Therefore, the question must be related to Ombudsman mechanism where the credit is lacking. When the complaint comes, the Ombudsman sends it to the authorities concerned within the limited power which has been stated in the Statement which has been laid in response to the Question. But if he has any specific questions or suggestions in respect of improving the mechanism of Ombudsman, we will be too glad to receive these suggestions from the hon. Member.

MADAM SPEAKER: Dr. Sanjay Singh – not present
Shri Prataprao Ganpatrao Jadhao – not present
Shri Shailendra Kumar - not present.
Shri S.S. Ramasubbu.

SHRI S.S. RAMASUBBU : Madam, the Ombudsman System was formulated by the Reserve Bank of India for the redressal of grievances of the customers in three sectors: Banking, Income-tax and the Insurance. It was introduced for the redressal of grievances of the customers. In the Banking Sector, the customers are paying the amount through Cheque or Demand Draft.

Now a days, computerization has been introduced in the banking sector. The RTGS system is introduced for making payment. Businessmen and others pay through this system. When the computer fails, in such a circumstance, customers incur loss or put to inconvenience. Does the failure of RTGS system come under the ambit of Ombudsman? I would like to know the reply of the hon. Minister on this.

SHRI NAMO NARAIN MEENA: As hon. Finance Minister has already stated, this is an alternate grievance redressal mechanism. There are other mechanisms also in place. Whenever such things happen, the Real Time Gross Settlements are there. Sometimes this type of problem takes place but we are getting over this problem and customers are given their due.

(Q. No. 343)

SHRI S. PAKKIRAPPA : Hon. Madam Speaker, I would like to know from the hon. Minister the following: Is it a fact that the Union Government took four years to approve the Integrated Child Protection Scheme, the first ever Centrally-sponsored Scheme for protection of children trapped in difficult situations? Is it also a fact that several States/UTs are yet to initiate the process of rolling the scheme and are yet to sign MoUs with the Centre? If yes, would the hon. Minister provide details of these States and the main reasons for such reluctance? What steps are taken or being taken by the Union Government to pressurize these States to initiate this Scheme at the earliest?

श्रीमती कृष्णा तीरथ : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया था कि जो स्ट्रीट चिल्ड्रन तथा दूसरे बच्चे हैं, उनके बारे में वर्ष 2007 में एक सर्वे कराया गया था, जिसमें 12447 बच्चों का इंटरव्यू किया गया था, जिसमें इनकी अलग-अलग परसैन्टेज आई। लेकिन मैं बताना चाहती हूं और जो मैम्बर की जानने की मंशा है कि जो ऑर्फन, एबेन्डंड और सरेन्डर्ड बच्चे हैं, उन बच्चों की देखभाल के लिए क्या काम किया जा रहा है? सरकार ने अभी आईसीपीएस, इंटिग्रेटिड चाइल्ड प्रोटैक्शन स्कीम शुरू की है, जिसमें इस तरह के बच्चों को हर तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। केवल जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने एमओयू साइन किये हैं। जम्मू-कश्मीर राज्य का अपना अलग एक्ट है। परंतु बाकी जिन राज्यों ने एमओयू साइन किये हैं, उन राज्यों से लगातार इसके लिए बातचीत की जा रही है।

महोदया, इंटिग्रेटिड चाइल्ड प्रोटैक्शन स्कीम के बारे में मैं बताना चाहती हूं कि इसमें तीन स्कीम्स को जोड़ा गया है - जुवेनाइल जस्टिस, स्ट्रीट चिल्ड्रन प्रोग्राम और शिशु गृह, लेकिन उसके बाद इस आईसीपीएस का क्या फायदा हुआ है, मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, एबेन्डंड हैं, सरेन्डर्ड हैं या ऑर्फन हैं, उन बच्चों को आईसीपीएस स्कीम में लाने से यह फायदा हुआ, आपको पता होगा कि अब देश में चाइल्ड प्रोटैक्शन को उचित महत्व दिया जा रहा है, जो पहले नहीं दिया जाता था। वर्ष 2009-2010 में जो आईसीपीएस चलाई गई है, उसमें राज्यों को बच्चों के लिए अच्छे होम्स, सड़क पर रहने वाले बच्चे, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, उन्हें असिस्टैन्स दी जा रही है। इसके अलावा स्पांसरशिप फोस्टर केयर तथा यदि कोई बच्चा फैमिली में लगातार पेरेन्ट्स की वजह से परेशान है या उसका फादर बहुत ड्रिंक

करता है और बच्चा वहां नहीं रह सकता है तो उनके लिए भी ऐसे ओपन शैल्टर होम्स बनाये जा रहे हैं। जिनका फायदा आम बच्चों को हुआ है।

SHRI S. PAKKIRAPPA : Madam Speaker, I would like to mention that the Government of Karnataka has submitted a proposal for sanction for the setting up of a District ICDS Cell in the newly created Yadgir District of Karnataka in November, 2010. This Yadgir District is coming under my Parliamentary Constituency, Raichur of Karnataka. This proposal is still pending in the Ministry. This is one of the most important proposals pertaining to my Parliamentary Constituency and it needs immediate clearance. Keeping this in view, I would like to know from the Minister whether the Union Government has considered the proposal of the Government of Karnataka. If so, what are the main reasons for delay in clearing this proposal and by what time the same is likely to be cleared?

श्रीमती कृष्णा तीरथ : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि माननीय सदस्य ने आईसीडीएस की बात कही है। यह आईसीपीएस है। आईसीडीएस से इस प्रश्न का कोई संबंध नहीं है।

SHRI NAVEEN JINDAL : Madam, in different Acts, the age of the child is defined differently. I would like to know from the hon. Minister whether there is any proposal to define the age of a child so that there may be uniformity in all the Acts with regard to the definition of children.

Secondly, I would also like to know the total number of persons apprehended for trafficking of children in the last three years and the total number of children rescued from them.

श्रीमती कृष्णा तीरथ : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि माननीय सदस्य ने कहा कि बच्चों की उम्र 18 साल तक की है, जीरो से 18 साल तक के बच्चों की बात है। इन्होंने पूछा है कि 18 साल तक के जो बच्चे इसमें आते हैं और तीन साल में कितने बच्चे इसमें आए हैं? पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा जो ब्यौरा दिया गया है वह पूरा नहीं आया है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से इसकी जानकारी लेकर इस प्रश्न का उत्तर इनको लिखित में भेज दूंगी।

DR. RATNA DE : Madam, child abuse has now become more important these days. We hear of violation of child rights everyday. We keep hearing of violation

of child rights in various forms, be it in the reality shows, be it in the hotel business, be it in day-to-day life. They are abused everywhere. I would like to know from the hon. Minister as to whether any firm measures are being taken to prevent violation of child rights.

श्रीमती कृष्णा तीरथ : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने कहा है कि बच्चों के साथ हिंसा और बहुत तरह के एब्यूज़ हाते हैं जैसे - सोशल एब्यूज़, फिज़िकल एब्यूज़, सैक्शुअल एब्यूज़ और इमोशनल एब्यूज़ आदि। इस तरह के एब्यूज़ से पीड़ित बच्चे इंटिग्रेटिड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम्स के जो होम्स हैं, उनके अंतर्गत लाए जाते हैं। बच्चों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए हमने आईसीपीएस योजना लागू की है। जैसा मैंने पहले बताया इसमें राज्यों को बच्चों के लिए डैडिकेटिड डिलीवरी स्ट्रक्चर स्थापना करने के लिए कहा जा रहा है और इसमें राज्य सरकारों से लगातार फॉलो-अप कर रहे हैं। जहां तक बच्चों के विरूद्ध बढ़ रहे यौन अपराधों का संबंध है, अभी तक मुख्यतः आईसीपीसी में इस बारे में प्रावधान था। लेकिन अब इसको विस्तृत कानून का मसौदा बनाया गया है जो कि राज्य सभा में पेश किया जा चुका है। Protection of Children from Sexual Offence Bill में बच्चों के विरूद्ध होने वाले विभिन्न यौन अपराधों को परिभाषित किया गया है। खास तौर पर जब ऐसा अपराध बच्चों के रिश्तेदार, अभिभावक, स्कूल के टीचर एवं होम सुप्रीटेंडेंट आदि करें या उन कर्मचारियों द्वारा किया जाए जिन पर बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी थी, उनके लिए आईसीपीएस में कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया है।

(Q. No. 344)

SHRI AMARNATH PRADHAN : Madam, I would like to know the doctor-patient ratio in our country and in other parts of the world. Do the doctors give enough time to look into the ailments of patients? What steps the Government has taken to increase the number of doctors in the country?

SHRI GHULAM NABI AZAD: Madam, the WHO Report 2011 has shown its concern that world-wide the doctors are giving less than 60 seconds per patient to understand the ailments of the patients and to prescribe the medicine, which is too less. It is in this context, I think, the hon. Member has asked this question. This is directly connected with the doctor and population ratio across the world as well as in India.

I must admit that in our country, there is a huge shortage of doctors, whereas elsewhere in the world, particularly in developing countries, the shortage is not to that extent. I do not have the figures of the entire world, but I have some figures of countries like Egypt where the doctor-population ratio is one doctor for 353 patients; France, one doctor for 286 patients; in Germany, this ratio is 1:283, whereas in India it is quite huge, it is 1:1,667. In Indonesia, it is much worse, it is 1:3,449; in Iraq, it is 1:1,449; in Pakistan, it is 1:1,235, much lower than ours; in Sri Lanka, it is 1:2,041; in the United Kingdom, it is 1:365 and in the USA, it is 1:375.

Madam, the hon. Member has asked about the doctor-population ratio in our country. In so far as the southern part of our country is concerned, it is well-off. The shortage of the doctors comparatively is far less than the rest of the country. That is why in Jharkhand, it is one doctor for 16,000 patients; in Chhatisgarh, it is one doctor for 10,000 patients; in Bihar it is one doctor for 4,761 patients; in Uttar Pradesh, it is one doctor for 3,125 patients; in Madhya Pradesh, it is one doctor for 2,439 patients.

Madam, now I would like to touch upon some of the southern States. In Karnataka, it is one doctor for 666 patients; in Kerala, it is one doctor for 877 patients; in Maharashtra, it is one doctor for 740 patients; and in Tamil Nadu, it is one doctor for 769 patients… (*Interruptions*)

SHRI ADHIR CHOWDHURY : What about West Bengal?

SHRI GHULAM NABI AZAD: In West Bengal, it is one doctor for 1,408 patients. In Bihar, there is one doctor for 4,761 population.… (*Interruptions*) In Andhra Pradesh, there is one doctor for 1,315 population. In Rajasthan, there is one doctor for 2,173 population.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please, sit down.

… (*Interruptions*)

SHRI GHULAM NABI AZAD : Madam, let me reply to the second part of the question.… (*Interruptions*)

I do not have the figures of Gujarat State. I am not giving the figures of all the States; I am only giving the figures for the States about which the Ministry has the information, both domestically and internationally. Tthe second part of the question is this. … (*Interruptions*)

I am just replying to the second part of the question asked by the hon. Member. In this backdrop, we are having the acute shortage of doctors in the country. The Ministry through the MCI has taken some path-breaking initiatives during the last two years. It is for the first time, in two years time that these new 35 medical colleges have come up. This is again for the time that an additional 8,000 MBBS and about 8,000 MD seats have been increased. We have given a number of incentives to the entrepreneurs to open more medical colleges across the country, particularly, in the North-Eastern States, hilly States and backward States of the country.

SHRI AMARNATH PRADHAN : Is there any additional use of medicine in our country in comparison to others? I would like to know the steps that the Ministry has taken to deal with the additional use of medicines.

SHRI GHULAM NABI AZAD: It is a part of the Report, which the hon. Member has referred to in his Question and also cited the World Medicine Situation Report, 2011. The Report says that there is an irrational use of medicine across the globe. The WHO has come to the conclusion – this Report is for the entire globe and not for any specific country that more than half of all the medicines are prescribed, dispensed or sold inappropriately. This is very alarming. 50 per cent is a very big in number.

It is also said that half of the patients fail to take them correctly. It is further said that the overuse, under-use or misuse of medicines result in wastage of scarce resources and widespread health hazards. Examples of irrational use of medicine include: use of too many medicines per patient ("poly-pharmacy"); inappropriate use of antimicrobials, often in inadequate dosage, for non-bacterial infections; over-use of injections when oral formulations would be more appropriate; failure to prescribe in accordance with clinical guidelines; inappropriate self-meditation, which most of us do and non-adherence to dosing regimes. It has been seen that this problem is world over. In so far as, our country is concerned, we have taken some initiatives. Last August, 2010, a Task Force was constituted under the Chairmanship of Director General, Health Services.

The recommendations are very good. The recommendations are to make a change in the Schedule under the Drugs and Cosmetics Rules and thereby to regulate sale of antibiotics, curtailing the availability of Fixed Dose Combinations, colour coding of third generation of antibiotics and restricting their access only to tertiary care hospitals, development of standardised Antimicrobial Susceptibility Testing methodology and development of detailed Standard Operating Procedure.

Now, this is in the last stage. These recommendations have been cleared and sent to the Law Ministry.

SHRI JANARDHANA SWAMY :Madam, we understand that there is an acute shortage of doctors in the country. The main problem appears to be more acute in the Government sector, especially in the Government hospitals.

The shortage of doctors is due to poor infrastructure, bureaucracy and low wages. That is the reason why, the doctors are not attracted to serve in the Government hospitals. So, I would like to know from the Minister as to what exactly the Ministry is doing to address this problem.

SHRI GHULAM NABI AZAD: Madam, I have already said in my previous answer, but for the benefit of the hon. Member I can say that there is an overall shortage of doctors in the country. When there is a shortage of doctors, naturally the private hospitals would try to attract the doctors by paying them more emoluments.

I have the record of the last three years. During the last three years, 3,660 doctors – these doctors are mostly specialists and super-specialists – have gone outside India. So, this figure is a huge figure. In the United States of America, the registered number of doctors who have gone from India is as big as 61,000 and the unregistered number of doctors is almost 20,000. So, about 80,000 doctors of the Indian origin are working in the United States of America. There might be about 30,000 to 40,000 doctors of the Indian origin who are working in the United Kingdom. There might be another 20,000 to 30,000 doctors of the Indian origin who are working in the Gulf countries and elsewhere.

As a matter of fact, it seems whatever number of doctors that we are producing, they are for the entire world. Now, we sat with the Medical Council of India and asked them to find a solution as to how we can stop this exodus of doctors from our country to rest of the world. There is also exodus of doctors within the country, from Government hospitals to the private hospitals.

The only answer to this problem is to increase the number of seats in our medical colleges. As I said, we have taken path breaking initiatives in this regard during the last two or three years.

DR. TARUN MANDAL : Madam, this Question is regarding inadequate attention to patients by doctors. Madam, the doyens of medicine of India – Dr. Nilratan Sirkar, Dr. B.C. Roy and Dr. Kumud Shankar Roy – set a very good standard in medical practice. It is unfortunate that the medical practitioners are blamed today almost in every corner of the country for medical negligence and non-attention to patients.

Madam, I do believe that this is due to general degradation in social ethics and moral values. Doctors are no exception and they are also victims of the same system.

Madam, I have gone through the reply given by our hon. Minister. I do not fully agree with the reply that he has provided. The other day, our Minister was saying that our country is producing 41,000 medical doctors in modern medicine annually. We are already having seven lakh modern medical doctors. Similar is the number in Ayush.

अध्यक्ष महोदया : आप अपना प्रश्न पूछिए।

DR. TARUN MANDAL : I am just asking my question.

Actually, in the Government sector, the number of posts of doctors is very less. In the entire country including the State Government hospitals, the number of doctors' posts is less than 40,000. So, only these 40,000 doctors are serving the entire one billion plus population who have no other place to go.

My question to the hon. Minister is, to solve this problem of inadequate attention of doctors, whether the Ministry of Health and Family Welfare is going to increase or create more posts of doctors in the near future, may be at least, to the tune of 2 lakh. That would only solve this problem. No other measurers can solve this problem.

SHRI GHULAM NABI AZAD: Madam, he has asked two questions.

MADAM SPEAKER: Please answer only one.

SHRI GHULAM NABI AZAD: He has asked about the degradation in ethics and moral values. Well, that is not confined only to the health sector, that is there

across everything. But unfortunately, it is there. Everyday, we receive complaints from across the country, particularly from private hospitals because they tend to make more money and give irrational medicines, which we were just discussing. For that, we have already brought a legislation, namely, the Clinical Establishment Regulation Bill, last year. The rules have been prepared and sent across the States. So, this Bill will take care of irrational use of medicines or overcharging for operations and medicines.

But insofar as his question of increasing the number of posts of doctors is concerned, yes, we have to increase this number. Why only two lakh, I would be too happy to increase this number to three lakh. In this very House, it is more than half a dozen times that I have spelt out all the measures that have been taken by the Government of India during the past two years including the incentives. Wherever we wanted to make changes in the rules of the Medical Council of India, through the direction by the Government of India, we have brought sweeping changes there. Earlier, the maximum cap of intake of MBBS students was 150. That cap has been removed; and now, the cap is 250 students. For the construction, some changes have been brought from the backward areas; some changes have been brought from the North-East areas. It is because of this only that for the first time an increase of 8,000 MBBS doctors and 8,000 MD seats has taken place in the past 65 years.

(Q. No. 345)

SHRI K. SHIVKUMAR *ALIAS* J.K. RITHEESH : Madam, mining is one of the best resources to develop the economy of our country. So, the Government should take effective steps to do the mining survey all over the country.

My question is whether any survey has been undertaken to assess the offshore mineral potential. If so, the details thereof.

श्री दिनशा पटेल : वैसे तो जो प्रश्न पूछा गया है, वह फास्फोराइट के बारे में पूछा गया है कि क्या इसके लिए तलाशी की गयी है या नहीं की गयी है? इसके लिए तलाशी की गयी है। मगर, जिस मात्रा में चाहिए, उस मात्रा में वहां उपलब्ध नहीं है। इसी वज़ह से नए वेसेल्स खरीदने की कोशिश की गयी है। वह वर्ष 2014 में मिलेगा। तभी डीप वाटर में इसके लिए खोज की जाएगी। माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि क्या अपने वहां खोज की जाती है? अपने यहां तीन भाग में खनिजों की खोज की जाती है। पहले भाग में कोल और लिग्नाइट की खोज की जाती है जिसे कोयला मंत्रालय संभालता है; दूसरे भाग में एटोमिक मिनरल आता है; तीसरे भाग में मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल है। तीसरा भाग माइन्स विभाग में आता है। … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Let us have order in the House please.

श्री दिनशा पटेल : यहां बहुत अच्छी चीजें हैं। करीब 87 खनिज अपने देश में मिलते हैं। उसमें एस्बेस्टस, बॉक्साइट, रूबी ओर, कॉपर ओर, गोल्ड, आयरन ओर, लैड, मैंगनीज़ ओर, प्रेशस स्टोन, ज़िंक जो मुख्य हैं, यहां बताए गए हैं। मैंने जो उत्तर दिया है, वह बहुत ही लम्बा है। माननीय सदस्य से मैं कहना चाहता हूं कि अगर वे चाहें तो मैं उनके पास भेज दूंगा।

अध्यक्ष महोदया : आप उन्हें अपने ऑफिस में बुलाकर, चाय पिलाकर, उन्हें यह दे दीजिएगा।

SHRI K. SHIVKUMAR *ALIAS* J.K. RITHEESH : I want to know whether phosphatic sediments have been found in the outer shelf and under continental margin of Kollam in Kerala by RV Samudra Manthan.

श्री दिनशा पटेल : मैंने माननीय सदस्य को पहले कहा कि आपके यहां कोशिश की गयी है। फास्फोराइट के बारे में उन्होंने प्रश्न किया है। मगर, फास्फोराइट जिस मात्रा में मिलना चाहिए, उस मात्रा में नहीं मिलता है। जिस डेप्थ में हम संशोधन करना चाहते हैं, उस डेप्थ में हम इस वेसेल से संशोधन नहीं कर सकते हैं। नई वेसेल खरीदने की मंजूरी मंत्रालय ने ली है। वह वर्ष 2014 में हमें मिलेगा। वर्ष 2014 के बाद हम लोग डेप्थ में संशोधन कर सकेंगे। अभी जो हम लोग कर रहे हैं, वह करीब 4300 मीटर में कर रहे हैं। वेसेल मिलने से हम 6000 वर्ग मीटर तक खोद सकेंगे। अपने यहां फास्फोराइट का उपयोग ज्यादातर एनिमल फूड में होता है। ह्यूमन फूड, व्हीट, बेकरी और इत्र में उसका उपयोग होता है। अपने यहां जो फास्फोराइट मिलता है, वह 40 प्रतिशत ही मिलता है। वह राजस्थान से मिलता है। वह जमीन से मिलता है, समुद्र से नहीं मिलता है। समुद्र से मिलने की कोशिश हो रही है। हम लोग इसका 60 प्रतिशत आयात कर रहे हैं। भारत मोरक्को से फास्फोराइट आयात करता है। आयात करने के बाद जो फर्टिलाइजर में इसका उपयोग करना है, उस फर्टिलाइजर में इसका उपयोग करते हैं। मगर, वह जमीन से यहां राजस्थान से मिलता है और मात्र 40 प्रतिशत ही मिलता है। माननीय सदस्य जो पूछ रहे हैं, उसके लिए कोशिश जारी है।

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Madam, this House has discussed theft of minerals in India in various States for a very long period. We are all aware of the great wealth that is being taken away. Madam, as you may be aware, India is probably one of the few countries in the world today which permits export of ores. Crude ore is being taken out straight. We know that in the gates and the check systems that the State Governments and the Union Government have put in place, there is a lot of corruption. Trucks and trains do carry the ores straight through to the ports. So, I would like to know from the Minister whether there is any proposal that the Government has thought of like in Brazil they do.

In Brazil, when the ore is exported and is loaded on to a ship, the London Metal Exchange price is charged to the exporter. But we are charging much less than the international price. Is the Government preparing or proposing to charge the exporter the international price? It is because this is also a huge corruption issue and today corruption is bothering all of us. Is the Government having any proposal to charge the exporter the international price when the ore is loaded on to

the ship? In that way, wherever, whichever gate the ore passes through, it can still be checked and the nation will not lose billions of dollars worth minerals.

MADAM SPEAKER: Please ask the question.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Is the Government having any such proposal? .

श्री दिनशा पटेल : मैडम, वैसे यह प्रश्न अवैध खनन के बारे में पूछा गया है, मेरे से जो प्रश्न पूछा गया है, वह फास्फोराइट के संशोधन के बारे में पूछा गया है। उसके साथ यह जुड़ा हुआ नहीं है तब भी मैं कहता हूं।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: All right. It is not in the ambit of the original question.

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। कृपया शांत रहिए।

श्री दिनशा पटेल: एमएमडीआर रूल 2011 में उसके लिए सरकार प्रोविजन के लिए कोशिश कर रही है।...(व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी : अध्यक्ष महोदया, मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि खास कर आदिवासी क्षेत्रों में, जिन आदिवासियों को पता भी नहीं है कि यह मेरी भूमि है, उस पर जो अवैध खनन हो रहा है, खास करके धार, झाबुआ, कटनी वगैरह मध्य प्रदेश के जो आदिवासी जिले हैं, इनमें जो अवैध खनन हो रहा है, मंत्री जी उसमें क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं, मैं यह पूछना चाहता हूं?

श्री दिनशा पटेल: मैंने पहले प्रश्न में भी बताया कि यह अवैध खनन के बारे में प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदया: ठीक है।

(Q. No. 346)

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल : अध्यक्ष महोदया, देश में बिजली वितरण कार्यों में गंभीर असमानता है, शहरों में लोगों को बिजली आसानी से मिल रही है और गांवों में रहने वालों को बिजली 12 घंटे तक भी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण ग्रामीण जीवन स्तर और खेतीबाड़ी को सिंचाई सुविधाएं समय पर नहीं मिल पा रही हैं। सरकार ने पुरानी सभी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को समाप्त करके अप्रैल, 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का नाम दे दिया। इससे केवल नाम ही बदला, कामों में कोई बदलाव नहीं हुआ, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में 28135 गांवों में बिजली पहुंची है, लेकिन 33047 गांवों में अभी भी बिजली नहीं पहुंची है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के माध्यम से सभी गांवों में बिजली 2012 तक पहुंचानी है। अनुसूचित जनजाति वर्ग को नि:शुल्क बिजली देनी है, जो नहीं हुए हैं। देश में इस योजना के लक्ष्यों में 70 प्रतिशत ही लक्ष्य प्राप्त हुए हैं और इस योजना से 14500 गांवों में पहुंची है, जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गांवों के लोगों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लाभ अधिक संख्या में उठाने के लिए सरकार कोई कैम्प लगा कर सहायता प्रदान कर रही है, इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI K.C. VENUGOPAL): Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana is the flagship programme of the UPA Government, which will give electricity access to the rural households of India. As far as Uttar Pradesh is concerned, during 10th Plan, 64 projects for rural electrification in 65 districts were sanctioned to provide electricity to 30,802 villages, intensive electrification of 33,287 villages and to provide 11.21 lakh electricity connections to BPL households at an estimated cost of Rs.2,719.51 crore. Fifty-six projects are implemented. I know, as the hon. Member has rightly pointed out, there are also 66 additional supplementary projects submitted to the Ministry from Uttar Pradesh, costing around Rs.8000 crore. Now, the Planning Commission has given sanction for Rs.6000 crore.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go in record.

(Interruptions) ... *

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए, मंत्री जी को उत्तर पूरा करने दीजिए।

…(व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL: The priority goes to the projects which are left out in the 10th Plan. After that, we are thinking to include some of the projects of Uttar Pradesh also in this Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया: जायसवाल जी, आप दूसरा पूरक प्रश्न पूछिए।

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल : अध्यक्ष महोदया, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत जो लक्ष्य निर्धारित हुए , वे क्या हैं और उसकी प्राप्ति नहीं होने के क्या कारण हैं? दूसरे, यह दूसरा चरण कब शुरू होगा, यह बताने की कृपा करें।

SHRI K.C. VENUGOPAL: Madam, I have already replied to that. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) ...**

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हो रहे हैं। Nothing is going on record.

*(Interruptions) ...**

SHRI K.C. VENUGOPAL: Madam, the Government of Uttar Pradesh has already submitted projects located in 65 districts as supplementary projects. We are already giving priority to the districts which are left in the first phase of the project. After that, we will take the projects from Uttar Pradesh also. We will think about taking projects of Uttar Pradesh also. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shri Chandrakant Khaire.

(Interruptions) ... *

* Not recorded

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record. आप पूछिये। आप बैठ जाइये।

(Interruptions) ...[*]

श्री चंद्रकांत खैरे : अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से हमारे मंत्री, आदरणीय सुशील कुमार शिन्दे जी से पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का वर्क बहुत ही स्लो चल रहा है और...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : उनको पूछने दीजिए।

श्री चंद्रकांत खैरे : सभी बिजली विभागों, सभी बिजली मंडलों के बारे में लोक प्रतिनिधियों के साथ जो अधिकारियों की मीटिंग का इन्होंने ब्यौरा दिया है, वह हमारे महाराष्ट्र में तो नहीं हुईं, लेकिन मैं हर मंथ में मीटिंग लेता हूं। इसमें बहुत से सांसद मीटिंग लेते हैं, लेकिन विभागीय बैठक, जो मंत्रालय में होनी चाहिए, वह कभी होती नहीं है। इसका सशक्तीकरण होना चाहिए। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing is going on record. Let him ask the question.

(Interruptions) ... *

श्री चंद्रकांत खैरे : यह राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना गांव-गांव में जानी चाहिए। इसके लिए मंत्री महोदय मीटिंग्स के दौरान क्या व्यवस्था करेंगे? हम लोग जब मीटिंग लेते हैं, सुशील कुमार जी, उसका महाराष्ट्र का ब्यौरा मुम्बई जाता है, लेकिन उसका कोई इफैक्ट नहीं होता। बैठक हो जाती है, रिपोर्ट चली जाती हैं। उसका इफैक्ट होना चाहिए, जो मैं मीटिंग लेता हूं। उस मीटिंग का इफैक्ट होना चाहिए, उसका रिजल्ट आना चाहिए, यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : समय कम है। ऑनरेबिल मिनिस्टर। आप बैठिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : सुनिये। आप जवाब सुनिये। आप क्यों खड़े हो जाते हैं, जवाब देने दीजिए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing is going on record. आप बैठिये।

(Interruptions) ... *

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE : Madam Speaker, my colleague is replying today for the second time in the House. When he replied for the first time, he had

[*] Not recorded

replied very well in this House and the second time also, he is replying properly. If there is any difficulty, I will reply.

First if all, his language is not Hindi. He always speaks in English. So, you please understand the situation. If there is anything difficult, I will answer. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइये। आप क्यों खड़े हो रहे हैं? आप बैठ जाइये, उनको रिप्लाई देने दीजिए।

SHRI K.C. VENUGOPAL: For monitoring the RGGVY, there are two committees, one at the State level and another at the district level. The State level committee is chaired by the Chief Secretary while the district level committee is headed by the District Collector. Then, the committees … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। इतना उत्तेजित नहीं होते, इतना उद्वेलित मत होइये। आप भी बैठ जाइये।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : देखिये, सोमवार को इस पर हाफ एन ऑवर डिस्कशन लगा हुआ है।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप इतना गुस्सा मत करिये, बैठ जाइये। मंडे को डिस्कशन लगा हुआ है। मैं भी समझती हूं कि हम सब इसको लेकर थोड़ा चिन्तित हैं और सोच में हैं कि बिजली की व्यवस्था कैसे हो। सब के मन में और सब की कांस्टीट्वेंसी में समस्या है। इसमें एक डिस्कशन सोमवार को लगा हुआ है, तब विस्तार से चर्चा हो जायेगी।

अब एक मिनट बाकी है। हुक्मदेव नारायण यादव जी, पूछिये और कविता भी कह दीजिए।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : अध्यक्ष महोदया, जब आपने कह दिया कि इस पर डिस्कशन है, तो कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा।

अध्यक्ष महोदया : कोई कविता नहीं कीजिएगा।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : महोदया, मैं केवल इतना ही कहूंगा कि बिजली के संबंध में मुंगेरीलाल के हसीन सपने गांव वालों को दिखाना बंद करिए। दूसरा, बिजली जाती है ज्यादा, आती है कम, जाती है, कब आती है, यह पता ही नहीं चलता है, तो कम से कम बिजली के आने-जाने का कोई समय मुकर्रर करें। …(व्यवधान)

श्री सुशीलकुमार शिंदे : अध्यक्ष महोदया, बिजली का मुंगेरीलाल का सपना, बिहार जैसा सपना नहीं है, यह भारत का सपना है। ...(व्यवधान) यूपीए गवर्नमेंट ने यह निर्णय ले लिया है कि ...(व्यवधान) अभी सुनिए, एक लाख चार हजार ...(व्यवधान)

12.00 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table. Shri S. S. Palanimanickam.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.S. PALANIMANICKAM): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Report (Hindi and English versions) on Trend and Progress of Housing in India, 2010 under Section 42 of the National Housing Bank Act, 1987.

(Placed in Library, See No. LT 4995/15/11)

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 30 of the Regional Rural Banks Act, 1976:-

(i) The Parvatiya Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in the Notification No. F. No. HR/623-2010-11 in Gazette of India dated the 1st November, 2010.

(ii) The Rushikulya Gramya Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in the Notification No. F. No. LR No. 099/3/G/27/62 in Gazette of India dated the 25th February, 2011.

(iii) The Utkal Gramya Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in the Notification No. F. No. PER/1256 in Gazette of India dated the 17th March, 2011.

(iv) The Sarva U.P. Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in the Notification No. Pers./2879/10 in Gazette of India dated the 11th December, 2010.

(v) The Madhya Bharat Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in the Notification No. 339 in Gazette of India dated the 27th December, 2010.

(vi) The Langpi Dehangi Rural Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in the Notification No. RRB/29/937 in Gazette of India dated the 22nd December, 2010.

(vii) The MGB Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in the Notification No. 272/M.G.B. in Gazette of India dated the 15th December, 2010.

(viii) The Arunachal Pradesh Rural Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in the Notification No. 277 in Gazette of India dated the 30th October, 2010.

(ix) The Uttaranchal Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in the Notification No. DGB/HO/2010/Pers./680 in Gazette of India dated the 11th December, 2010.

(x) The Hadoti Kshetriya Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in the Notification No. H.O. 29/2010-11/Maan.S.V./2558 in Gazette of India dated the 11th December, 2010.

(xi) The Pandyan Grama Bank Staff (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in the Notification No. PAD/01/2010 in Gazette of India dated the 15th December, 2010.

(xii) The Madhya Bihar Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in the Notification No. F. No. MBGB/HO/HRD/C-37/2011 in Gazette of India dated the 19th February, 2011.

(xiii) The Mizoram Rural Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in the Notification No. M.R.B./2010 in Gazette of India dated the 29th October, 2010.

(xiv) The Sharda Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in the Notification No. H.O./C.S./157 in Gazette of India dated the 22nd December, 2010.

(Placed in Library, See No. LT 4996/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI SULTAN AHMED): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the Kumarakruppa Frontier Hotel Private Limited, New Delhi, for the year 2008-2009.

(ii) Annual Report of the Kumarakruppa Frontier Hotel Private Limited, New Delhi, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 4997/15/11)

(3) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the India Tourism Development Corporation Limited and the Ministry of Tourism for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 4997-A/15/11)

12.02 hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA AND BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA *

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

> ""In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the National Council for Teacher Education (Amendment) Bill, 2011 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 25th August, 2011."

I lay on the Table the National Council for Teacher Education (Amendment) Bill, 2011, as passed by Rajya Sabha on the 25th August, 2011."

---

* Laid on the Table

12.03 hrs.

STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY
Statements

RAO INDERJIT SINGH (GURGAON): I beg to lay on the Table the following Statements (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Information Technology:-

(1) Statement showing Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Ninth Report (Fifteenth Lok Sabha) on Action Taken on the recommendations of the Committee contained in their First Report (Fifteenth Lok Sabha) on Demands for Grants (2009-10) of the Department of Posts.

(2) Statement showing Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Tenth Report (Fifteenth Lok Sabha) on Action Taken on the recommendations of the Committee contained in their Second Report (Fifteenth Lok Sabha) on Demands for Grants (2009-10) of the Ministry of Information and Broadcasting.

(3) Statement showing Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Eleventh Report (Fifteenth Lok Sabha) on Action Taken on the recommendations of the Committee contained in their Third Report (Fifteenth Lok Sabha) on Demands for Grants (2009-10) of the Department of Information Technology.

(4) Statement showing Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Twelfth Report (Fifteenth Lok Sabha) on Action Taken on the recommendations of the Committee contained in their Fourth Report (Fifteenth Lok Sabha) on Demands for Grants (2009-10) of the Department of Telecommunications.

(5) Statement showing Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Sixteenth Report (Fifteenth Lok Sabha)

on Action Taken on the recommendations of the Committee contained in their Fifth Report (Fifteenth Lok Sabha) on Demands for Grants (2010-11) of the Department of Posts.

(6) Statement showing Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Seventeenth Report (Fifteenth Lok Sabha) on Action Taken on the recommendations of the Committee contained in their Seventh Report (Fifteenth Lok Sabha) on Demands for Grants (2010-11) of the Department of Information Technology.

12.04 hrs.

STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT
(i) 21st and 22nd Reports

SHRIMATI SUMITRA MAHAJAN (INDORE): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Rural Development:-

(1) Twenty-first Report on Demands for Grants (2011-12) of the Ministry of Rural Development (Department of Land Resources).

(2) Twenty-second Report on Demands for Grants (2011-12) of the Ministry of Panchayati Raj.

(ii) Statements

SHRIMATI SUMITRA MAHAJAN : I beg to lay on the Table Statements (Hindi and English versions) showing further follow up action on the recommendations contained in the following Action Taken Reports of the Standing Committee on Rural Development:-

(1) 16th Action Taken Report (Fourteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2005-06)' of the Ministry of Rural Development (Department of Land Resources).

(2) 31st Action Taken Report (Fourteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2007-08)' of the Ministry of Rural Development (Department of Land Resources).

(3) 43rd Action Taken Report (Fourteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2008-09)' of the Ministry of Rural Development (Department of Drinking Water & Sanitation).

(4) 45th Action Taken Report (Fourteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2008-09)' of the Ministry of Panchayati Raj.

(5) 46th Action Taken Report (Fourteenth Lok Sabha) on 'Rural Housing' of the Ministry of Rural Development (Department of Rural Development).

(6) 10th Action Taken Report (Fifteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2009-10)' of the Ministry of Rural Development (Department of Rural Development).

(7) 11th Action Taken Report (Fifteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2009-10)' of the Ministry of Rural Development (Department of Land Resources).

(8) 13th Action Taken Report (Fifteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2009-10)' of the Ministry of Panchayati Raj.

(9) 15th Action Taken Report (Fifteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2010-11)' of the Ministry of Panchayati Raj.

(10) 16th Action Taken Report (Fifteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2010-11)' of the Ministry of Rural Development (Department of Land Resources).

(11) 17th Action Taken Report (Fifteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2010-11)' of the Ministry of Rural Development (Department of Drinking Water & Sanitation).

(12) 18th Action Taken Report (Fifteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2010-11) of the Ministry of Rural Development (Department of Rural Development).

MADAM SPEAKER: Now, 'Zero Hour'. Shri Rahul Gandhi.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please take your seat.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I have already called his name. Please take your seat.

… (*Interruptions*)

SHRI RAHUL GANDHI (AMETHI): Madam Speaker, I have been deeply distressed at the development of the last few days. … (*Interruptions*) Many aspects of the situation have caused me anguish. We are all aware that corruption is pervasive. It operates at every level. The poor may carry its greatest burden, but it is an affliction that every Indian is desperate to be rid off. Fighting corruption is an integral part to eliminating poverty as is Mahatma Gandhi NREGA or the Land Acquisition Bill. Yet, it is equally imperative to the growth and development of our nation.

Madam Speaker, we cannot wish away corruption by the mere desire to see it removed from our lives. This requires a comprehensive framework of action and a concerted political programme supported by all levels of the State from the highest to the lowest. Most importantly, it requires a firm political will.

Madam Speaker, in the past few years, I have travelled the length and breadth of our country. I have met scores of countrymen -- rich and poor; old and young; privileged and disempowered -- who have expressed their disillusionment to me. In the last few months, Anna ji has helped the people to articulate this same sentiment. I thank him for this. … (*Interruptions*)

I believe that the real question before us … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please let us have order in the House.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

SHRI RAHUL GANDHI : I believe that the real question before us, as representatives of the people of India today, is whether we are prepared to take the battle against corruption head on. It is not a matter of how the present impasse will resolve, it is a much greater battle. There are no simple solutions. To eradicate corruption demands a far deeper engagement and sustained commitment from each one of us.

Witnessing the events of the last few days, it would appear that the enactment of a single Bill will usher in a corruption-free society.

I have serious doubts about this belief. An effective Lokpal law is only one element in the legal framework to combat corruption. The Lokpal institution alone cannot be a substitute for a comprehensive anti-corruption code. A set of effective laws is required. Laws that address the following critical issues are necessary to stand alongside the Lokpal initiative: Government funding of elections and political parties; transparency in public procurement; proper regulation of sectors that fuel corruption like land and mining … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए। क्यों खड़े हो गए?

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: This is 'Zero Hour' and he can speak.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : शून्य प्रहर चल रहा है। बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

(Interruptions) ... *

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down.

… (*Interruptions*)

* Not recorded

MADAM SPEAKER: It is 'Zero Hour' and I have given permission.

… (*Interruptions*)

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): माननीय अध्यक्ष महोदया, किस बात पर इनको एतराज है? …(व्यवधान) ये जो बात कह रहे हैं उस पर आप को ऐतराज है? यह आप की नीति है?…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: What is your objection?

… (*Interruptions*)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Are you objecting to what he has said? … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down. He is raising the matter during 'Zero Hour'.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप इतना गुस्सा मत होइए। बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: This is 'Zero Hour'. Please sit down.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): You cannot speak like that. You sit down. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) … *

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप सब बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please sit down.

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : इस समय शून्य प्रहर चल रहा है और मैंने श्री [illegible] गांधी को बोलने की अनुमति दी है। उन्हें बोलने दीजिए।

---

* Not recorded

…(व्यवधान)

श्री गणेश सिंह (सतना): आप यह सलाह किसको दे रहे हैं।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please sit down.

… (*Interruptions*)

SHRI RAHUL GANDHI : Proper regulations of sectors that fuel corruption like land and mining, grievance redress mechanisms in public service delivery of old age pension and ration cards and continued tax reforms to end tax evasion. We owe it to the people of this country to vote together across party lines to ensure that Parliament functions at its optimal capacity and deliver these laws in a just and time bound manner. We speak of a statutory Lokpal but our discussions cease at the point of its accountability to the people and the risk that it might itself become corrupt.

Madam Speaker, why not elevate the debate? Let us take it further and fortify the Lokpal Bill by making it a constitutional body like the Election Commission of India. I feel the time has come for us to seriously consider this idea.

Madam Speaker, laws and institutions are not enough. A representative, inclusive and accessible democracy is central to fighting corruption. Individuals have brought our country great gains. They have galvanized the people in the cause of freedom and development.

However, we must not weaken the democratic process. This process is often lengthy and lumbering. But it is so in order to be inclusive and fair. It provides a representative in transparent platform where ideas are translated into laws. A process divorced from the machinery of an elected Government that seeks to undo the checks and balances created to protect the supremacy of the Parliament of this House sets a dangerous precedent for our democracy.

Today, the proposed law is against corruption. Tomorrow, the target may be something less universally heralded. It may attack the plurality of our society and our democracy. India's biggest achievement is our democratic system. It is the life force of our nation. I believe we need more democracy within our political parties. I believe in Government funding of our political parties. I believe in empowering our youth in opening the doors of our closed political system in bringing fresh blood into politics and into this House. I believe in moving our democracy deeper and deeper into our villages and our cities. I know my faith in democracy is shared by Members of this House. I know that regardless of their political affiliation, many of my colleagues work tirelessly to realize the ideals upon which our nation was built. The pursuit of truth is the greatest of these ideals. It won us our freedom. It gave us our democracy. Let us commit ourselves to truth and probity in public life. We owe it to the people of India.

अध्यक्ष महोदया : श्री शरद यादव।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : शरद जी, क्या आपको बोलना है? आपने सस्पैंशन का नोटिस दिया है।

...(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): प्रधान मंत्री जी ने एश्योरेंस दिया था। ...(व्यवधान)

लोकपाल बिल कब आयेगा? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : शरद यादव जी, क्या आपको बोलना है?

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव (मधेपुरा): जी हां। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बोलिये।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

*(Interruptions) ...**

अध्यक्ष महोदया : शरद यादव जी बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : शरद यादव जी, आप बोलिये।

...(व्यवधान)

SHRI HARIN PATHAK : Please bring the Jan Lokpal Bill.

श्री पवन कुमार बंसल : आपको एतराज किस बात पर है? ...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : अध्यक्षा जी, पूरे देश में खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, बंगाल में गंगा नदी ...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : शरद जी, पहले यह विषय खत्म हो जाने दीजिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : शरद जी, आपने नोटिस दिया है, इसलिए आप बोलिये।

...(व्यवधान)

SHRI YASHWANT SINHA (HAZARIBAGH): I want to ask the Prime Minister what has happened to it?... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record except what Shri Sharad Yadav ji says.

*(Interruptions) ... **

अध्यक्ष महोदया : शरद जी, आप बोलिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : शरद जी, क्या आप नहीं बोल रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री पी. करूणाकरन।

...(व्यवधान)

* Not recorded

श्री शरद यादव : अध्यक्षा जी, बाढ़ से गंगा, यमुना नदी उफन रही है। बिहार में नेपाल से कोसी सहित सभी नदियां तबाही मचा रही हैं। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि सिविल सोसायटी का एक व्यापक मुद्दा यहां से वहां तक चला हुआ है। यहां पर प्रधान मंत्री जी बैठे हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बाढ़ का प्रभाव पूरे देश में है, वे उस मामले में तत्काल कोई कदम उठायें। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य अभी जो पूछ रहे थे, उस बारे में देश बैचेन है। मैं आपसे लगे हाथ यह भी कहना चाहता हूं, क्योंकि इतनी लंबी बहस चल रही थी, हमने कल पूरे देश में जो अपील की, एक जन लोक पाल बिल वहां है और एक सरकारी लोकपाल बिल है। सरकार की तरफ से इस मामले में गाड़ी कहां पहुंची है?...(व्यवधान) यह बात सरकार को जरूर निश्चित तौर पर जिम्मेदारी के साथ कहनी चाहिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : शरद दी, आपका नोटिस फ्लड, बाढ़ की स्थिति पर था।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : सर्वश्री कमल किशोर 'कमांडो', जगदम्बिका पाल, पी.एल पुनिया और श्री विनय कुमार पाण्डेय अपने आपको श्री शरद यादव जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

MADAM SPEAKER: Hon. Members, I have received notices under Rule 193 from Shri Shailendra Kumar and Shrimati Harsimrat Kaur Badal. I have also received notices of Motion under Rule 184 from Dr. Bhola Singh and Shri Shailendra Kumar. The notices seek to raise discussion on the need for an effective and strong Lokpal Bill including discussion on private Lokpal Bills drafted by outside agencies.

I have also received notices from Sarvashri Jagdambika Pal, Sandeep Dikshit, Vijay Bahuguna and Bhakta Charan Das under Rule 193 for raising a discussion on the document 'Jan Lok Pal Bill' drafted by members of the Civil Society under the leadership of Shri Anna Hazare as also the proposals by prominent Civil Society groups and eminent citizens for addressing issues of corruption.

The notices have just been received. They are under my consideration and I will be giving my decision very early.

… (*Interruptions*)

डॉ. भोला सिंह (नवादा): महोदया, आसन ने जीरो ऑवर में इस विषय को उठाने का आदेश दिया है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record except what Shri Bhola Singh ji says.

(Interruptions) ... *

डॉ. भोला सिंह : महोदया, आप जानती हैं कि रेल मंत्रालय के अंतर्गत गंगा नदी पर सिमरिया घाट पर 1959 ईसवी में रेलवे पुल एवं सड़क पुल का निर्माण किया गया था। 1959 ईसवी में बाबू जी श्री जगजीवन राम जी रेलवे मंत्रालय के मंत्री थे।...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): मैंने भी एक महत्वपूर्ण विषय उठाने के लिए नोटिस दिया है।...(व्यवधान)

* Not recorded

अध्यक्ष महोदया : आपको एशोसिएट कर देंगे।

डॉ. भोला सिंह : उस समय पंडित जवाहर लाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और उन्होंने उस पुल का उद्घाटन किया था। श्री रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रीय कवि उस समय उनके साथ थे। स्वर्गीय जगजीवन राम जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। आज सिमरिया का वह पुल मृत्यु-शैय्या पर पड़ा हुआ है। छः महीने से उस पुल के बंद रहने के कारण गाड़ियों का आना-जाना बंद है, लोगों का जीना हराम हो गया है, बिहार सरकार परेशान है, इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से, रेलवे मंत्रालय से आग्रह करना चाहता हूं कि सिमरिया पुल, जो भारत की अस्मिता का प्रतीक है, जो बिहार के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दिया हुआ बाबू जी का उपहार है, को मरने से बचाने के इसकी मरम्मत के साथ-साथ सिमरिया में इसके समानांतर दूसरा रेलवे पुल बनाया जाए। इस ओर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

MADAM SPEAKER: Rest of the 'Zero Hour' matters will be taken up at the end of the day.

… (*Interruptions*)

12.23 hrs.

DISCUSSION UNDER RULE 193

(i) Steps taken by the Government for relief and resettlement of Tamils in Sri Lanka---Contd.

MADAM SPEAKER: Now, Item No.11 – Hon. Minister.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI S.M. KRISHNA): Madam, I would start by thanking all the Members who participated in this discussion about the steps taken by Government of India for relief and resettlement of Tamils in Sri Lanka and other measures to promote their welfare.

Madam Speaker, I would like to start by making a mention of the mover of the motion my esteemed friend Shri T.R. Baalu who spoke with passion, who spoke with reason, and spoke who spoke with righteous indignation.

श्री गणेश सिंह (सतना): महोदया, मैंने भी आपसे समय मांगा था।...(व्यवधान) आज पूरे मध्य प्रदेश में...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह बहुत ही संवेदनशील विषय है।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

(Interruptions) ... *

अध्यक्ष महोदया : आपको शाम को बोलने के लिए समय देंगे।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अवश्य बुलवाएंगे। आप जल्दी से क्रोधित हो जाते हैं। अभी बैठिए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए। Nothing else will go on record.

*(Interruptions) ...**

* Not recorded

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record. आप बैठ जाइए।आपको बुलाएंगे। अभी बैठिए।

*(Interruptions) ...**

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record. Hon. Minister, you may please continue.

*(Interruptions) ... **

SHRI S.M. KRISHNA: Madam Speaker, however much I wanted to be present in this House, when the Leader of the DMK Party in Lok Sabha, my esteemed friend, Shri T.R. Baalu moved the motion, I could not do so. He made a very well-reasoned and very well-received speech. … (*Interruptions*) It was followed by yet another very elegant speech by my distinguished predecessor, Shri Jaswant Singh. Shri Jaswant Singh brought in, to this debate, some perspective. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record. Hon. Minister, please continue.

*(Interruptions) ...**

अध्यक्ष महोदया: श्रीलंका पर चर्चा हो जाने दीजिए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: It is a very sensitive issue on Sri Lanka.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: We will do that also.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing is going into the record, except what the hon. Minister says.

Hon. Minister, please continue.

*(Interruptions) ... **

* Not recorded

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): This is repeatedly being said. We are all concerned about the health of Shri Anna Hazare. Therefore, the Prime Minister made a fervent appeal yesterday to withdraw his fast, on behalf of the entire country. As far as I understand, that word is not used during the lifetime of a person. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Yes, hon. Minister may continue.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing is going into the record except what the hon. Minister is saying.

(Interruptions) ...[*]

SHRI S.M. KRISHNA: At the outset, Madam, allow me to mention that I fully share the concerns and sentiments expressed by the hon. Members during the discussion regarding the Sri Lankan Tamils. … (*Interruptions*) Madam Speaker, India-Sri Lanka bilateral relationships are based upon historical, cultural, ethnic and civilizational ties, and extensive people to people interactions. … (*Interruptions*) In recent years, this relationship has become multi-faceted and diverse, encompassing all areas of contemporary relations. … (*Interruptions*)

श्री पवन कुमार बंसल: इतनी बढ़िया चर्चा हुई, इतना बढ़िया भाषण दिया गया, आप सब बराबर कर रहे हैं...(व्यवधान)

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Madam, what is it they are doing? Everyday, they are disturbing the House, whenever we want to discuss the Tamils' issue. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया: श्रीलंका पर चर्चा होने दीजिए और मंत्री जी को जवाब देने दें।

...(व्यवधान)

[*] Not recorded

SHRI S.M. KRISHNA: Madam, Speaker, for nearly three decades Sri Lanka has borne the brunt of terrorism. The long period of arms conflict in Sri Lanka came to an end in the month of May, 2009 which left around 300,000 internally displaced persons forced to shift in the camps set up by the Government. The general devastation of the whole infrastructure in certain parts of Sri Lanka was total and emergency measures were needed to create infrastructure for the people to carry on their normal activities.

I would like to commend some of the speeches which were made with statesmanship and keeping the perspective of the friendly India-Sri Lanka bilateral relationship. Shri Baalu in his speech did provide some facts which certainly need to be appreciated by this House and certainly need to be addressed by the Government of India, more particularly by the Government of Sri Lanka.

I would like to commend the speech of my distinguished predecessor. In his own elegant manner, he put the issue in the right perspective. I think it was one of those contributions which certainly has made what kind of a relationship two sovereign nations who are very associated with each other can maintain. I certainly would be guided by the experience, by the statesmanship of hon. Members like Shri Jaswant Singh in steering the external policy of this great country of ours.

Madam, Speaker, there could be differences in emphasis when bilateral relationships are concerned but the Foreign Policy of any country has to be a flowing one. The Government will have to carry on with the same set of policies when the Governments change over. The present Government will continue to be guided by all the cumulative wisdom and experience of all the Members of this hon. House.

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी जो बात बोल रहे हैं तमिल समस्या उससे ज्यादा गंभीर है। इतिहास गवाह है कि हमारे देश के आस-पास जो लोग बसे हुए हैं उन सबमें बंगला देश का हमारे सामने एक ज्वलंत उदाहरण है। हमारे सामने तमिल लोगों का मामला भी उसी तरह का है। इसलिए यह मामला गंभीर है। मान लो कि ये तमिलियन वहां से बेचैन और परेशान होकर देश के अंदर आ गये, हम

लोग उस समय क्या करेंगे। इसलिए हमें मजबूती से पड़ौसी देश के साथ इस सवाल का समाधान निकालना चाहिए। जिस तरह से वहां की जनता तंग और तबाह है उसके लिए हमें गंभीरता से कोई समाधान निकालना चाहिए। केवल बातचीत से रास्ता नहीं निकलेगा, हमें कुछ कड़ाई भी करनी चाहिए।

SHRI S.M. KRISHNA: I am thankful to hon. Member Sharad Yadav Ji for drawing my attention to the problems faced both by our country and by those who are come in to our country as refugees. I was a Member of this House since 1971 when the Bangladesh crisis took place. I very vividly remember when Shrimati Indira Gandhi, the then Prime Minister walked into this House one evening and then declared that Bangladesh has become free. So, I was a witness to that historic moment.

Even, at that point of time, the immediate provocation for India's intervention in Bangladesh was the number of refugees who were coming into our country and thereby creating a situation in our country and as a result of that, we had to take certain steps and only Shrimati Indira Gandhi could have taken those steps. I remember it with the great pride and gratitude.

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): We do not have a leader like Shrimati Indira Gandhi now, that is the problem, which Tamils are facing. That is the thing. The Government is not taking action… (*Interruptions*)

SHRI S.M. KRISHNA : Madam Speaker… (*Interruptions*) I cannot be intervened in such a manner unless I yield… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Minister is not yielding.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please listen to him. We had a long debate.

… (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): I would like to urge upon the hon. Minister to kindly speak out in plain language that human rights are violated in Sri Lanka. Lakhs of Tamilians are being killed… (*Interruptions*) The language should not be like that. The Government of India has to recognize that lakhs of Tamilians are dying because there is no water, no medicine, no clothing and no infrastructure. It cannot be said. The Government of India has a responsibility because of their Tamil origin, we cannot condemn the human rights violation and

this problem of human rights violation has to be condemned by the Government of India.

MADAM SPEAKER: Is a debate going on once again? Let him reply.

… (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : I would request to hon. Minister to condemn the human rights violation that is taking place in Sri Lanka.

SHRI S.M. KRISHNA: Madam Speaker, I have not come to the stage of addressing the human rights violations. Perhaps, in the course of my response to the debate, I might perhaps make a reference to the human rights violations which have been found in Sri Lanka. I will come to that. But, there is some kind of a sequence in the formulation of a speech and I am just going step by step.

I would like to assure the hon. Members that since the end of the conflict in Sri Lanka, the focus of Government of India has been shifted to the welfare and well being of the Tamil citizens of Sri Lanka. Rehablitation and rebuilding their lives have been the highest and the most immediate priority. It is exactly this, which Government of India has been attempting to assist in our efforts in cooperation with the Sri Lankan Government.

The Prime Minister announced in June, 2009 a grant of Rs. 500 crore for relief, rehabilitation and resettlement work in Sri Lanka. Hon. Members might say that it is not enough but we also have limitations. We also have severe limitations on our resources.

So, within the parameters of what we can afford, we have been able to do this much. We have assured the Sri Lankan Government that we would be willing to continue to do more as and when the necessity arises.

Towards the humanitarian effort, India despatched 2.5 lakh family relief packs, deployed an emergency field hospital, two consignments of medicines for the use of Internally Displaced Persons, conducted an artificial limb fitment camp and deployed seven de-mining teams in Northern Sri Lanka.

Madam, Speaker, it is necessary for the House to remember that the whole of Northern Part of Sri Lanka was heavily mined and for Internally Displaced Persons to go back to their original settlements, the immediate thing, the pre-requisite for that was to have our de-mining team making it safe for those who wanted to go back to settle in their original villages and hamlets.

India also gifted more than 10,400 MTs of shelter material and four lakh cement bags for the IDPs. To review the agricultural activities in Northern Sri Lanka, India gifted 95,000 agricultural starter packs. Most of these Tamils used to eke their livelihood by resorting to agriculture. So, it was incumbent on our part and it was conveyed by the Sri Lankan Government that it is necessary for us to provide some succour for those agriculturists who wanted to start afresh. We also provided seeds and we provided 500 tractors for the use by the IDPs to revive their agricultural activities.

Madam, Speaker, I myself went to Sri Lanka and spent five days. Let me place on record my sense of appreciation to the Foreign Minister of Sri Lanka… (*Interruptions*)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, हम ज्यादा नहीं कहेंगे, हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप खाने पीने इत्यादि का सब प्रबन्ध उनके लिए कर देंगे, उनके मकान का और उनके रहने का पूरा खर्च करेंगे। लेकिन जो अरबों रुपये की उनकी सम्पत्ति वहां रह जाएगी, उसका क्या होगा? वे अपनी पूरी सम्पत्ति वहां छोड़कर आएंगे, वह उन्हें नहीं मिलेगी। उसके बारे में आपकी क्या राय है? जो तमिलियन्स यहां आए हैं और वहां नहीं रहेंगे, वहां उनकी खेतीबाड़ी भी है, व्यापार भी है, मकान भी है और भी कई तरह के धंधे हैं, अरबों खरबों रुपये की वहां उनकी सम्पत्ति है, उनकी वह सम्पत्ति जो वहां रह जाएगी, उसके बदले में सरकार उनके लिए क्या करेगी?

SHRI S.M. KRISHNA: Well, I think, that point also needs to be taken up with the Government of Sri Lanka. I think, that is a point which the hon. Member Shri Mulayam Singh Yadav ji, has made and we have taken it up with them. Those displaced persons if they have to go back to their villages and hamlets, in order to pursue whatever avocation they were in, then, I think, certain basic things have to

be provided to them. Yes, they did have property and that has to be re-conveyed back to them. It has to be demarcated to them. I think, this is a process which will take some time and the Government of India will continue to impress upon the Sri Lankan authorities… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, please address the Chair.

SHRI S.M. KRISHNA: Since he intervened, I was replying to him.

MADAM SPEAKER: You please keep addressing the Chair and do not yield every time.

SHRI S.M.KRISHNA: So, I am not supposed to turn to the right! I would keep looking at the Chair.

MADAM SPEAKER: Please adopt a middle path.

SHRI S.M.KRISHNA: I would keep looking between Madam Speaker and my notes. I would not look elsewhere.

The Government of India has given Line of Credit of about 800 million dollars for the restoration for some of the railway lines. When I went to Sri Lanka, I did initiate some work on some railway tracks which IRCON and other railway agencies have been doing. The harbours also have to be restored and some stadiums have to be reconstructed including the Cultural Centre at Jaffna and Vocational Training Centres at Batticaloa and Nuwara Eliya.

The Government of India is also taking up projects in Northern Sri Lanka which were very badly devastated. In the field of education and health, for the repair of school buildings and supply of equipment to upgrade hospitals, the Government has set aside funds for taking up these projects of a humanitarian nature. In 2009-10, it spent Rs. 69 crore and in 2010-11, it spent Rs. 94 crore towards the welfare, relief, resettlement and rehabilitation of IDPs. The Government has allocated Rs. 290 crore for the purpose in 2011-12.

Our primary objective in all that we are doing in Sri Lanka is to ensure the welfare and wellbeing of Sri Lankan Tamils including IDPs and to assist in the development of Northern Sri Lanka. I am happy to convey to the House that

according to information available to us, around 2,90,000 IDPs have gone back to their homes and around 10,000 more may be there. Amongst those 2,90,000 IDPs, I do not exactly know how many are left. An assessment is being made as to how many of them still have their houses intact, and I am sure, in the course of the conflict, they would also have been very badly damaged. So, it is necessary for us to think in terms of rehabilitating their houses also.

Some Members have raised the issue of the Report of the UN Secretary General's Panel of Experts on Accountability in Sri Lanka. India has taken note of the Report. We have heard the views of the Sri Lankan Government including the assessment of the Foreign Minister of Sri Lanka who was here in the month of May this year. During my meeting with him, and also in Colombo, when TROIKA met, I had taken it up in the strongest possible terms that it is necessary for Sri Lanka to address the human rights violation. India has always championed the cause of human rights which is so very dear to us. Right from the days of Mahatma Gandhi and Pandit Nehru, we have always advocated very vehemently about human rights. So, we have exactly done that with the present regime in Sri Lanka.

It may be recalled that the Panel was set up by the UN Secretary General with the objective of advising him on developments in Sri Lanka particularly in the last stages of conflict in 2009.

In general, there are still questions on the Report and the issue has not so far come up for discussion in the formal agenda of any relevant UN inter-Governmental body. It could come up. I will go to the United Nations in the month of September. I am sure that not only India but also many other countries which are equally concerned about the human rights violations there. There are other countries which are as much worked up as India is. We certainly will work in coordination with all the other countries which share our perception. Our perception is a very constructive one. We do not want to endanger our relationship with Sri Lanka. But none-the-less, every country has certain

parameters on human rights. All of us are bound by those parameters. To that extent, the Government of India stands committed for the human rights. If there are violations, I think, the Sri Lankan Government initially must make its own enquiries, its own investigations in a manner which is transparent. So, it should not be a make-believe one. It has to be transparent and it has to be a very honest approach. The Government of Sri Lanka have conveyed to us that they are willing to do that and they are in the process of doing that.

The Government of India has repeatedly called upon the Government of Sri Lanka to be mindful of the welfare and safety of the civilians caught in the cross fires when the clashes were raging, when the conflict was raging. I think innocent persons were caught in the cross fires. … (*Interruptions*) So, it is necessary that we will have to address that enough. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

(Interruptions) ... *

SHRI S.M. KRISHNA: Members have referred to a media interview by the Defence Secretary of Sri Lanka. We have noted it. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Members, we will have this at the end.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, you keep replying. Otherwise, this would become a full-fledged discussion once again.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: In the end we will have some questions. Let him complete. Then, if you think it proper, then in the end we can have a few questions, not many.

… (*Interruptions*)

SHRI S.M. KRISHNA: Shri Patasani, I heard your speech yesterday. … (*Interruptions*)

* Not recorded

MADAM SPEAKER: Mr. Minister, if you address the Chair, I think, it will solve many problems.

… (*Interruptions*)

SHRI S.M. KRISHNA: On the concerns expressed by some Members on the issue of Indian fishermen in the waters between India and Sri Lanka, Madam Speaker allow me to reiterate at the very outset that the welfare, safety and security of our fishermen, have always received the highest priority by the Government.

There have been reports of incidents of attacks on the Indian fishermen allegedly by the Sri Lankan Navy. The Government of India, through diplomatic channels, have consistently and immediately taken up any reported incident involving arrest or violence against the Indian fishermen to ensure their safety and security; and their early release and repatriation.

Madam, Speaker, the Government has conveyed to the Sri Lankan Government that the use of force cannot be justified under any circumstance and that all fishermen should be treated in a humane manner. The Sri Lankan side while denying that their Navy was involved, has promised to seriously investigate some of the incidents which my learned friend, Shri Baalu has drawn the attention of this august House. A lot of other hon. Members have also drawn the attention.

During the meetings with my Sri Lankan counterpart in February, 2011 in Thimpu and again in the month of May, 2011 when he came to India, I not only conveyed our deep concern at the violence unleashed against our fishermen, but also stressed the need to ensure that these incidents do not recur. In the Joint Press Release issued in May 2011, India and Sri Lanka agreed that the use of force could not be justified under any circumstances and that all fishermen should be treated in a humane manner. I think that is the basic understanding that Sri Lanka and India have come about the problems of the fishermen.

Here, it may not be out of place for me to convey to this august House that very often fishermen go off to catch fish. They are not concerned Madam, Speaker about international maritime boundaries. They are ignorant of that. As a

result of that there are cases where our fishermen, who are Tamil speaking, have crossed over the maritime boundaries into the Sri Lankan waters and the Sri Lankan Tamil-speaking fishermen have similarly crossed over to our waters. I think we, as Government, tried to bring about an understanding between the Unions of fishermen between the two countries. I think they had a meeting which was not very encouraging, but we have not given it up. We will be continuing to insist that the fishermen's Unions must have periodical meetings so that the issues can be sorted out.

Madam, according to our records, there were six cases of Indian fishermen who died during 2011. We learnt about the death of Shri Pandiyan on 12th January, 2011 and that of Shri Jayakumar on 23rd January, 2011. Four other fishermen from Tamil Nadu were reported missing on 5th April, 2011 and their bodies were found subsequently. In all these cases, the High Commission of India in Colombo took up the matter almost on the very same day when they received information about the death of Indian fishermen.

It is very important to note here that following the India-Sri Lanka Joint Statement on Fishing Arrangements of 26th October, 2008, the incidents involving Indian fishermen declined significantly. In this connection, if I can place certain facts year-wise, it might provide an occasion for the House to appreciate how the situation has improved over a period of time. In the year 2008, the fishermen arrested were 1,456, reported missing was one and reported death was five.

13.00 hrs.

In 2009, Madam, the numbers came down drastically. It was 127 and no one was reported missing and no one was reported dead. In 2010, it was 34 and there was nobody who was missing and one reported dead. In 2011, till 16th of August, the reports available with the Ministry of External Affairs are that 164 have been arrested and nobody is reported missing and 6 reported dead.

As per the information available as of now, there are no Indian fishermen in Sri Lankan jails on charges of fishing-related violations. At the same time, in 2010, a total of 352 and in 2011 till 16th August, 131 Sri Lankan fishermen were apprehended by our authorities. A total of 104 Sri Lankan fishermen are still in Indian custody.

Madam Speaker, we have been encouraged by the existence of the structured dialogue mechanism between the Government of Sri Lanka and the Tamil National Alliance. We were concerned with the recent break down and the resulting stalemate. But now we encourage both the parties to the dialogue to resume purposeful discussions towards arriving at a genuine political settlement.

The Government of India is of the view that the end of the conflict in Sri Lanka provided an opportunity to pursue a lasting political settlement in Sri Lanka within the framework of a united Sri Lanka, acceptable to all the communities in Sri Lanka including the Tamils. It has to be, however, kept in mind that this is a longstanding issue and Sri Lanka is going through its internal processes. The sooner Sri Lanka can come to a political arrangement within which all the communities feel comfortable, and which works for all of them, the better. The Government of India will do whatever it can to support this process.

In this context, our emphasis has been to persuade the Sri Lankan Government to move towards a new system of institutional reforms, including a devolution package, building upon the 13th Amendment. The Joint Press Statement issued on May 17 after the Sri Lankan External Affairs Minister's visit to Delhi stated this position. We would continue to impress on the Sri Lankan Government

to pursue these institutional reforms so that the Tamil people will have a feeling that they are equal citizens of Sri Lanka and that they can lead a life of dignity and self-respect as equals in that Island nation.

We have also noted the President of Sri Lanka's decision announced yesterday to withdraw the state of emergency when it lapses at the end of this month. This, in our view, is a very welcome step. We hope that this will be followed by effective steps leading to genuine national reconciliation in that country.

Some hon. Members referred to fishing rights for the Indian fishermen at Katchativu Island. … (*Interruptions*) I wish to bring it to the notice of this august House that our fishermen have access to visit the Island for two purposes, according to the 1974 Agreement.

According to 1974 Agreement, it was decided between our two Governments that Katchatheevu is part of Sri Lankan Island. It falls within the territorial jurisdiction of Sri Lanka and the international waters. But we entered into an understanding……. (*Interruptions*)

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): This was not a political solution; this was a bureaucratic solution at that point of time. It was by exchange of letters between the two External Affairs Secretaries. It was only an Executive Order. It was not a political decision. … (*Interruptions*) We will have a discussion further separately. Before he concludes, I want to ask only three questions. Please allow me. The Minister has yielded. … (*Interruptions*) Whether the Government of India have any relevant information for a time-bound political solution as per the 13th Amendment, and that too in the context of a statement by the Defence Secretary, who has said, "LTTE has gone, political solution not necessary?"

My second question is whether the Government of India will come forward to plead before the United Nations Organization for an enquiry by an international agency pertaining to the large scale human rights violation? Lastly, are you aware

of the genocide of Tamil race in Sri Lanka from 1983 to 2009 by Sri Lankan Administration? Is it not your responsibility? … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: All right. Baalu *ji,* let the hon. Minister complete his reply.

… (*Interruptions*)

SHRI T.R. BAALU : I am completing, Madam. This is the last sentence. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: All right.

SHRI T.R. BAALU : Won't you allow the last sentence? These are the questions for which he has to answer. I am the mover of the Motion. Don't you give time?

MADAM SPEAKER: First, let him complete. Then, I would give you a chance.

… (*Interruptions*)

SHRI T.R. BAALU : That is why, I am completing, Madam. Is it not your responsibility to expose the perpetrators before the world as war criminals for having committed human rights violations? These are the three questions. Let him answer, Madam.

SHRI S.M. KRISHNA: I was talking about Katchatheevu. I wish to bring to the attention of this august House that our fishermen have access to Katchatheevu Island only for purposes of taking rest, according to an understanding reached between two countries, and also to dry their nets. Then, to attend the annual Saint Anthony Festival there and that the rights do not cover fishing around Katchatheevu Island.

We will have to also bear in mind the fact that as per the Agreements we have concluded with Sri Lanka in 1974 and 1976, Katchatheevu Island lies on the Sri Lankan side of the maritime boundary. These Agreements were laid before Parliament. Therefore, as far as the Government of India is concerned, the issue of maritime boundary between India and Sri Lanka, and consequently, that of sovereignty over Katchatheevu Island is a matter which has been settled.

In 2009, a Delegation of Members of Parliament from Tamil Nadu visited Sri Lanka, including the camps where the Internally Displaced Persons were

staying. In their Report, they had mentioned that the facilities at the camps were reasonable.

During a very recent meeting, the High Commissioner of Sri Lanka in India, who called on the hon. Chief Minister of Tamil Nadu, has conveyed the invitation of President of Sri Lanka to the Chief Minister of Tamil Nadu to visit Sri Lanka.

He has also invited a Parliamentary Team not only from Tamil Nadu but also from other areas of this country to visit Sri Lanka, including Northern Sri Lanka. The hon. Leader of the Opposition Shrimati Sushma Swaraj has been invited by the hon. Speaker of Sri Lanka to visit Sri Lanka and Shrimati Sushma Swaraj has accepted the invitation. She is scheduled to visit Sri Lanka in the third week of September. … (*Interruptions*)

SHRI T.R. BAALU : Madam, I had asked three questions and he is not answering to those questions. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Let him complete.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please give him a chance to answer.

… (*Interruptions*)

SHRI T.R. BAALU : Madam, the External Affairs Ministry uses a very flowery language and he is going by whatever the External Affairs Ministry officials have briefed him. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: No, this will not go on record.

(Interruptions) ... *

SHRI T.R. BAALU : The Government should find a political solution to this problem. … (*Interruptions*)

SHRI S.M. KRISHNA : Madam, I am amazed at Mr. Baalu's interpretation. I am the External Affairs Minister of this country. I have the brief from the External Affairs Ministry and I have to go according to the brief. I cannot create surprises.

* Not recorded

We are dealing with the relationship between two sovereign countries and, I think, that has to be appreciated. … (*Interruptions*)

SHRI T.R. BAALU : They have committed human rights violations. UN committee has already brought out the report. We are not satisfied with the reply of the Minister… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.15 p.m.

13.12 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till
Fifteen Minutes past Fourteen of the Clock.

14.17 hrs.

The Lok Sabha re-assembled at Seventeen Minutes past Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy Speaker *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise Matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over slips at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

(i) Need to accord approval to the proposal of State Government of Kerala for sanction of funds for construction and repair of roads in the State

SHRI P.C. CHACKO (THRISSUR): The State of Kerala has about 1.5 lakh kilometers of roads with hundred percent connectivity to the villages. Out of these, the PWD maintains about 4341 kms State Highways and 18,900 kms MDR. The State receives rainfall for more than seven months in a year which causes heavy damage to the roads. Earlier, the Central Government Schemes like Central Road Fund, Interstate Connectivity Scheme and Economic Importance Scheme have helped in the improvement and development of many roads in the State.

The State Government has submitted a proposal of Rs. 1620.57 crores for improvement of the State roads under the above schemes. I urge upon the Central Government to take an early favourable action in this matter.

* Treated as laid on the Table

(ii) Need to construct dwelling units for those people who have lost their houses due to flood and incidents of fire in Bahraich Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री कमल किशोर 'कमांडो' (बहराइच) : मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बहराइच उ.प्र. का एक अत्यंत पिछड़ा इलाका है । यह भारत नेपाल सीमा पर बसा है। नेपाल की ओर से आने वाली नदियों के पानी से इस इलाके में बाढ सं भारी तबाही होती है। जिससे हजारों घर गिर जाते हैं, इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष आगजनी से भी अनेकों गांवों में तबाही होती है। बहुत से घर जल कर नष्ट हो जाते हैं। इनको नाम मात्र की सहायता दी जाती है एवं आवास बनाने के लिए किसी भी योजना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। जिसके कारण यह लोग खुले आसमान के नीचे रहते हैं। यहां के लोग काफी गरीब हैं। यह लोग स्वयं अपना घर बनवाने में असमर्थ हैं।

मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र बहराइच में बाढ तथा आगजनी के कारण जनके मकान नष्ट हो गये हैं उन पीडित परिवारों को मकान किसी योजना में बनवाने की अनुमति दी जाये।

(iii) Need to restore examination system in CBSE schools and to do away with automatic promotion system

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMATHITTA): I request the Central Government to withdraw automatic promotion system in the CBSE schools. This system will create total chaos in our education system. I appreciate the intention of the Government to provide all children in the country a full course of primary schooling. This aim should be fulfilled in letter and spirit along with the meaningful provisions of Right to Education Act. However, excluding examination from schooling system will have an adverse impact on our budding generation. Examination is a method to evaluate the understanding of a student, so that a teacher can examine the strength and weakness of his or her disciples. It is helpful to eradicate the ignorance of students through examination. But, automatic promotion system does not have this advantage. Mere adherence to automatic promotion system cannot fulfil the grand mission, in which Right to Education Act aims intended to achieve. Since Right to Education Act aims to provide qualitative

change in our society, I request you to kindly reintroduce examination system in our CBSE schools.

(iv) Need to stop the smuggling of fireworks and put a ban on its sale in the country to protect the interest of indigenous fireworks industries particularly that of Sivakasi

SHRI MANICKA TAGORE (VIRUDHUNAGAR): In our country, every year during Diwali, people celebrate with great happiness and use firecrackers at that time. This has been the practice for many years and firecrackers made at Sivakasi in Tamil Nadu are used across the country. The factories manufacture firecrackers at Sivakasi employ around 2 lakh people on this project where many men and women work hard to make firecrackers for the happiness of the people in all parts of the country for one day i.e. on Diwali. People in Sivakasi work for 300 days in a year to produce the firecrackers and the economy of Sivakasi depend on this industry.

Now-a-days, the fireworks industry in Sivakasi is facing severe problem due to smuggling of fireworks from China into India by ships and is sold across the country at very cheap price.

I urge upon the Government to make necessary arrangement to keep a vigil on the seaports of India through which the Chinese fireworks are smuggled and the State police can be advised to take steps to check and take action on those who sell the smuggled goods in our country in order to protect the livelihood of employees working in fireworks industries in Sivakasi.

(v) Need to provide safe drinking water in the country

SHRI BHAKTA CHARAN DAS (KALAHANDI): Drinking water or potable water is water of sufficiently high quality that can be consumed or used with low risk of immediate or long-term harm. Several parts of India are facing an immense challenge to meet the basic needs of water. One of the impediments in meeting the national goal of 'Health For All' is the inability of successive governments in providing safe drinking water to all villages and settlements in the country. Rivers which once were source of drinking water and irrigation have turned into muddy water. The same is processed but still it is not safe to be used for drinking purpose.

Though, rural water supply is a state subject, considering the magnitude of the problem, the Central Government has introduced several schemes like the Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP), the Minimum Needs Programme (MNP) and the Pradhan Mantri Gramodaya Yojna (PMGY). The ARWSP is currently implemented through the Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission. Though there has been an enormous flow of funds to the programme, but the achievements have been meagre.

Even in the capital city of Delhi, Municipal Corporation is supplying non-drinkable ground water in West Delhi and charging for that. People are forced to buy drinking water.

Besides, a number of water supply systems have failed due to poor operation and maintenance. Therefore, I urge upon the Government to implement a participatory, demand-driven approach instead of a centrally managed scheme.

(vi) Need to make river Sariswa passing through East Champaran District, in Bihar, pollution free

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सरिसवा नदी जो नेपाल से नकलकर रक्सौल प्रखण्ड जिला - पूर्वी चम्पारण, बहार में आती है, इसके प्रदूषित जल से हजारों की संख्या में लोग तथा लाखों की संख्या में पशु-पक्षी बीमार हो रहे है अथवा गंभीर बीमारी से मृत्यु हो रही है । नेपाल में उक्त नदी के तट पर कई फैक्ट्रियाँ लगी हैं व अन्य कारणों से भी इस नदी का जल प्रदूषित हो चुका है ।

मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है क उक्त सरिसवा नदी को प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में जरूरी कदम उठाएं ।

(vii) Need to fix quota of admission in Kendriya Vidyalayas for children with deceased father and children of State Government employees

श्रीमती ज्योति धुर्वे (बेतूल): केन्द्रीय विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश प्रक्रिया में केवल केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाती है । मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय विद्यालयों में उन बच्चों को भी जिन बच्चों के पिता न हो अथवा जिनके पिता उनके साथ न हो या फिर जिनके पिता राज्य सरकार के सेवारत हों, प्रवेश में प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिससे इन वर्गो से आने वाले बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ने का सुअवसर प्राप्त होगा एवं इन बच्चों का भविष्य सुधरेगा एवं इन्हें अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास किया जा सकता है ।

आज शिक्षा के अधिकार के युग में ऐसे बच्चों को केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु कोटा दिया जाना चाहिए, ऐसी मैं माँग करता हूं ।

(viii) Need to include Dumka, Godda, Deoghar, Jamtara, Pakur and Sahibganj districts of Jharkhand under Integrated Action Plan or naxal hit districts

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): Santhal Pargana region is severely under the influence of Naxalism. No doubt, the spread of Naxalism is an indication of the sense of desperation and alienation that is sweeping over large sections of Jharkhand's Santhal Pargana region, who are dispossessed in their own homeland. Approximately 75% people of this region are below poverty line. The literacy rate is the lowest and the government projects are not helping at all to overcome this problem because of deep rooted corruption and non-utilization of resources. All Central Schemes, like Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Schemes, Backward Region Grant Fund etc. are unutilized or highly underutilized. Due to this very reason, local people give shelter to Naxalities in utter ignorance as they are not connected with the development process. If something concrete is not done at the earliest, the situation may turn explosive. .

In this background, I strongly request that all the six districts (Dumka, Godda, Deoghar, Jamtara, Pakur and Sahibganj) of Santhal Pargana region should also be included in the list of District seriously infested with the Naxalism and should be included under Integrated Action Plan (IAP).

(ix) Need to deploy 'Fire Watcher' and 'Guards' for safety of forests and crops in Himachal Pradesh under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): मैं ग्रामीण विकास मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यो की सूची में वनों से रक्षा के लिए 'फायर वाचर' एवं किसानों की फसलों की जंगली जानवरों से रक्षा के लिए रखवाले नियुक्त करने का प्रावधान किया जाना चाहिए, जो वर्तमान में नहीं है । मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि पहाड़ी क्षेत्रों, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में गर्मियों में कई बार वनों में अकस्मात भयंकर आग लग जाती है जिससे अरबों रूपए की वन सम्पदा एवं जीवनरक्षक जड़ी-बूटियाँ तथा दुर्लभ प्रजाति के जंगली जानवर भस्म हो जाते हैं, लेकिन आग बुझाने अथवा उस पर काबू पानेके लिए वन विभाग के पास पर्याप्त साधन व मानव संसाधन नहीं है तथा स्थानीय लोग वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के लागू होने के बाद जंगलों को बचाने में सहयोग इसलिए नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें जंगल लगाने का तो अधिकार है, लेकिन उन जंगलों से लाभ उठाने पर रोक है । इसी प्रकार पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों की फसलों को जंगली जानवर तबाह कर देते हैं, लेकिन उनसे रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जंगली जानवरों को मारने पर कानूनी रोक है । अतः हिमाचल प्रदेश में आग से वनों को बचाने के लिए 'फायर वाचर' तथा किसानों की फसलों को बचाने के 'रखवाले' नियुक्त करने का प्रावधान मनरेगा योजना में किए जाने का अनुरोध है ।

(x) Need to construct a rail over bridge at level crossing in Matakutta, district Chandauli, Uttar Pradesh

श्री रामकिशुन (चन्दौली): उत्तर प्रदेश के जनपद चन्दौली में मुगलसराय-गया रेल खण्ड पर मुगलसराय का मटकुट्टा रेलवे फाटक अधिकांश समय बंद रहता है जिससे अलीनगर-सकलडीहा मार्ग पर रेलवे फाटक के दोनों तरफ वाहनों सहित आम जनता की लंबी कतारें लग जाती हैं । रेलवे फाटक के बंद होने से स्कूल आने-जाने के लिए छात्रों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है । गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों/मरीजों को अस्पताल समय से नहीं पहुंच पाने के कारण भारी जान-माल की क्षति उठानी पड़ती है । मुगलसरायजनपद चन्दौली का एकमात्र मुख्य शहर होने के कारण मुगल सराय सकलडीहा मार्ग से हजारों की संख्या में यहाँ आम जनता अपने कारोबार-रोजगार एवं बाजारों में वस्तुओं आदि की खरीद हेतु आती रहती है । मुगलसराय शहर आने का मुख्य मार्ग मट्कुट्टा रेलवे फाटक ही है जिसके अधिकांश समय बंद होने के कारण कभी-कभी आम जनता आक्रोशित एवं आंदोलित हो जाती है जिससे कानून-व्यवस्था खराब होने की आशंका बनी रहती है ।

अतः भारत सरकार से मेरी मांग है कि उत्तर प्रदेश के जनपद चन्दौली में मुगलसराय-गया रेल खण्ड के मट्कुट्टा रेलवे फाटक के स्थान पर ओवरब्रिज का निर्माण कराने का कार्य कराया जाय ।

(xi) Need to set up a 'Handicraft Museum' at Moradabad in Uttar Pradesh showcasing the artefacts made by artisans of the city

डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क (सम्भल): मेरा संसदीय क्षेत्र शहर सम्भल व जिला मुरादाबाद जो कि पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, आर्टीसन सिटी कहलाता है जो कि सरकार को हर साल लगभग तीन हजार करोड़ रूपये विदेशी मुद्रा की शक्ल में देता है । यहाँ एक मुश्किल की बात ये है कि यहां के लाखों आर्टीसन्स (हस्तशिल्प) अपने बनाये हुए एन्टीक आयटम्स देशी व विदेशी खरीददारों को पूरी तरह नहीं दिखा पाते और न ही खरीददारों को ये पता चल पाता है कि जैसे आइटम वह लेना चाहता है वह कहां-कहां मिल सकते हैं। इसलिए दुनिया भर में ब्रास सिटी के नाम से मशहूर जिला मुरादाबाद में एक "हस्तशिल्प संग्रहालय" खोलने की मांग बरसों से यहां के लाखों हस्तशिल्पी करते आ रहे है। यहां पर क्राफ्ट म्यूजियम यानी "हस्तशिल्प संग्रहालय" बनाना बेहद जरूरी है।

अतः यह गुजारिश है कि जिला व शहर मुरादाबाद में एक बड़ा "हस्तशिल्प संग्रहालय" जल्द से जल्द खोलने की मेहरबानी करें ताकि यहां व शहर सम्भल के लाखों हस्तशिल्पियों को अपने-अपने एन्टीक आइट्म्स खरीददारों को दिखाने का मौका मिल सके।

(xii) Need to augment passenger facilities at Nalanda Railway Station in Bihar

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): मेरे संसदीय क्षेत्र नालन्दा में जो कि पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मण्डल में आता है, निम्नलिखित यात्री सुविधाओं का नितान्त अभाव हैः -

पी.आर.एस., हरनीत, ईस्लामपुर, राजगी, बिहार शरीफ और नालन्दा केन्द्रों में केवल एक काउंटर है जो कि सुबह आठ बजे से दोपहर बाद केवल दो बजे तक ही काम करता है जबिक सभी काउंटरों का सेल 100 टिकटों से ज्यादा है। उपरोक्त सभी काउंटरों का कार्यकाल शाम आठ बजे तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। सभी पी.आर.एस. केन्द्रों में एक अतिरिक्त काउंटर लगाये जाने की आवश्यकता है। नालन्दा पी.आर.एस.. केन्द्र में ई.सी.आर.सी. पोस्टिंग की जाए। बिहार शरीफ एवम् हरनौत स्टेशन तक की पहुंच सड़क एकदम खस्ताहाल में है, इसे तुरन्त दुरूस्त किया जाए।

नालन्दा रेलवे स्टेशन पर पेयजल का कोई साधन नहीं है। यहां पर पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की जाये।

मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि सरकार मेरे संसदीय क्षेत्र में सभी यात्री सुविधाओं को अविलम्ब बहाल करे।

(xiii) Need to set up a Rubber Research Institute in Kanyakumari, Tamil Nadu

SHRIMATI J. HELEN DAVIDSON (KANYAKUMARI): In Kulasekaram, in Tamil Nadu thousand hectares of Rubber trees are grown and rubber is harvested in large scale every day. The majority of population in Kanyakumari district is depending on rubber related occupation. Research and Development in these areas will improve the socio-economic status of the people. In Kanyakumari, 19,233 hectares rubber plantations are available which produce 24,020 tonnes of rubber annually. There are 65 numbers of large growers and 570 numbers of small growers in Kanyakumari district. In my district, the largest producer is Arasu (Government) Rubber Corporation. It provides direct employment to around 2000 people and indirect employment to around 2000 people. In order to increase the quality and growth of Rubber, an institution for rubber research is very much needed in my Constituency. Tamil Nadu Rubber Research Institute will be of much help and assistance to the rubber growers. It will contribute manifold in increasing the productivity of Rubber in Tamil Nadu.

(xiv) Need to release funds to provide educational facilities to people in Yavatmal-Washim Parliamentary Constituency in Maharashtra

श्रीमती भावना पाटील गवली (यवतमाल-वाशिम): मेरा संसदीय क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य है। यहाँ आदिवासयों सहित शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे परिवारों को उचित शिक्षा का अभाव है। केन्द्र सरकार द्वारा यहाँ शिक्षा के लिए उचित कार्य जैसे केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, जवाहर विद्यालय आदि खोले जाने की आवश्यकता है। खासकर आदिवासी क्षेत्रों में ध्यान देना ज्यादा जरूरी है और इसके लिए केन्द्र सरकार से अत्यधिक धनराशि आवंटन करने की आवश्यकता है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करती हूं कि इन आदिवासी सहित ग्रामीण, शहरी क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था की पूर्ति की जाये एवं उपयुक्त मांगों को मानकर आवश्यक धनराशि तुरंत आवंटित कर वंचित परिवारों को शिक्षा दी जाये और उनके शिक्षण हेतु उपयुक्त कदम उठाये जायें।

(xv) Need to formulate a comprehensive scheme for development of naxal-affected States in the country

श्री कामेश्वर बैठा (पलामू): मैं केन्द्र सरकार का ध्यान देश में दिनों-दिन बढ़ती नक्सलवाद की समस्या की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा।

नक्सलवाद, बेरोजगारी, भुखमरी, सूखा, सामाजिक-आर्थिक विकास एवं शिक्षा की कमी से उत्पन्न समस्या है।

नक्सलवाद को ग्रीन हंट अभियान चलाकर मिटाया नहीं जा सकता है। इससे नक्सलवाद का और व्यापक रूप से भोली भाली जनता के बीच प्रसार प्रचार होगा तथा नक्सलवाद की समस्या बढ़ेगी।

नक्सलवाद को मिटाने के लिए नक्सल प्रभावित राज्यों में बेरोजगारी खत्म करने के लिए कुटीर उद्योग, बड़े बड़े उद्योग लगाने होंगे, पानी तथा सिंचाई के अभाव में मरू भूमि हुई राज्यों तथा जिलों में सिंचाई पानी की स्थायी व्यवस्था करनी होगी, जनता पुलिस के बीच विश्वास पैदा करना होगा। प्रत्येक पांच सौ आबादी वाले गांवों में स्कूल खोलने होंगे, सबके लिए रोजी-रोटी की व्यापक रूप में व्यवस्था करनी होंगी। इस तरह विकास का कार्य करने से नक्सलवाद को खत्म किया जा सकता है।

विकास के लिए आई.ए.पी. की दो लाख तक की ही योजनाएं ली जायें एवं इसके चयन में स्थानीय सांसदों की भागीदारी निश्चित हो, ताकि अधिक से अधिक गरीब जनता को इस योजना का लाभ मिल सको बड़ी-बड़ी योजनाएं बड़े-बड़े लोगों के लिए टेन्डर (निविदा) के लिए नहीं ली जाएं।

अतः मैं भारत सरकार से नक्सल प्रभावित राज्यों में एक विशेष विकास का जाल बिछाने के लिए मांग करता हूं ताकि विकास एवं उद्योग के सहारे नक्सलवाद को मिटाया जा सके।

(xvi) Need to run Kalingautkal Express (Train Nos. 18477 and 18478) from Cuttack to Chakradharpur via Keonjhar-Banspani-Padapahar-Chaibasa

श्री मधु कोड़ा (सिंहभूम): ज्ञानेश्वरी ट्रेन हादसे के उपरांत पिछले एक वर्ष से अधिक की अवधि से ट्रेन संख्या 18477 एवं 18478 कलिंग उत्कल एक्सप्रेस को झारसुगड़ा-सम्बलपुर-कटक-भुवनेश्वर के परिवर्तित रेलमार्ग पर चलाया जा रहा है। इस ट्रेन त्रसंख्या 18477 एवं 18478) को कटक-क्योंझर-बांसपानी-पदापहाड़-चाईबासा-चक्रधरपुर रेलमार्ग पर चलाए जाने से क्योंझर एवं पश्चिमी संहभूम जिलले के यात्रियों को यात्री ट्रेन की सुविधा उपलब्ध होगी। क्योंझर एवं चाईबासा से लम्बी दूरी की यात्री ट्रेन न होने से आम लोगों को का कठिनाई है। ज्ञातव्य हो कि क्योंझर एवं चाईबासा खनन उद्योग के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र में रेलवे द्वारा माल ढुलाई की अत्याधुनिक व्यवस्था है, परन्तु यात्री ट्रेन सुविधा नगण्य है। जनहित में ट्रेन संख्या 18477 एवं 18478 कलिंग उत्कल एक्सप्रेस को कटक-क्योंझर-बांसपानी-पदापहाड़-चाईबासा-चक्रधरपुर रेलमार्ग पर चलाया जाना चाहिए

14.18 hrs.

DISCUSSION UNDER RULE 193 -- contd.

(ii) Jan Lokpal Bill

उपाध्यक्ष महोदय : किसी सांसद की बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। सिर्फ मंत्री जी का जवाब जाएगा।

...(व्यवधान) *

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): आज इस सदन में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसी बात पर जोर दिया। ...(व्यवधान) उसमें श्री यशवंत सिन्हा थे और कुछ सदस्य थे जो पूछना चाह रहे थे कि सरकार क्या कर रही है? ...(व्यवधान) इसलिए यह अनिवार्य हो गया था कि हम स्पीकर साहिबा को दरख्वास्त करें कि यह मसला आज लिया जाए और दूसरी तरफ स्पीकर साहिबा ने खुद ही यह बात यहां कही थी कि लोगों ने यहां नोटिस लाए हुए हैं, वे उसे लेना चाहती हैं। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग चुप रहें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हूं, क्या आप मुझे नहीं बोलने देंगे?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप जरा चुप हो जाइए, हमें बोलने दीजिए। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आज सुबह स्पीकर महोदया ने हाउस में एनाउंस किया था कि हमारे यहां नोटिस आ गया है, इसकी सप्लीमेंट्री लिस्ट बना कर, उसे सर्कुलेट करके हम लोग इसे आज रखेंगे।

...(व्यवधान)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : They do not want any discussion on this.... (*Interruptions*) What is your stand?... (*Interruptions*)

---

* Not recorded

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI KAPIL SIBAL): Tell us, what is your stand? You do not want a discussion?.... (*Interruptions*) आप बाहर कुछ बोलते हो और हाउस के अंदर कुछ और बोलते हो।...(व्यवधान)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Shri Yashwant Sinha and other senior members of BJP who are objecting to it.... (*Interruptions*) It was your demand to the Government... (*Interruptions*) You were wanting it in the morning.... (*Interruptions*) You were asking as to what is the proposal... (*Interruptions*) Now, their tactic is duplicity.... (*Interruptions*) Sir, this is the duplicity of BJP... (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय: केवल श्री संदीप दीक्षित जी की बात रिकार्ड में जाएगी, अन्य किसी की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान) *

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पहले दरख्वास्त करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: आप सुबह मांग कर रहे थे।...(व्यवधान)

14.23 hrs.

At this stage Dr. Sanjay Jaiswal and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपनी सीट पर जाकर बोलिए।

...(व्यवधान)

* Not recorded

14.23 hrs.

At this stage, Shri Thirumaavalavan came and stood on the floor near the Table … (Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned till 3.30 p.m.

14.24 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Fifteen of the Clock.

15.30 hrs.

The Lok Sabha re-assembled at Thirty Minutes past Fifteen of the Clock.

(Shri Inder Singh Namdhari *in the Chair*)

MOTION RE: TWENTIETH REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

MR. CHAIRMAN: Now, the House will take up Private Members' Business

Shri Uday Singh to move the Motion.

SHRI UDAY SINGH (PURNEA): I beg to move:

> "That this House do agree with the Twentieth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on 25 August, 2011."

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That this House do agree with the Twentieth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on 25 August, 2011."

The motion was adopted.

15.32 hrs.

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION

(i) Special status to state of bihar—contd.

MR. CHAIRMAN : Now the House will take up Item No. 13 – Shrimati Putul Kumari to continue.

श्रीमती पुतुल कुमारी (बांका): सभापति महोदय, बिहार पर चल रही इस चर्चा को आगे बढ़ाने का मुझे फिर से मौका मिला है।

जैसा कि मैं पिछली बार कह रही थी कि हमें इस चर्चा में भाग लेते हुए खुशी भी है और दुख भी है कि आजादी के 6 दशक के बाद भी हम इस चर्चा को कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक राज्य इतना पिछड़ा है कि कभी हम उसके लिए आर्थिक सहायता मांगते हैं, कभी इसको विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते हैं। ऐसा देश भारतवर्ष, जो विकासशील होने का दावा कर रहा है, जिसके पास विदेशी मुद्रा का इतना बड़ा भंडार है, फिर भी कुछ एक प्रान्त इतने पिछड़े हुए हैं, जिसके लिए बार-बार हमारी आवाज इस महापंचायत में उठती है।

बिहार की इस बेबसी, लाचारी के पीछे के कारणों को बताने के पहले मैं थोड़ी सी बातें इसके गौरवपूर्ण इतिहास और गौरवपूर्ण अतीत की कहना चाहती हूं, कुछ परतें खोलना चाहती हूं। आज हम जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं, जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हम यहां पर आये हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में बनकर आये हैं, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please maintain silence in the House.

श्रीमती पुतुल कुमारी : सदियों पहले भारत में बिहार के लिच्छवी राजवंश ने इस गौरवपूर्ण व्यवस्था की शुरूआत की थी। बिहार में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरूआत सदियों पहले वैशाली राज्य में हो गई थी। बिहार में ही वह अंग देश है, जहां कि अंगिका बोली जाती है। हमारे शाहनवाज़ भाई वहां से आते हैं, जो महावीर दानी कर्ण की भूमि कही जाती है, जिन्होंने यह जानते हुए भी कि उनके दरवाजे पर खड़े हुए याचक स्वयं भगवान हैं और कवच और कुंडल अगर वे दे देंगे तो वे मृत्यु को प्राप्त होंगे। यह जानते हुए भी महावीर दानी कर्ण ने कवच और कुंडल दान में दे दिये थे, बिहार की ऐसी भूमि है। बिहार में ही मिथिला प्रान्त है, जहां मंडन मिश्र जैसे ज्ञानी रहा करते थे। उनकी विद्वता की चर्चा सुनकर उनसे शास्त्रार्थ करने के

लिए शंकराचार्य आये। आदि शंकराचार्य ने गांव में घुसते ही पूछा कि मंडन मिश्र का घर कहां है। गांव के लोगों ने बताया कि आप सीधे चले जाइये, उस द्वार पर, जहां पर तोता बैठकर वेदों का पाठ कर रहा है जहां वह आत्मा और परमात्मा की प्राचीनता की गाथा कर रहा है, वही घर मंडन मिश्र का घर है। बिहार गौतम बुद्ध और महावीर जैन की तपोभूमि है। यहां से सत्य और अहिंसा का प्रचार-प्रसार पूरे विश्व में किया गया। यहां विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय जैसे महाविद्यालय हैं, जो आज भी शिक्षा के जगत में एक मॉडल का रूप बन सकते हैं।

महोदय, अब मैं आधुनिक भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका के बारे में बताना चाहती हूं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : पुतुल जी, आप बिहार की महिमा का बखान कर रही हैं, तो लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। आप आगे आकर अपनी बात कहिए।

श्रीमती पुतुल कुमारी : महोदय, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में महात्मा गांधी अफ्रीका से पढ़कर लौटे। उन्होंने अपने महागुरू के पास जाकर कहा कि मैं स्वतंत्रता संग्राम की इस लड़ाई में हिस्सा लेना चाहता हूं। उनके गुरू गोखले ने कहा कि अभी-अभी बाहर से पढ़कर आए हो, जाकर पूरा भारतवर्ष घूमो, लेकिन एक रात से ज्यादा कहीं मत रूकना, एक साल के बाद मुझसे मिलना और बताना कि तुम्हारा निर्णय क्या है? महात्मा गांधी एक साल के बाद गुरू गोखले से मिले और उन्होंने उनसे कहा। ..(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया शांत रहे। पुतुल जी बहुत अच्छी-अच्छी बातें कर रही हैं। मैं सदन से आग्रह करूंगा कि तन्मयता के साथ इनकी बात को सुनें।

श्रीमती पुतुल कुमारी : महोदय, यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है। मैं चाहती हूं कि सभी लोग इसे पूरे ध्यान से सुनें। आज बिहार जैसी दीन-हीन दशा में है, बिहार हमेशा से वैसा नहीं था। बिहार के गौरवमय अतीत के बारे में आपको बताना चाहती हूं। एक साल के बाद महात्मा गांधी गोखले जी के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि मेरा इरादा दृढ़ है। मैं स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई का हिस्सा बनना चाहता हूं और मैंने तय किया है कि इस आंदोलन की शुरूआत बिहार से करूंगा, क्योंकि वहां की मिट्टी में मुझे ऊर्जा दिखाई देती है।

महानुभाव, बिहार की मिट्टी ऊर्जावान है, राजनीतिक स्त्रोत से ओतप्रोत है। वहां तरह-तरह के खनिज पदार्थ भी हैं, नाना प्रकार के खनिज, जैसे कोयला, अभ्रक और बॉक्साइट से भरा हुआ है। विश्व प्रसिद्ध रेशम, टसर, मधुबनी पेंटिंग, जो मिथिला की मुख्य पेंटिंग हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि विश्व के कोने-कोने में मधुबनी पेंटिंग की सराहना की जाती है, ये सब चीजें वहां बनती हैं। बिहार की

धरती को राइस बेल्ट कहा जाता है। वहां तरह-तरह के सुगंधित और अच्छे चावल भी होते हैं। धन-धान्य से भरी हुयी यह धरती है। यहां मेहनतकश और ईमानदार लोग हैं, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि बिहार पीछे रह गया? आज हम बिहार के लिए कभी विशेष पैकेज की मांग करते हैं, कभी विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते हैं, ऐसा क्यों हुआ? बिहार के विकास की कहानी को जानने के लिए हम पीछे चलते हैं। वक्त ने करवट बदली और समय के साथ बिहार का वक्त भी बदल गया। बिहार के धन-धान्य को लोगों ने इस्तेमाल किया। हमारी यहां की खदानों से कोयला निकला, दूसरे राज्यों में पटरियां बिछीं, तो वहां कोयला गया। हमारे खनिज पदार्थ दूसरे राज्यों में गए, लेकिन उनकी फैक्ट्रियां हमारे यहां नहीं लगीं। हमारे खनिज पदार्थों और कोयले का लाभ हमें नहीं मिला। दूसरे प्रदेशों में फैक्ट्रियां लगीं और उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुयी। दूसरे राज्य आगे बढ़े और वहां कल-कारखाने लगे, बड़े-बड़े कारखाने लगे, चिमनियां धुआं उगलती रहीं और उन्हीं कारखानों में हमारे मजदूर, हमारे भाई-बेटे जाकर काम करते रहे, मजदूरी करते रहे। इससे उन प्रदेशों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गयी। विकास की राह में वे बहुत आगे चले गए और बिहार पीछे होता गया। विकास की राह में बिहार शून्य पर आ गया।

महोदय, आप जानते हैं कि रेखागणित का नियम है - दो रेखाएं समानांतर रहती हैं लेकिन यदि एक रेखा को लंबी कर दें तो दूसरी रेख अपने-आप छोटी हो जाती है। बिहार के साथ यही बात हुआ है। किसी ने बिहार को पिछड़ा नहीं किया। समय के साथ दूसरे राज्यों ने तरक्की की लेकिन बिहार में तरक्की की गुंजाइश नहीं हो पाई। बिहार का दोहन होता रहा। बिहार के खनिज-संपदा का दोहन होता रहा। हमारे राज्य के नवयुवक बाहर जा कर काम करते रहे। उनकी अर्थव्यवस्था में अपनी शक्ति लगाते रहे। इस तरह हमारा बिहार राज्य छोटा हो गया। हमारे भाई-बच्चे घर, परिवार को छोड़कर नार्थ ईस्ट की सड़कों पर, जहां बीएसएफ की सड़कें बनती हैं वहां पर, कश्मीर की दुरूह वादियों में जा कर काम करते रहें। किन्तु जहां-कहीं भी आपराधिक घटना हुई, वहां पहला शिकार बिहारी बने। जहां-कहीं भी दुघर्टना हुई उनका सेहरा उनके माथे पर मढ़ दिया गया। जब कभी भी कोई आपराधिक घटना होती है तो उसका सेहरा उन पर मढ़ दिया जाता है। कहीं गंदगी होती है तो उसका कारण बिहार और यूपी के लोग बनते हैं। कहीं कोई हिंसा होती है, कहीं कोई बम फूटता है, मैं नाम लेना उचित नहीं समझती हूं, लेकिन अभी मुंबई में जब सीरियल बम बलास्ट हुए उस समय वहां के नेता ने कहा था कि बिहारी लोग जब से यहां आए हैं तब से इस तरह की घटनाएं ज्यादा हुई हैं। हमें क्या पता है कि जो सब्जी की टोकरी को वे माथे पर रख कर बेचते हैं उन टोकरियों में सब्जी है या बम है। इस तरह का दुर्व्यवहार हम लोगों के साथ होता रहा। सारी जिम्मेदारी हम बिहारियों के ऊपर मढ़ दी गई। बिहार में आज 16 नदियां हैं। यह धन-धान्य से भरपूर है। ज्यादातर नदियां बाहर से आती हैं। बाहर से आती हुई कोसी नदी बिहार का अभिशाप बन जाती है। कभी बिहार का

कुछ भाग सूखे से ग्रस्त हो जाता है, पानी के बिना धरती फट जाती है और किसान बेहाल हो जाता है। कभी कोसी नदी में इतना पानी आ जाता है कि वहां बाढ़ आ जाती है। 300 हेक्टेयर जमीन और 5 जिले इस चपेट में आ जाते हैं। प्रकृति की विभीषिका के अलावा वहां के लोगों ने बंटवारे का भी दर्द भोगा है। बड़ी साजिश के तहत बिहार के टुकड़े किए गए। झारखंड बना दिया गया। बिहार का खजाना और बिहार का कारखाना दोनों को ही बांट दिया गया। बिहार जब बंटा तो उसमें 9 प्रतिशत जनसंख्या पूरे हिन्दुस्तान की जनसंख्या का...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप याद रखिएगा कि आप के पति झारखंड से राज्यसभा के सदस्य थे।

श्रीमती पुतुल कुमारी : जी महोदय, मुझे अच्छी तरह से याद है और मैं जानती हूं कि झारखंड भी अपना ही राज्य है। मैं यहां आ कर यह कहती हूं कि यहां हम बिहार, झारखंड बंगाल नहीं होते हैं बल्कि हम भारतवर्ष होते हैं। मैं केवल तथ्य की बात बता रही थी। बिहार से खजाना और कारखाना दोनों ही चला गया। झारखंड का निर्माण हुआ तो 85 प्रतिशत खनिज संपदा और वन संपदा झारखंड के हिस्से में चली गई। इससे आप सब विदित होंगे बाकी का हिस्सा बिहार में रहा। आबादी का 75 प्रतिशत हिस्सा बिहार में रह गया यानी बिहार में केवल आदमी रह गए और खनिज संपदा और वन संपदा झारखंड में चले गए।

सभापति महोदय : आप ह्यूमन को रिर्सोस नहीं मानती हैं?

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, खाली हाथ आदमी मजदूरी करता है। बिहारी वही काम जंगलों में एवं दुर्गम जगहों पर जा कर करते रहे और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते रहे। आज इसी अस्तित्व की लड़ाई के लिए, इसी बिहारी अस्मिता की लड़ाई के लिए, स्वाभिमान के लिए हम लोग खड़े हैं। बिहार के अर्बन एरिया में 100 में से 75 लड़के बेरोजगार हैं। ग्रामीण जगहों में इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। वहां मजदूरी कम होने की वजह से, वहां के लोग बाहर जाते हैं जहां उन्हें अधिक मजदूरी मिलती है। इसलिए बिहार का माइग्रेशन रेट भी बहुत ज्यादा है।

मैं अब फॉरेन डॉयरेक्ट इनवेस्टमेंट की बात करता हूं। पटना में अप्रैल 2000 से 2011 तक सिर्फ 27 करोड़ रूपये पटना ऑफिस को मिले हैं जब कि मुंबई ऑफिस को दो लाख चार हजार आठ सौ बत्तीस करोड़ रूपये मिले हैं। आप देख लीजिए कि कितना बड़ा फर्क है। हम केन्द्र से भी मांग कर रहे हैं। हमारे साथ हर तरफ से अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, तभी हम आज इस कगार पर खड़े हैं। बिहार आज उजड़े चमन की तरह है जहां विकास के फूल नहीं हैं, सुगन्ध नहीं है। इसे लोगों ने तरह-तरह से लूट लिया। इसकी व्यवस्था का दोहन किया और उसके बदले में कुछ नहीं दिया।

मैं संभावनाओं के बारे में भी थोड़ी बात करना चाहती हूं कि बिहार में क्या-क्या हो सकता है। जैसे मैंने बताया, हमारे यहां नदियां हैं। पानी की प्रचुर मात्रा है। बिहार में फिशरीज़ का काम बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन मार्किटिंग की सुविधा और इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण हम उस काम को आगे नहीं बढ़ा सकते। लाइव स्टॉक, पशुधन हमारे पास बहुतायत में है। उसमें हर तरह की नस्लें हैं। लेकिन पूरे बिहार में एक ही मीट प्रोसैसिंग यूनिट है। बिहार की मिट्टी बहुत अच्छी है। उसे एलुवियल सॉयल कहते हैं। वह सबसे उर्वरक मिट्टी होती है, लेकिन संसाधनों के अभाव में हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

आज बिहार विकास की दौड़ में पीछे रह गया है। यह संघीय व्यवस्था के लिए एक खतरे की बात है और एक चेतावनी भी है, क्योंकि अगर पेट भूखा होता है, गरीबी होती है, गुरबत होती है तो व्यक्ति गलत रास्ते इख्तियार कर लेता है। उसे बरगलाना आसान हो जाता है। जैसे आपने बताया कि जनसंख्या का नौ प्रतिशत भाग बिहार में है। अगर इतने सारे नौजवान गरीबी से तंग आकर दिशा भ्रमित हो जाएं, गलत रास्ता इख्तियार कर लें, हाथ में हथियार उठा लें, तो आने वाले समय में यह संघीय व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी।

दूसरा, बिहारी अस्मिता का सवाल है, मान-सम्मान का सवाल है। बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का सवाल है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार इस ओर ध्यान दे, संवेदनशील होकर सोचे। अगर शरीर का एक हिस्सा भी बीमार हो जाता है तो शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। इसी तरह संघीय ढांचा तब तक उन्नत नहीं हो सकता जब तक बिहार उन्नत नहीं होगा।

इन्हीं बातों के साथ मैं आपको धन्यवाद देत्ता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): सभापति महोदय, कभी समय था जब श्री इंदरसिंह नामधारी संयुक्त झारखंड-बिहार के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। आज वह भले ही बंट गया हो, लेकिन फिर भी जिसके ह्रदय में बिहार की मिट्टी की ममता है, वह झारखंड और बिहार को कभी अलग दृष्टि से नहीं देखेगा। हम मानते हैं कि झारखंड हमसे अलग हुआ है। वह हमारा छोटा भाई है। इसलिए हम जब भी सोचेंगे तो यह सोचेंगे कि अगर बड़े भाई की थाली में एक रोटी आए तो छोटे भाई की थाली में भी एक रोटी अवश्य आए। हम जब भी बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग करते हैं, तो केवल बिहार के लिए नहीं करते बल्कि सम्पूर्ण भारत में अगर कोई इलाका आर्थिक, भोगौलिक, सामाजिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है, तो उस इलाके को विशेष दर्जा देकर सशक्त भारत का निर्माण करना चाहिए, जिसे विशेष दर्जा कहते है। जैसे हमने आरक्षण दिया था, तो पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण क्यों दिया? इसलिए कि वे कमज़ोर, निर्बल और निर्धन हैं। उन्हें विशेष भोजन देंगे तब वे सबल, सशक्त बनेंगे और समाज की बराबरी में आ सकेंगे। इसीलिए हिन्दुस्तान का जो भी इलाका पिछड़ा हुआ है, वह सम्मुनत, सशक्त बने तभी भारत सशक्त बन सकता है। हम वर्ष 2021 के भारत की कल्पना करते हैं। जब सम्पूर्ण भारत सशक्त होगा, तभी विश्व में भारत सशक्त हो सकता है। अगर एक अंग बहुत ही बलशाली हो और दूसरे अंग में लकवा मारा हुआ हो, तो वह कभी भी लकवामार शरीर लेकर युद्ध भूमि में सफल नहीं हो सकता। अभी पुतुल जी अतीत के इतिहास को कह रही थीं। हमारा इतिहस, अतीत बड़ा ही उज्ज्वल था। वह इतना उज्ज्वल था कि जगतगुरू शंकराचार्य जब अपने अद्वैतवाद के विजय का पताका फहराते हुए गये और मिथलांचल के मंडन मिश्र जी के दरवाजे पर पहुंचे, तो हुआ यह कि, दोनों बराबर के विद्वान थे, जब शास्त्रार्थ करेंगे, तो बीच में पंच कौन बनेगा? उस समय स्वयं शंकराचार्य जी ने कहा कि मंडन मिश्र जी की पत्नी भारती पंच बनेगी और हम शास्त्रार्थ करेंगे। हमारी भारती, मंडन मिश्र जी की पत्नी ने निर्णय दिया था कि इस शास्त्रार्थ में शंकराचार्य जी विजयी हुए और मंडन मिश्र जी, यानी मेरे पति पराजित हुए। उस समय शंकराचार्य जी ने कहा कि मेरा मत मान लो, तो भारती ने कहा कि मैं अर्धांगिनी हूं, पंच की हैसियत से निर्णय दिया है, लेकिन आपने मेरे पति को पराजित किया है। अर्धांगिनी होने के नाते जब आप मुझे पराजित कर देंगे तब आप विजेता होंगे, इसलिए अब हमारा आपका शास्त्रार्थ हो जाये। कितनी दूरी तक हमारा यह अतीत उज्ज्वल था। पहले सुग्गा भी मंडन मिश्र जी के दरवाजे पर संस्कृत का श्लोक और वेद का मंत्र पढ़ता था। दादा को हाथी था, लेकिन आज हम उस हाथी का सिक्कड़ लेकर घूम रहे हैं कि मेरे दादा को हाथी था, तो इसे कौन मानेगा? आज हम दिल्ली, मुम्बई और बड़े शहरों में रिक्शा, ठेला, मोटर चलाने का काम कर रहे हैं, फुटपाथ पर सो रहे हैं, रात में

जाड़े में ठठुर रहे हैं और भूखे पेट हैं, लेकिन फिर भी हमारा अतीत पहले का उज्ज्वल था, लेकिन मेरा राजनीतिक अतीत बहुत ही धुंधला हो गया था। वह इसलिए धुंधला हुआ, क्योंकि जातिवाद के रोग ने बिहार को ऐसा ग्रसित किया कि वहां अगर कुर्सी पर जाति वाले पटना में बैठ गये, तो उनकी मूर्ति की वह रात-दिन भजन करते थे कि 'तेरी मूर्ति को नहलायेंगे, तुझे ही खूब खिलायेंगे, तेरे बच्चे बढ़ते जायेंगे और मेरे बच्चे की लाश पर चढ़कर तुम राज करते चले जाना।' यह जो जाति की सड़ांध से बिहार ग्रसित हुआ, आज सौभाग्य है कि बिहार का काया-कल्प हो रहा है। बिहार उस जातियता की दलदल से निकलकर एक नये बिहार का निर्माण कर रहा है। हम समग्र समाज को जोड़ रहे हैं। लेकिन अब हमारी आवश्यकता बढ़ी है, अभी पुतुल जी कह रही थीं कि हमारे यहां नदियां हैं। वे नदियां बाढ़ के कारण अभिशाप हैं। आप हमें सड़क बना देते हैं।

सभापति जी, आप वहां खूब घूमे हुए हैं। आपने वह बिहार देखा है क्योंकि आप चप्पे-चप्पे में घूमते थे। जब हम सड़कें बना देते हैं, तो उस समय बड़ी अच्छी बनती हैं --

चमचम सड़कें बनती हैं, उस पर गाड़ी फिसलती है,
एक बार नेपाल में वर्षा होती है, बाढ़ ऊपर से आती है,
सारी सड़कें बह जाती हैं, मेरा तो सब कुछ बह जाता है।

सभापति महोदय : आप तो आशु कवि लगते हैं।

...(व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : घर भी बह जाता है, छप्पर भी बह जाता है और तन के कपड़े भी बह जाते हैं। घर के अंदर चौकी पर चौकी रख देते हैं और उसी पर हमारे बच्चे और हम दो-तीन महीने तक रात गुजारते हैं। उस बाढ़ के कारण हम बर्बाद हो रहे हैं। किसी राज्य सरकार की क्षमता है, जो उस बाढ़ को रोक दे। वह बाढ़ तब रुकेगी जब भारत नेपाल का समझौता होगा। जब कोसी, कमला अंधवारा में नूनथर, सीसापानी, वराह क्षेत्र में डैम बनेगा और पानी को रोका जायेगा, तब बिहार की काया-कल्प होगा। बिहार की सभी नदियों को जोड़ दिया जायेगा, जिसके बारे में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा था कि पूर्व से पश्चिम तक सभी नदियों को जोड़ दो। हमारी नदियों में जब बाढ़ आती है, तो कुछ नदियों में बाढ़ आती है और कुछ नदियां सूखी रहती हैं। जब गंगा नीचे रहती है, तो कोसी ऊपर है और जब कोसी मे उफान है, तो गंगा नीचे आती है। अगर सारी नदियों को जोड़ देंगे, तो विज्ञान कहता है कि Water fixes its own level.

MR. CHAIRMAN: It is six feet.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : आप शुद्ध कर दीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जल अपने स्तर को सामान्यतः प्राप्त करना चाहता है, तब हमारे यहां वह रुक जायेगा, सड़कें नहीं टूटेंगी, खेती नहीं बर्बाद होगी? आपने पुतुल जी को ठीक कहा। पंजाब में नीचे धरती वाले खान-खदान नहीं हैं, माइन्स मिनरल्स नहीं हैं। हरियाणा में नहीं है, लेकिन पंजाब और हरियाणा अपनी कृषि के बल पर आज भारत के सबसे अग्रणी, एक नंबर और दो नंबर पर आने वाले राज्य हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं। ऐसा क्यों हैं? इसका एक रहस्य है। पंजाब के पास अगर भाखड़ा-नंगल बांध नहीं होता, तो वहां बिजली नहीं होती, भाखड़ा-नंगल न होता, तो उनके खेतों में नहरों से पानी नहीं जाता। आज भाखड़ा-नांगल बांध पंजाब में है और उसी तरह से अगर एक भाखड़ा-नांगल बिहार में हमें दे दीजिए, तो मैं आधे हिन्दुस्तान को खिला सकता हूं, इतना मुझमें पुरूषार्थ है, इतनी हमारी धरती में उर्वराशक्ति है, इतना हम करके दिखा सकते हैं। हम अपने हाथ से पंजाब की खेती में हरियाली ला सकते हैं, हरियाणा की खेती में हरियाली ला सकते हैं, मुंबई हो, दिल्ली हो, गगनचुंबी अट्टालिका है, उसमें रहने वाले लोग आते हैं, हसी-मजाक करते हैं और उन महलों का निर्माण करने वाले हम बिहारी उसकी छाया में ही सो जाते हैं और अपनी रात गंवाते हैं, फिर भी कभी-कभी किसी प्रदेश के लोग उठते हैं, हम पर जूते-लात चलाते हैं कि बिहारी सभी बाहर चले जाओ। पसीना हम बहाते हैं, महलों का निर्माण करते हैं, तेरे बच्चों को खुशहाल बनाते हैं, हम ठेला ठेलते हैं और तुम हवागाड़ी पर चलते हो, फिर भी हमें कहते हो कि तुम बाहर जाओ, लेकिन एक बात याद रखे दुनिया वालों जिस दिन सारे हिन्दुस्तान के महानगरों से बिहारी अपना बोरिया-बिस्तर बांधकर अपने घर बिहार वापस चले जाएंगे, उस दिन महानगरों की सारी रौनक खत्म हो जाएगी, इनकी सुंदरता मिट जाएगी और हमारा बिहार सुंदर हो जाएगा। अभी बिहार सरकार इस दिशा में काम कर रही है। हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, the extended time for the discussion on this Resolution is over. I have a list of six more speakers who wish to participate in the discussion on this Resolution. If the House agrees, then the time for discussion on this Resolution may be extended by one hour.

SEVERAL HON. MEMBERS : Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: Yes, you can continue your speech.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों को बिहार के गांव, के गरीब और किसान की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। पिछली बार जब बोल रहे थे, तो उधर से अधीर चौधरी जी ने संविधान संशोधन पर कहा था। जब सदन में सभी दलों के लोग उठते हैं और बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग करते हैं, तो मैं सम्पूर्ण सदन के सभी सदस्यों के प्रति बिहार की ओर से आभार प्रकट करता हूं, उनका

अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं।...(व्यवधान) यह प्राइवेट डिसकशन है और संजय निरुपम जी हमारे साथ हैं। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, वह भी हमारे यहां से गए हुए हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि संजय निरुपम जी हमारी कोख से पैदा हुए हैं, लेकिन मुंबई जाकर नेता बनते हैं, तो इस तरह हमारी कोख की कम कीमत है क्या।...(व्यवधान) इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि क्षेत्रीय विषमता के अंत के लिए व्यापक योजना बनाइए। बंजर, पथरीली, कंकरीली, जंगली जमीन है, वहां उद्योग लगाइए। दिल्ली और एनसीआर बनाते हैं, चारों तरफ लोगों को उजाड़ते हैं और यहां पर गगनचुंबी अट्टालिकाएं बनाते हैं। अगर झारखण्ड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, असम में बंजर, पथरीली जगहों पर कारखाने-उद्योग लगें, तो सड़कें बनेंगी, बिजली जाएगी, स्कूल बनेंगे, अस्पताल खुलेंगे। सिब्बल जी कह रहे थे कि अगर पिछड़े एरिया में इंजीनियरिंग कॉलेज बना देंगे, तो वहां कोई जाने के लिए तैयार नहीं होगा। क्या बात करते हैं आप, हिन्दुस्तान को आपने क्या बनाया है? गरीबी के महासागर में अमीरी के कुछ टापू बनाए हैं, उस के ऊपर सुख-सागर लगाए हो, उसमें कुछ लोगों को नहलाते हो, अगर उस बंजर, पथरीली, कंकरीली जमीन पर, पिछड़े इलाके में उद्योग लगेंगे, तो उनके लिए सड़कें बनेंगी, वहां बिजली जाएगी, वहां पानी की सप्लाई होगी, वहां रेजिडेंशियल क्वार्टर्स बनेंगे, वहां लोग रहने जाएंगे, तो वहां स्कूल बनेंगे। जहां सेंट्रल सर्विसेज के लोग जाते हैं, वहां आप सेंट्रल स्कूल भी बनाते हैं। अगर उस जगह पर सेंटर की ओर से कारखाने खुलेंगे, केंद्रीय कारखाने खुलेंगे, तो वहां सेंट्रल स्कूल बनेगा, लेकिन आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं। इसलिए नहीं चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के बड़े लोग हमारे यहां उद्योग लगाएं, पैसा कमाएंगे और उनका हेड क्वार्टर कलकत्ता में, हेड क्वार्टर हो मुंबई में, हेड क्वार्टर हो दिल्ली में, मेहनत करें हम, पसीन बहाएं हम, रुपया लगाएं हम।

16.00 hrs.

लेकिन हैड क्वार्टर क्यों लगेगा बाहर, हमारा हैड क्वार्टर हमारे प्रदेश में ही होना चाहिए बम्बई या अन्य जगह नहीं,...(व्यवधान) मुम्बई कह देता हूं, अब तो आप खुश हुए...(व्यवधान)

सभापति महोदय : हुक्मदेव जी, आपकी बगल में तीन-तीन शिव सैनिक बैठे हुए हैं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : मुझे मालूम है।

सभापति महोदय: अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : बस दो मिनट और लूंगा। जब मैंने जन्म लिया, जवान हुआ, बड़ा हुआ, तब तक तो बम्बई ही कहते थे। अब कहा जा रहा है मुम्बई, तो अब यह बूढ़ा क्या रटेगा, जवानी में जो रटा हुआ है, वह एकदम से तो जाएगा नहीं इसलिए मुझे माफ करना। लेकिन अब मैं मुम्बई कहता हूं।

उन मुख्यालयों को हमारे यहां बिहार में लाया जाना चाहिए। हमारे यहां सब कुछ है। पवार जी बैठे हुए हैं। अगर वह चाहें तो बिहार का कायाकल्प कर सकते हैं। बिहार में किसान है, नदी है, पानी है, कई जगह तो बीस फीट पर ही पानी है। अगर हमारे प्रदेश में सिंचाई का और पानी का प्रबंध हो जाए तो हमारे हाथों में इतनी ताकत है कि हम नए बिहार का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अरबों रुपया चाहिए और हमारे पास कोई टकसाल तो है नहीं। अगर केन्द्र सरकार नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी को यह पावर दे दे कि आप अपने यहां टकसाल लगाकर रुपया छाप सकते हो, तो हम पटना में टकसाल लगाकर रुपया छाप लेंगे। लेकिन टकसाल है आपके हाथ में इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं कि जब राज्य सरकारें, गरीब, निर्बल, निर्धन पिछड़े, अनुसूचति जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग किसी के आगे हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे, तब तक वहां का कायाकल्प नहीं हो सकता। हमें अधिकार दो, हमें निर्माण करने का अवसर दो। अगर यह नहीं दोगे तो फिर कहीं न कहीं विद्रोह की ज्वाला फूटेगी और फिर लोग नारा लगाएंगे, जैसे पहले कहा करते थे - सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ऐसी नौबत न आए इसलिए इस पर केन्द्र सरकार को गौर करना चाहिए और बिहार की समस्या को समझकर राज्य सरकार की बातों को मानना चाहिए।

सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): हुक्मदेव जी, हम आपकी सब बातें मानते हैं, लेकिन लालू जी को वहीं रखिए।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : हम तो वहीं रखना चाहते थे, लेकिन आपने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया तो अब महासागर को छोड़कर कौन तालाब में जाना चाहेगा इसलिए कृपया उन्हें यहीं रखिए।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे बिहार के मुद्दे पर हो रही चर्चा में अपनी बात कहने का अवसर प्रदान करके मुझे प्रतिष्ठा दी। बिहार के बारे में विस्तार से सदन में चर्चा हो रही है। आप भी वाकिफ हैं, क्योंकि आप भी पहले बिहार में ही थे। इसलिए मैं कम शब्दों में ही अपनी बात रखना चाहूंगा।

बिहार का जब बंटवारा हुआ और झारखंड नया राज्य बना, उस समय से बिहार विकास के रास्ते से भटक चुका था। चाहे किसी की भी सरकार हो, बिहार में एक तरफ सूखाड़ और दूसरी तरफ बाढ़ हमेशा कहर बरपाती है। पूरा बिहार आज बर्बादी के कगार पर है। लगातार वहां की सड़कों का हाल बेहाल हो गया था। बिजली की स्थिति काफी दयनीय हो गयी है। जितने भी माननीय संसद सदस्यों ने बिहार की स्थिति पर अपने विचार रखे हैं, मैं उनसे अलग नहीं हूं। मैं अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं तथा चाहता हूं कि बिहार के विशेष आर्थिक सहायता दी जाए। बिहार के प्रति केन्द्र सरकार का रवैया अलग किस्म का रहा है। मैं जब से 15वीं लोक सभा में आया हूं, चाहे प्रधान मंत्री सड़क योजना हो, राजीव गांधी विद्युतीकरण परियोजना हो, सब बंद है। एनएच की सड़क जो भारत सरकार की होती है, 1000 करोड़ रुपया उसका बकाया है, जो भारत सरकार बिहार को नहीं दे पायी है। मैं समझता हूं कि बिहार में जो विकास हो रहा है वह अपने संसाधनों से हो रहा है, आज बिहार का स्टेट हाई-वे एनएच से अच्छा है। मैं जब अपने क्षेत्र में जाता है तो दनियामा तक एनएच से जाता हूं और हिलता हुआ जाता हूं लेकिन दनियामा के बाद जैसे ही स्टेट हाई-वे पर चढ़ता हूं तो वहां की सड़के काफी अच्छी हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि आप जो बिहार के साथ भेदभाव कर रहे हैं इसे समाप्त करना चाहिए। बिहार की जनता की जो परेशानी है, लाचारी है, बेबसी है, उसे देखते हुए केन्द्र सरकार का व्यवहार बिहार के साथ अच्छा होना चाहिए। केन्द्र सरकार बिहार के साथ भेदभाव अभी भी कर रही है।

महोदय, बिहार के नेता और मुखिया माननीय नीतीश जी ने दलों की सीमा से ऊपर उठकर, सवा करोड़ हस्ताक्षर बिहार के लोगों के कराकर माननीय प्रधान मंत्री जी के हाथ में सौंपे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से कहूंगा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आप दीजिए और देखिये कि बिहार

किस तरह से तरक्की की राह पर चलता है। जब तक बिहार तरक्की नहीं करेगा, तब तक यह देश तरक्की नहीं करेगा।

महोदय, बिहार के बारे में जो मैं कहूंगा, निश्चित रूप से आपके माध्यम से ही कहूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि तीन साल पहले बिहार में जो बाढ़ आई थी, वहां प्रधान मंत्री जी गये थे, आपदा घोषित की गयी थी लेकिन उसके प्रबंधन का कोई उपाय नहीं हुआ और वहां फिर से बाढ़ आ गयी है। इस तरह से बिहार बाढ़, सुखाड़ की चपेट में सांस ले रहा है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि बिहार को विशेष पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। बिहार के तमाम सांसद माननीय प्रधान मंत्री जी से मिले थे और बोले थे कि 17 चीनी मिलें बिहार में प्रस्तावित हैं लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया।

16.09 hrs.

(Dr. Girija Vyas *in the Chair*)

आज बिहार में नये उद्योग धंधे नहीं लग रहे हैं। वहां पर बेरोजगारी बढ़ रही है और वहां के युवक दूसरे प्रदेशों में जाकर कमाने-खाने में लग गये हैं। अगर वहां शुगर मिल चालू होता तो वहां लोगों को रोजगार मिलता, वहां अगर सड़क बनती तो वहां के बेरोजगारों के लिए रोजगार निकलता, वहां बिजली का काम होता तो वहां के युवकों को उसमें रोजगार मिलता।

महोदय, बिहार के साथ जो भेदभाव हुआ है, उसे मिटाकर उसे विशेष राज्य का दर्जा दें या एक पैकेज दें, जिससे बिहार विकसित हो। बिहार विकसित होगा तो यह देश भी विकसित होगा। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): सभापति महोदया, मैं महाराष्ट्र से सांसद हूं और महाराष्ट्र के अलग-अलग विषयों पर सदन में बोलता हूं और इस बात का मुझे बड़ा फ़क्र है, लेकिन मैं मूलतः बिहार का रहने वाला हूं, बिहार मेरी जन्मभूमि है। इसलिए जब बिहार के विकास के संदर्भ में माननीय सदस्या पुतुल कुमारी के तरफ से संकल्प प्रस्तुत किया गया...(व्यवधान) श्री भोला सिंह, पुतुल कुमारी और सभी का मिलाजुल जो संकल्प है, उस प्रस्ताव पर बोलने का मैं अपना लोभ संवरण नहीं कर पाया। यह बात सही है कि बिहार का विकास होना चाहिए। बिहार विकास की गति में बहुत पीछे छूट गया है। वह बिहार जिसका स्वर्णिम इतिहास रहा है, वह बिहार जिसके अतीत को आज भी लोग गीत की तरह गाते हैं, वह बिहार जहां हिन्दुस्तान के पांच धर्मों में से तीन के प्रवर्तक पैदा हुए, वह बिहार जहां गौतम बुद्ध को महाबौद्ध प्राप्त हुआ, वह बिहार जहां भगवान महावीर का जन्म हुआ, वह बिहार जहां सिक्ख धर्म के संस्थापक गुरू गोविंद सिंह का जन्म हुआ। ऐसे बिहार की ताज़ा स्थिति देखने के बाद निश्चित रूप से खुशी नहीं होती है, बहुत दुख होता है। विशेषकर पिछले 15-20 वर्षों की बिहार की स्थिति पर हम ध्यान दें तो निश्चित तौर पर स्थतियां बहुत बिगड़ी हैं और उसका नतीज़ा यह निकला कि बड़े पैमाने पर बिहार से पलायन भी हुआ। बड़े पैमाने पर पलायन हुआ और पूरे हिन्दुस्तान के कोने-कोने में लोग गए। हिन्दुस्तान के अलग-अलग शहरों और राज्यों में गए। मुम्बई, कलकत्ता और दिल्ली तो हम सब जानते हैं, मैं अभी हाल के दिनों में मुझे मौका मिला, गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर जाने का। मुंद्रा कच्छ का स्लीपिंग विलैज की तरह है, जहां हिन्दुस्तान का पहला प्राइवेट पोर्ट है। उस पोर्ट में लगभग 15 हजार लैबर काम करती है। 15 हजार में से 14900 बिहार के मज़दूर हैं। एक मजबूरी के तहत और उस मजबूरी को मैं इसलिए शेयर करता हूं, क्योंकि मैं भी एक मजबूरी के तहत अपना गांव छोड़कर, अपना प्रदेश छोड़कर पलायन करके, पहले दिल्ली आया और फिर मुम्बई गया। मुझे छोड़कर जाते समय तो दुख था, लेकिन आज कोई दुख नहीं है। मुम्बई ने हमें गले लगाया, हमें मान-सम्मान दिया।...(व्यवधान) जिस समय संजय निरुपम अपनी यात्रा वृतांत रखेंगे, तो सबसे बड़ा पड़ाव शिवसेना होगी, आप लोग यह बात याद रखें। मैं इस बात को नकार के यहां खड़ा नहीं हूं, बल्कि इस बात को स्वीकार करके मैं यहां खड़ा हूं। आज मुद्दा यह है कि जो प्रस्ताव है, वह बिहार के विकास के संदर्भ में है। बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, ऐसा प्रस्ताव है। विशेष दर्जे वाली बात पर मुझे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है, क्योंकि यह अब एक नारा बन गया है और नारे लोगों की भावनाओं को तो भड़का सकते हैं, भावनाओं को जगा सकते हैं, लेकिन कोई ठोस परिणाम या नतीजा नहीं दे सकते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि बिहार का विकास होना चाहिए और बिहार के विकास में केंद्र सरकार का बड़ा योगदान होना चाहिए। हिंदुस्तान के जितने भी सैंट्रल गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात या अन्य राज्यों में लागू हैं, उसी

प्रकार से बिहार में भी लागू हैं। मैं कहना चाहता हूं कि न सिर्फ फ्लैगशिप प्रोग्राम बल्कि बिहार के लिए विशेष पैकेज के तौर पर प्रतिवर्ष दो हजार करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। पिछले तीन वर्षों में बिहार में विकास की अलग-अलग योजनाओं को लागू करने के लिए 10400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मुझे लगता है कि बिहार की जनता की तरफ से जो मांग हो रही है, उस मांग का समर्थन और सम्मान करते हुए इस प्रकार का कदम केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया है। मैं यह बात स्पेशल पैकेज प्रोग्राम के लिए बोल रहा हूं। सैंट्रल गवर्नमेंट की जो अलग-अलग स्कीम्स हैं, जिन्हें हम सैंट्रली स्पोर्स्ड स्कीम्स कहते हैं, उन स्कीम्स के लिए बिहार को तीस हजार करोड़ रुपया पिछले वर्ष सरकार की तरफ से दिए गए। इस साल अब तक छह हजार करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इससे पहले साल में 12 हजार करोड़ रुपया दिया गया था। अगर आप पिछले चार-पांच वर्षों में देखें तो साठ हजार करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से बिहार सरकार को विकास योजनाओं को लागू करने के लिए दिए गए हैं। इसके लिए मैं यूपीए सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा और केंद्र सरकार का अभिनन्दन करूंगा, क्योंकि बिहार के इस दुख को कहीं न कहीं केंद्र सरकार ने सुना और उसके हिसाब से कार्यवाही करके यह कदम उठाया है। इस समय बिहार आज से बीस साल पहले वाला बिहार नहीं है। बिहार आज बदल रहा है। बिहार में नई सत्ता आई है, नई सरकार बनी है। बहुत उम्मीद के साथ बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को मौका दिया है। वहां के लोगों की उनसे बहुत उम्मीदें हैं। चुनाव के समय बिहार में जितने भी ओपीनियन पोल थे, जितने भी सर्वे हुए थे, उन सभी को बिहार की जनता ने गलत साबित कर दिया। इतनी बड़ी ताकत नीतीश जी को दी गई और उनसे जनता को उम्मीद है कि बिहार की स्थिति को बदलने में वे अपना सर्वस्व लगा दें। हमारी तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से और पूरे देश में किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज नहीं होगा, बिहार का औद्योगिक वातावरण बदलना चाहिए।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : आप लोग आपस में चर्चा मत कीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया : उनको बात करने दीजिए। बिहार के लिए ही वह बात कर रहे हैं। संजय निरुपम जी की बात के अलावा कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान) *

सभापति महोदया : कौशलेन्द्र कुमार जी, आप पहले बोल चुके हैं। आप बैठिए।

...(व्यवधान)

* Not recorded

सभापति महोदया : संजय निरुपम जी, आप चेयर को संबोधन करके बोलिए।

श्री संजय निरुपम : आपके दुख-दर्द को बांटते हुए उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। सन् 2000 में बिहार का विभाजन हुआ। विभाजन के बाद झारखंड करके नया प्रदेश बना। वह अपना हिस्सा था। किसी को इस बात पर एतराज नहीं है लेकिन दुर्भाग्यवश जितनी खनिज सम्पदा थी, वह झारखंड में चली गई और बिहार के हिस्से में कोसी नदी की बाढ़ और नेक्सेलाइट्स की समस्या ही बची। एक भी खनिज सम्पदा नहीं बची। यदि हम उद्योग-धंधे की बात करें तो बिहार में उद्योग-धंधे के नाम पर जो चीनी मिलें थीं या फिर सासाराम की तरफ जो रोहतास इंडस्ट्री थी, वे सारी बंद पड़ी थीं। मुझे बहुत अच्छे ढंग से याद है और जो शरद जी ने कहा कि लालू जी को वहीं रहने दो, ठीक है। लेकिन जब लालू जी रेल मंत्री थे, मुझे याद है क्योंकि मैं रोहतास का रहने वाला हूं और मैं इस विषय में थोड़ी सी रुचि लेता था। बंद रोहतास इंडस्ट्री की एम्पलाईज यूनियन के लोगों ने लालू जी को एप्रोच किया कि इस इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए आप मदद करिए। पिछले 20 वर्षों से यह आंदोलन चल रहा है। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, उस जमाने से आंदोलन चल रहा है। तब लालू जी ने मेरे ख्याल से 120 करोड़ रुपये रेलवे की तरफ से देने की घोषणा की थी और उस रोहतास इंडस्ट्री को रिवाइव करने की घोषणा की थी। आज भी रोहतास इंडस्ट्री के लोग बिहार के जो सांसद हैं, उनके पास कभी कभी आते होंगे, वे मेरे पास भी आ जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि अभी तक वह बात आगे नहीं बढ़ी। अब जो समय आया है, बिहार के औद्योगीकरण के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। बिहार में नये उद्योग-धंधे लगाने की बात होनी चाहिए क्योंकि वातावरण ठीक हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर जो सबसे बड़ी समस्या बिहार की रही है, और मैं खुशी के साथ कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी के प्रशासन में लॉ एंड ऑर्डर नियंत्रण में आ गया। अच्छा वातावरण हुआ है। इस बात से इंकार नहीं कर सकते।...(व्यवधान) नीतीश जी जब मुम्बई जाते हैं तो वहां के बड़े-बड़े कॉरपोरेट सैक्टर के साथ मीटिंग लेते हैं और उनको आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और बिहार में पूंजी निवेश करिए। देशी-विदेशी निवेश बिहार में बढ़ना चाहिए। अब मैं बहुत दुख के साथ एक बात कह रहा हूं कि पिछले 5-6 वर्षों से नीतीश जी सत्ता में हैं। लेकिन एक भी नया उद्योग नहीं आया।...(व्यवधान)

श्रीमती मीना सिंह (आरा): कहां से आता?...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम : क्या आप सिर्फ तारीफ सुनेंगी? थोड़ी-बहुत आलोचना सुनने के लिए भी तैयार रहिए।...(व्यवधान) बिहार की एक बहुत बड़ी समस्या बिजली की है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : आप पहले बोल चुके हैं। बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम : मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहूंगा कि पिछले 5-6 वर्षों में एक भी मेगावॉट का कैपेसिटी एडिशन बिहार में नहीं हो पाया। इस दिशा में ध्यान देना चाहिए। सड़कें बन रही हैं, सड़कें चमचमा रही हैं।...(व्यवधान) पिछले दिनों मुझे बिहार घूमने का बहुत मौका मिला। ...(व्यवधान) केन्द्र सरकार की तरफ से जो बड़ी-बड़ी परियोजनाएं अलग-अलग प्रदेशों में जाती हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। एक जमाने में बोकारो भी वहीं था, जमशेदपुर का टाटा भी वहीं था, लेकिन बीच के दिनों में माहौल ठीक नहीं था जिसकी वजह से औद्योगिक गति थोड़ी धीमी हुई। मैं इसलिए नीतिश जी की तारीफ कर रहा हूं क्योंकि अब वातावरण ठीक हुआ है और अब कहीं न कहीं उद्योग-धंधों के विकास पर ध्यान देना चाहिए। विशेषकर उत्तर बिहार की चीनी मिलें बंद पड़ी हैं, उन तमाम चीनी मिलों में से मात्र दो मिलों को रिवाइव करने का प्रपोजल पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से आया। राज्य सरकार को इस दिशा में थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। मैं बार-बार नीतिश जी की तारीफ बहुत खुशी से कर रहा हूं लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो चीजें निकलकर आ रही हैं, उससे बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। भूमि आबंटन का जो खेल बिहार में हुआ उससे और कुछ नहीं होगा लेकिन नीतिश जी से जो उम्मीद बनी है वह खत्म हो जाएगी। इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि बिहार के इंडस्ट्रलाइजेशन के नाम पर...(व्यवधान)

सभापति महोदया : निरुपम जी की बात के अलावा और किसी की बात रिकॉर्ड नहीं होगी।

...(व्यवधान) *

श्री संजय निरुपम : सभापति महोदया, लैंड अलाटमेंट का प्रकरण निकलकर आया उससे नीतिश जी के प्रति लोगों की जो उम्मीद थी, वह कम होती है। बिहार के इंडस्ट्रलाइजेशन का जो नया प्रोग्राम आया, बहुत अच्छा है और मैं इसका स्वागत करता हूं। इंडस्ट्रलाइजेशन के नाम पर जैसे-तैसे किसानों की जमीन छीनेंगे और उसके बाद गोली चलाएंगे, माइनोरिटीज़ लोगों पर गोली चलाकर हत्या करेंगे, इससे और कुछ नहीं होगा, नीतिश जी से जो उम्मीद थी वह कम होने लगेगी। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : आप बैठिए। निरुपम जी समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम : महोदया, मैं तो इतनी तारीफ कर रहा हूं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : वे प्रशंसा नहीं करना चाहते हैं। निरुपम जी के अलावा किसी की बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

---

* Not recorded

...(व्यवधान) *

श्री संजय निरुपम : मैं केवल दो बातें और कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान) आप थोड़ा सा धीरज रखिए। मैं केवल दो बातें कहकर अपनी बात खत्म करूंगा।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम : महोदया, बिहार से जो नदियां आ रही हैं। ...(व्यवधान) आप थोड़ा धीरज रखिए, जब आपका वक्त आएगा तो बोलिएगा।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : निरुपम जी, अब आप समाप्त करें।

...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम : महोदया, नेपाल से जो नदियां बिहार की तरफ आती हैं, उन नदियों से बाढ़ को रोकने के लिए बाढ़ के पानी का प्रबंधन करने का प्रस्ताव है।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : कृपया आप बैठ जाइए। आप अपनी बात लगातार कहते जा रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम : महोदया, आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी यहां बैठे हैं, मेरा सुझाव है कि नेपाल से जो नदियां बिहार की तरफ आती हैं, हर बाढ़ में हाहाकार लेकर आती हैं जिसके कारण बिहार हर बारिश में तबाह हो जाता है। इस स्थिति में एक प्रस्ताव एक अरसे से लंबित पड़ा हुआ है कि नदियों के बाढ़ के पानी के प्रबंधन के लिए बिहार की विशेष तौर पर मदद की जाए ताकि बाढ़ के पानी का उपयोग कृषि के हित में सिंचाई के माध्यम से हो सके। मैं केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा कि बिहार सरकार से बात करके एक लांग टर्म प्रोग्राम बनाकर नदियों के पानी से विनाश न हो बल्कि विकास हो, इस प्रकार की व्यवस्था करें। इसके साथ हमारे तमाम साथियों ने बिहार के विकास का जो प्रस्ताव रखा है, मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं अपनी इच्छा जाहिर करता हूं कि बिहार का सर्वांगीण विकास हो ताकि पूरे देश में बिहारी मजदूर जो इधर-उधर नौकरी और रोजी रोटी की तलाश में जाते हैं, वे अपमानित होने के बजाय अपने गांव में रहें, फलेफूलें और बिहार के विकास में अपना योगदान दें।

सभापति महोदया : आप सबको खुश होना चाहिए कि माननीय सदस्य अभी तक बिहार को नहीं भूले हैं।

---

* Not recorded

डॉ. मोनाज़िर हसन (बेगूसराय): सभापति महोदया, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय भोला बाबू, पुतुल कुमारी और अन्य सांसद बिहार के बारे में प्रस्ताव लाए हैं और इस पर चर्चा हो रही है, मैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूं। आज यहां बिहार की बदहाली पर इंसाफ दिलाने के लिए बहस हो रही है। आप एक बात देख रहे होंगे कि जब भी बिहार का मामला आता है तो बिहार और झारखंड के सभी सांसद सजग हो जाते हैं। पिछले दिनों डा.रंजन प्रसाद यादव जी द्वारा भी एक प्राइवेट बिल के माध्यम से बिहार की समस्याओं को उजागर करने का काम किया था और उन्होंने सदन से अनुरोध किया था कि केन्द्र सरकार के द्वारा जो 90 हजार करोड़ रुपये की धनराशि बिहार को विकास की अन्य योजनाओं के लिए दी जाती है, केन्द्र सरकार वह 90 हजार करोड़ रुपये एकमुश्त दे और 30 हजार करोड़ रुपये सालाना दे, ताकि बिहार अपने पैरों पर मजबूती के साथ खड़ा हो सके।

सभापति महोदया, वर्ष 2000 में बिहार का बंटवारा हुआ और बिहार से झारखंड अलग हो गया और जब झारखंड अलग हो रहा था तो केन्द्र सरकार ने ये वायदे किये थे कि हम बिहार को विशेष पैकेज देने का काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि केन्द्र सरकार अपने वायदों को वफा नहीं कर सकी। आज बिहार में कल-कारखानों के नाम पर बहुत कम असैट्स रह गई है। बंटवारे के पहले हमारे यहां जो माइन्स, मिनरल्स, कल-कारखाने और यहां तक कि खिलाड़ी थे...(व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): इनसे पूछना कि अलग किसने किया था...(व्यवधान)

सभापति महोदया : आपकी बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

...(व्यवधान) *

डॉ. मोनाज़िर हसन : वह भारत सरकार की ही देन थी। बिहार के साथ आप लोगों ने वह सलूक किया है कि हिंदुस्तान की तारीख में आज बिहार का एक मंत्री भी कैबिनेट में नहीं रखा है। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है...(व्यवधान) मैं नहीं जानता हूं, मैं यूपीए में नहीं हूं। अब चूंकि यूपीए में नहीं हूं तो आप ही के कोई लोग मंत्री बन सकते हैं। लेकिन बिहार के साथ इससे बड़ी नाइंसाफी और नहीं हो सकती है कि जहां बिहार के लोग अपनी बातों और फरियादों को रख सकें, वहां आपने बिहार का एक मंत्री भी नहीं रखा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है।

महोदया, बिहार पर लगातार चर्चाओं का सिलसिला जारी है। आज बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं। आज पूरे देश के अंदर करप्शन पर लगातार चर्चा चल रही है। अण्णा हजारे जी धरने और आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आज पूरे देश में करप्शन एक विषय बन गया है। श्री संजय निरूपम जी बिहार के हैं,

* Not recorded

वह अभी अपनी बात यहां रख रहे थे। लेकिन उसमें जहां बिहार का दर्द झलक रहा था, वहां उनकी राजनीति भी दिखाई दे रही थी। किस तरह से वह दुर्भावना से प्रेरित होकर हाउस में राजनीति कर रहे थे और बिहार के साथ जो पक्षपात किया गया, उसे उजागर करने में कंजूसी कर रहे थे। आज भ्रष्टाचार की गंगोत्री में देश डूबा नजर आ रहा है। लेकिन इसकी आवाज कहां से उठी, यह हम सदन को बताना चाहते हैं। आज अण्णा हजारे जी जिन मुद्दों को लेकर जन लोकपाल बिल या जो भी बिल सदन में विचार के लिए प्रस्तुत करवाना चाहते हैं, उस पर मुझे यह कहना है कि हमारे बिहार के मुख्य मंत्री, श्री नीतीश कुमार जी ने पहले से ही इन सब चीजों को लोकायुक्त के माध्यम से समायोजित करने का काम किया है। बिहार में डी.जी. लैवल के अफसर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लैवल के अफसर भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में भेजे गये हैं और उनकी सम्पत्ति की कुर्की की गई और सिर्फ कुर्की ही नहीं की गई, बल्कि उसमें बिहार सरकार ने स्कूल खुलवाने का काम भी किया है। इसलिए बिहार को आप जो पैसा देंगे, ऐसा नहीं है कि उसमें 10-15 परसैन्ट ही पैसा खर्च होगा। आप वहां के लिए जो पैसा देंगे, आज की तारीख में बिहार में किसी को लूट की छूट नहीं दी जा रही है। बिहार में लूटने वाला बेउर जेल या अन्य किसी जेल मे जायेगा, वही उसकी जगह है। बिहार में खजाने की जो लूट होनी थी, वह हो चुकी है, लेकिन अब वहां लूट नहीं हो सकती है। इसलिए बिहार को जो, तरक्की के रास्ते पर अग्रसर है, उसको अपने पैरों पर खड़ा करने लिए विशेष राज्य की जो मांग हो रही है, और उसके लिए सैंकड़ो-हजारों की संख्या में लोग यहां पर आए थे, उन्हें प्रधानमंत्री जी ने समय देकर वायदा किया था कि इस मुद्दे को नैशनल डेवलपमेंट काउंसिल में रखने का प्रयास करूंगा। वह बात तो ठीक है लेकिन पास होने के पहले हम आग्रह करेंगे कि आदरणीय भोला सिंह जी ने प्राइवेट मैम्बर्स बिल के माध्यम से जो प्रस्ताव रखने का काम किया है, सदन उस पर गंभीरता से विचार करे।

महोदय, मैं बेगूसराय से आता हूँ। बिहार के अंदर बेगूसराय एक ऐसा जिला है, जहां के लोग मेहनती एंव मजबूत इच्छाशक्ति वाले हैं। वहां कल-कारखाने के नाम पर आज भी आईओसीएल है। वहां पर फर्टीलाइज़र का कारखाना हुआ करता था। वहां पर थर्मल पॉवर हुआ करता था। जब राम विलास पासवान जी मंत्री थे तो उन्होंने उसके जीर्णोद्धार का वायदा किया था। लेकिन आज भी वह बीमार ही पड़ा हुआ है। थर्मल पॉवर भी बीमार पड़ा हुआ है। महोदय, मैं चाहूंगा कि सरकार उस पर त्वरित गति से कार्यवाही करे। वहां पर गढ़हरा और बरौनी के अंदर 2200 एकड़ जमीन है, वह शरारती तत्वों और मवालियों का अड्डा बना हुआ है। जब ममता बनर्जी रेलमंत्री थीं तो मैंने उनसे रेल कारखाना बनवाने का आग्रह किया था। आपने छपरा, नालंदा और मधेपुरा में इसे बनाने का काम किया और यह 2200 एकड़ जमीन जो रेलवे की है, जो कि शरारती तत्वों और मवालियों का अड्डा बना हुआ है, उसमें आप कारखाना और मैडिकल कॉलेज

खुलवाने का काम करें। ममता जी ने वायदा किया था कि मैं अगले वित्तीय वर्ष में वहां मैडिकल कॉलेज खुलवाने का काम करूंगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि गढ़हरा और बेगूसराय के अंदर सिक फैक्ट्रियों को चालू किया जाए।

आज पूरा बिहार बाढ़ में डूबा हुआ है। पिछली बार भी बाढ़ की स्थिति आई थी। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि बिहार के अंदर यह बाढ़ नहीं कयामत है, यह प्रलय की स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन केंद्र सरकार ने उस वक्त भी एक पैसे की सहायता और सहयोग देने का काम नहीं किया था। आज फिर बिहार बाढ़ से डूबा हुआ है। मैं चाहूंगा कि केंद्र सरकार अपने पर्यवेक्षकों को भेज कर वहां का सर्वे कराए। हमारे बेगूसराय में बाढ़ के कारण 40-45 पंचायतें बाढ़ में डूबी हुई हैं। लोग गाछों और सड़कों पर अपना बसेरा कर रहे हैं। बिहार सरकार अपने सीमित संसाधनों द्वारा लोगों को त्वरित राहत पहुंचाने का काम कर रही है। लेकिन वह कम पड़ रही है। जब तक केंद्र सरकार उस पर अपना ध्यान नहीं देगी तब तक हम समझते हैं कि वहां के गरीबों और बाढ़ पीड़ितों की मदद करने में बिहार सरकार सक्षम नहीं हो पाएगी।

महोदय, बिहार शिक्षा के क्षेत्र में कभी दुनिया को ज्ञान देने का काम करता था। दुनिया भर के लोग वहां पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। ज्ञान प्राप्त कराने वाले नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय खण्डहर बन गए हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का काम किया गया। जिस नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया भर के लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया करते थे, डॉ. अब्दुल कलाम जी उसके विज़िटर हैं। आज बच्चों को साइकिल दी जा रही है। हुनर के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अस्पतालों के अंदर मरीजों की भीड़ लगी हुई है। लगातार बिहार के अंदर सड़कों का जाल बिछा हुआ है। जिस इच्छाशक्ति को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि आदरणीय भोला बाबू ने जो प्रस्ताव रखा है, आदरणीय रंजन यादव जी ने प्राइवेट बिल के माध्यम से केंद्र सरकार और सदन का ध्यान आकर्षित करने का काम किया है, उसको पास करने की कृपा की जाए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। डॉ. भोला सिंह जी ने प्रस्ताव रखा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। इन्होंने केंद्र सरकार से 1 लाख 79,000 करोड़ रूपये अपने प्रस्ताव में मांगे हैं। इस प्रस्ताव में जो पैसे की राशि मांगी गयी है, इनके प्रस्ताव में दो-तीन तथ्यों पर ज्यादा महत्व दिया गया है, जिसमें फिशरीज है, पशुधन है और बैंकों का जो सी.डी. रेश्यो है, क्रेडिट एंड डिपॉजिट रेश्यो उसमें सुधार की बात ये कह रहे हैं।

महोदया, मैं बहुत इतिहास में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन यह स्पष्ट है कि बिहार शिक्षा का हब रहा है, बिहार संस्कृति का हब रहा है। 15 नवम्बर 2000 को जब बिहार का बंटवारा हुआ तो उसके बाद खनिज सम्पदा बिहार से झारखंड में चली गयी। उसके पहले भी बिहार को स्पेशल स्टेट्स दर्जा देने की बात हो रही थी, लेकिन बंटवारे के बाद से यह मांग ज्यादा जोर पकड़ने लग गयी। बिहार की पर-कैपिटा इनकम 11,000 है और देश की औसत पर-कैपिटा इनकम 45,000 है। अभी मुंबई की बात आ रही थी, महाराष्ट्र की पर-कैपिटा इनकम 80,000 है। बिहार कई मामलों में पिछड़ा हुआ है। मैं बिल्कुल टू-द-प्वाइंट आना चाह रहा हूं। मैं कुछ छोटी-छोटी बातें कहना चाह रहा हूं कि बिहार कैसे समृद्ध हो सकता है। जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, उन्हें हमें देखना पड़ेगा। एक तो नदियों के मामले में इश्यू आया, हुक्मदेव नारायण यादव जी ने कहा कि बिहार की नदियां जुड़ जायें तो बिहार का विकास हो सकता है। अगर यह प्रस्ताव केंद्र सरकार नेशनल लेवल पर लागू नहीं कर सकती तो जो छोटी-छोटी नदियां हैं, जो इन्टरनल नदियां हैं, जिनसे बिहार सुखाड़ और बाढ़ दोनों परिस्थितियों में प्रभावित हो रहा है, इसे दूर करने के लिए बिहार की नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव लिया जा सकता है। यह भी डॉ. भोला सिंह जी के प्रस्ताव में है। मैं एक बहुत ही नायाब सजेशन अपनी तरफ से देना चाहता हूं। बिहार में बहुत रेलवे लाईन्स हैं।

महोदया, रेलवे लाईन के किनारे-किनारे जमीन खाली रहती है और रेलवे लाईन के किनारे-किनारे जैट्रोफा उगाया जा सकता है। बिहार की जलवायू, बिहार की भौगोलिक परिस्थिति, बिहार का तापमान जैट्रोफा के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। इधर रेलवे लैंडबैंक बनाने की बात कर रही है, बिहार में और सब जगह रेलवे लाईन्स के किनारे-किनारे अतिक्रमण हो रहे हैं। अगर वहां जैट्रोफा उगा दिया जाये या जैट्रोफा के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बड़ा प्रोजेक्ट मंजूर कर दे तो बिहार में जितनी रेलवे लाईन्स हैं, उनके किनारे-किनारे जैट्रोफा उगाया जा सकता है। जैट्रोफा से जो बायो-डीजल निकलेगा, उससे बिहार की इनकम बढ़ेगी और उससे बिहार की पर-कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं।

महोदया, पशुधन उद्योग के लिए भी डॉ. भोला बाबू ने अपने प्रस्ताव में बात कही है। मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि पशुधन उद्योग में एक इन्कम टैक्स लगता है। कोई एनिमल हसबेंड्री का काम करे, भेड़-बकरी पालने का काम करे तो उसके लिए इन्कम टैक्स नहीं लगता है, लेकिन अगर कोई पशुधन उद्योग लगायेगा तो उस पर इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट इन्कम टैक्स लेता है। यह काम तो केंद्र सरकार कर ही सकती है कि अगर बिहार में पशुधन का उद्योग लगाने के लिए मुंबई से कोई उद्योगपति आता है, राजस्थान से कोई उद्योगपति जाता है तो उसे इन्कम टैक्स की छूट तो केंद्र सरकार दे ही सकती है। यह तो स्पेशल स्टेट्स में लिया ही जा सकता है। भोला बाबू के जो छोटे-छोटे सकारात्मक प्रस्ताव हैं, अगर उन्हें भारत सरकार मान ले तो बिहार का भला हो सकता है। मैं थोड़ा इतिहास में भी जाना चाह रहा हूं, अंग्रेजों के समय में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानगी मिलने पर एक अंग्रेज अफसर ने यहां राष्ट्रपति भवन में एक बहुत बड़ा जश्न मनाया था। यह मैंने कभी इतिहास की पुस्तक में पढ़ा था। वह जश्न उसने क्यों मनाया, वह जश्न उसने इसलिए मनाया कि कभी बिहार राइस के मामले में, अन्न के उत्पादन के मामले में एक अग्रणी क्षेत्र रहा था। अंग्रेज़ों को लगा कि हमें दीवानगी मिल गई है इसलिए हम आर्थिक दृष्टि से बहुत सक्षम हो जाएँगे। वह बिहार, जिसको प्राप्त करने के बाद अंग्रेज़ों ने जश्न मनाया, वह बिहार अन्न के क्षेत्र में भी परेशान है। यह जो एग्रोबेस्ड और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में डैवलपमैंट होना चाहिए, वह तो कम से कम स्पेशल पैकेज के माध्यम से बिहार को दिया जा सकता है जिससे बिहार अन्न उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी बनकर एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ रेट है, जिसको हमेशा कहते हैं कि हम चार परसेंट प्राप्त कर लेंगे और वह एक और दो परसेंट के बीच में रहती है, कम से कम वह तो चार परसेंट पहुंच जाए। मेरा आपके माध्यम से यह दूसरा अनुरोध है ताकि बाढ़ और सुखाड़ से बिहार को निजात मिले।

सभापति जी, मैं राजस्थान से आता हूँ। यह स्पेशल स्टेटस की मांग क्यों उठी? अभी संजय निरुपम जी कह रहे थे कि यह मांग ठीक नहीं है। यह मांग इसलिए उठी कि रीजनल इम्बैलैन्स है। कोई क्षेत्र ज्यादा विकसित हो गया और कोई क्षेत्र कम विकसित रह गया। अभी एक प्राइवेट मैम्बर्स बिल और आ रहा है। हमारे राजस्थान के साथी हरीश चौधरी उसको ला रहे हैं कि रेगिस्तानी इलाकों के जो 16 जिले हैं, वे भी पर कैपिटा इनकम में पीछे जा रहे हैं, इसलिए यह स्पेशल स्टेटस की मांग हर क्षेत्र से आएगी, जब तक आप रीजनल इम्बैलैन्स दूर नहीं करेंगे, तब तक ऐसी मांगें उठती रहेंगी और इस मांग में भी क्या खराबी है? जब आपने 11 राज्यों को स्पेशल स्टेट्स का दर्जा दे रखा है तो बिहार को क्यों नहीं दिया जा सकता? यह हमारी समझ से परे है। अभी योजना आयोग ने भी बिहार की तारीफ की है कि बिहार करवट ले रहा है। बिहार की प्रगति की तारीफ योजना आयोग ने ही नहीं, प्रधान मंत्री जी ने भी की है। अभी इसी पर एक बात आई थी। हमारे साथी लाल सिंह जी यहाँ बैठे हैं। वे कह रहे थे कि बिहार के नेताओं का दोष

है कि बिहार ज्यादा तरक्की नहीं कर पाया। मेरा यह कहना है कि बिहार के लोग समग्र दृष्टिकोण से सोचते हैं चाहे वह बाबू जगजीवन राम जी रहे हों, चाहे डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रहे हों। उन्होंने इस देश की भलाई के लिए सोचा, केवल बिहार के लिए नहीं सोचा। इसलिए उन नेताओं की तारीफ करनी पड़ेगी। एक विषय यहाँ यह भी आया था कि बिहार के लोग आई.ए.एस. अधिकारी बहुत हैं। यह तो टैलेन्ट है बिहार में इसलिए आई.ए.एस. और आई.पी.एस. ज्यादा हैं, इसके लिए बिहार की आलोचना नहीं करनी चाहिए।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि डॉ. भोला सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, एक स्पेशल राज्य का दर्जा बिहार के लिए मंज़ूर किया जाए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री उमाशंकर सिंह (महाराजगंज): माननीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने के संबंध में बोलने का मौका दिया।

महोदया, बिहार का अतीत रहा है। बिहार में ही गणतंत्र की जननी वैशाली है जहाँ बुद्ध, महावीर, अशोक और चंद्रगुप्त जैसे लोग पैदा हुए। माननीय शरद पवार जी से मैं कहना चाहता हूँ कि पाँच मिनट बैठ जाइए, मुझे पाँच मिनट से ज्यादा समय नहीं मिलेगा। उस बिहार के बारे में चर्चा हो रही है जो पिछड़ेपन की ओर जा रहा है। बिहार में बाढ़, सुखाड़ और साथ ही साथ जलजमाव भी इतना है कि जिसके चलते मेरे समय से 1985 के बाद से बाढ़ नियंत्रण आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर जितनी प्रतिशत कृषि लायक खेती थी, उससे आज 25 प्रतिशत कम ज़मीन खेती लायक रह गई है। अगर 65 थी, तो 40 हो गई है। इसके बावजूद भी वहाँ के किसानों में यह समर्थ है कि वे उपजाते हैं। वहाँ उर्वरा ज़मीन है, सिंचाईयुक्त नदियाँ हैं, लेकिन जब बाढ़ से जलजमाव की बात होती है तो मैं कहना चाहता हूँ कि नेपाल सरकार से बात कर उन नदियों पर बैराज बनाया जाए, बैराज में पानी रोककर बिजली का उत्पादन किया जाए। बिजली का उत्पादन भी हो, सिंचाई भी हो और उसको बाढ़ से भी बचाया जाए तो बिहार का कल्याण हो सकता है।

बिहार ऐसी जगह है कि अंग्रेज़ों को देश से भगाने के लिए पूज्य पिता बापू ने बिहार की भूमि चम्पारण को चुना - उन अंग्रेज़ों को भगाने के लिए जिनके पास तोप, बंदूक और दुनिया की सारी ताकतें थीं, जिनके राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, उनको भगाने के लिए बिहार की भूमि को बापू ने चुना। उन्होंने उस मिट्टी के लाल को पहचाना कि बिहार में इच्छाशक्ति है। वहीं से डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, वहीं से मौलाना मज़हरुल हक, बृजकिशोर नारायण, जयप्रकाश नारायण जैसे लोग हुआ करते थे जिन लोगों का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है। जंगे-आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों का नाम लिखा जाएगा तो पहली पंक्ति में बिहार के लोगों का नाम लिखा जाएगा। उस बिहार की स्थिति आज बदतर हो गई है। निश्चित रूप से बिहार में अगर जल-जमाव, बाढ़ और सुखाड़ पर नियंत्रण किया जाए और सिंचाई की सुविधा हो जाए तो निश्चित रूप से बिहार का विकास होगा। बिहार में कोई उद्योगधंधे नहीं हैं, न पहले थे। श्री शरद पवार बैठे हैं, इन्होंने भी मोतिहारी में चीनी मिल का शिलान्यास किया था। हम लोगों को लगा था कि कम से कम एक तो चलेगी। बिहार में 35-36 चीनी मिलें बंद हैं। बिहार के मजदूरो में इतनी ताकत और सामर्थ्य है कि अपनी बीवी, बाल-बच्चों और बूढ़े मां-बाप को छोड़कर दूसरे राज्यों के निर्माण में योगदान करते हैं। वे पलायन इसलिए करते हैं, क्योंकि उन्हें रोज़गार नहीं मिलता है, इसलिए बाहर जाते हैं। मैं इनसे आग्रह करता हूं कि जो चीनी मिल चलाने का इन्होंने आग्रह किया था, कम से कम वह तो चलाएं। कोई चीनी मिल नहीं चली है। न राज्य सरकार और न ही केन्द्र सरकार ने चलायी है। जब वर्ष 2000 में बिहार और

झारखण्ड बंटा था, मैं उस समय विधान सभा में समता पार्टी विधायक दल का नेता था। झारखंड राज्य बनने के बाद एक सर्वदलीय कमेटी का गठन हुआ था कि बिहार झारखंड राज्य बनने के बाद कंगाल हो गया है, इसलिए क्योंकि सारी खान-खनिज पदार्थों का भंडार, सारे कल-कारखाने, चाहें सिंदरी हो, चाहे टाटा हो, चाहे बोकारो हो, जो भी बड़े-बड़े कल-कारखाने थे, वे सभी झारखंड में चले गए। वर्ष 2000 से 2005 तक राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बिहार में थी और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थीं। डॉ. भोला सिंह जो 1079 करोड़ रुपए का जो प्रस्ताव लाए हैं, उस समय एक सर्वदलीय कमेटी बनी थी, जिसके संयोजक उस समय के रेल मंत्री और अभी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और उस समय श्री अटल बिहार वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। सभी दल के लोगों ने स्पेशल पैकेज की मांग की। कई बार बैठकें हुईं। नेपाल से बात करने की बात हुई। नेपाल से केंद्र सरकार बात कर सकती है। राज्य सरकार सीधे नेपाल सरकार से बात करके नदियों की बाढ़ रोके और बांध बनाए। उस समय नीतीश कुमार जी केंद्र सरकार में मंत्री थे और सर्वदलीय कमेटी के संयोजक भी थे। उन्होंने स्पेशल पैकेज इसलिए नहीं दिलवाया, क्योंकि कहीं बिहार राज्य को लाभ न मिल जाए, क्योंकि उस समय बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को इसका लाभ न मिल जाए।

मैं मांग करता हूं कि बिहार में रहने के नाते हमारा यह फर्ज बनता है कि बिहार के विकास के लिए डॉ. भोला सिंह जो प्रस्ताव लाए हैं, उसे स्वीकार किया जाए। शरद पवार जी आप मजबूत मंत्री हैं, आप चाहेंगे, तो निश्चित रूप से बिहार को विशेष पैकेज मिलेगा।

16.49 hrs.

(Dr. M. Thambidurai *in the Chair*)

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Mr. Chairman Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Resolution moved by Dr. Bhola Singh seeking special status to the State of Bihar.

This is a genuine demand because the present system is like that. So, the system should be changed. The goals of democracy and sustainable socio-economic development can best be achieved through extensive decentralization of power. The concept of strong Centre and weak State has resulted in inadequate devolution of resources, heavy dependence of the State on the Centre for finance thus increasing the debt of the State.

As we all know, article 275 of the Constitution provides for granting aid to the States in need of assistance. Similarly, article 282 of the Constitution provides for grant by the Centre to the States for public purposes. The Finance Commission fixes Grant-in-Aid under article 275. But the grants given by the Centre under article 282 is not governed by any guideline. This is the issue on which every State has difference of opinion with the Centre.

The Centre arbitrarily distributes the grants to the States. This amounts to a political decision rather than a rational conclusion. Hon. Members will agree with me that this style of giving grants to the State by the Centre for public purposes needs to be resolved. The Finance Commission which is appointed after every five years, does not have the mandate to look into the issue.

I would like to make a suggestion for the consideration of the Government. The suggestion is, the scope of the Finance Commission should be enlarged to reduce interference of the Centre in the financial management of the States and also in framing guidelines to extend grants under article 282 of the Constitution. I hope hon. Members will also share my views in this regard.

Let us come to the question of the Centre interfering in the powers of the States. Though law and order is a State subject, the Centre has not hesitated in interfering in this field through the establishment of Central Reserve Police Force, Border Security Force, Industrial Security Force, etc. Some time back, ‘education’

was in the State List. But, by an amendment to the Constitution, the Centre has transferred 'education' to the Concurrent List. By such processes, the powers of the Centre have become strong and the States' powers have been eroded, making the States politically and economically weak.

A few days back, my revered leader and hon. Chief Minister of Tamil Nadu has presented a Memorandum to the hon. Prime Minister seeking financial assistance for various welfare and development programmes to the tune of Rs. 2,52,500 crore. Till date the Centre has not responded to the State's demand. My hon. leader has also requested the Centre to allot 1000 mw additional power from the Central pool to meet the emergency need. I regret to say that even on this crucial issue the Centre is keeping silent. The State Government's expectation that the Centre will come to its rescue has been belied. The image of the Centre is seriously getting eroded in the minds of the people, not only in the State of Bihar but also in other States like Tamil Nadu. I would request the Centre to take note of this fact and act judiciously.

Let me say a few words on the Centrally Sponsored Schemes. These schemes cover the State subjects. The pity is that the Centre determines the schemes and then asks the State Governments to implement them. The needs and aspirations of the States are well-known to the State Governments only. I would appeal to the Centre to take the States into confidence and consult the State Governments before formulating the schemes and in the process of execution of the schemes.

There is also the other point which I would like to point out here. The divisible pool of Central resources should be increased to the States. I would also appeal to the Centre to allow the States to have a share in the non-divisible taxes, like the corporate tax, customs duty, and surcharge on income tax.

I would request the hon. Minister of Finance to include this aspect in the terms of reference of the ensuing Finance Commission.

If I remember correctly, there are now only 11 States which are enjoying special status. The request of Bihar is justifiable and the Centre will not hesitate to accept the demand put forth by our hon. Member, Dr. Bhola Singh and accord special status which would help in accelerating the pace of economic development of Bihar. In the same way, the Centre should also turn its eyes towards Tamil Nadu and extend the helping hand to make the State great and strong under the dynamic leadership of hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchi Thalaivi, J. Jayalalithaa.

Sir, with these few words, I conclude my speech.

MR. CHAIRMAN : Thank you very much. Now, there are two more speakers who want to speak on this Resolution. If the House agrees, we can extend the time for this Resolution by half-an-hour. The Minister's reply is also there.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: So, I would request Shri Maheswar Hazari to speak. Please be brief.

श्री महेश्वर हज़ारी (समस्तीपुर): सभापति महोदय, मैं इस सीट से बोलने की अनुमति चाहता हूं।

MR. CHAIRMAN: Yes, you can speak. There is no problem.

श्री महेश्वर हज़ारी : आदरणीय सभापति महोदय, बिहार राज्य कभी बाढ़ एवं कभी सूखा से हमेशा ग्रसित रहता है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि सौतेलेपन का व्यवहार छोड़ कर बिहार के ऊपर एक सरसरी निगाह डाल कर देखा जाए कि बिहार क्यों पिछड़ा हुआ है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में सबसे पहले यह कहना चाहता हूं, चूंकि बिजली के क्षेत्र में हमारा बिहार सबसे पीछे है। जब से वहां आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, तब से वहां के समाज और वहां की जनता में यह विश्वास पैदा हुआ कि बिहार का विकास इनके नेतृत्व में होगा, बिहार में शांति व्यवस्था कायम होगी, बिहार का भविष्य उज्जवल होगा और बिहार का सम्मान पूरे देश में बढ़ेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं, विशेष आग्रह करना चाहता हूं, चूंकि बिहार बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। जब से झारखंड़ अलग हुआ, तब से हमारे यहां जो खनिज पदार्थ थे, वे सभी झारखंड में चले गए, जिसके कारण हम लोगों के यहां सिर्फ नदियां रह गईं। नेपाल से जो नदी आती है, यदि उस नदी के पानी का, वहां हम लोग अगर हाई डेम बना करके बिजली का उत्पादन करें तो हम बिहार में बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएंगे और वहां उसी पानी से कृषि के क्षेत्र में भी फायदा लेंगे। वहां का किसान भी उत्पादन बढ़ाने में आगे रहेगा, चूंकि बिहार का जो व्यक्तित्व है, वहां के जो लोग हैं, वे बहुत ही मेहनतकश इंसान हैं। पूरे देश में बिहार के लोग जाकर खेती-बाड़ी, मकान बनाने का काम और मजदूरी करने का काम किया करते हैं, पूरे भारत को संभालने का काम करते हैं। यदि बिहार में इस तरह से हो जाए तो मैं समझता हूं कि बिहार के लोगों को अपने यहां रहने का मौका मिलेगा और बिहार का विकास करने में उन लोगों का हाथ बढ़ेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में बीपीएल सूची की बात करना चाहता हूं। हमारे यहां से बिहार सरकार ने बीपीएल की एक करोड़ 40 लाख की सूची बना कर भेजी, लेकिन यहां से सिर्फ 65 लाख रुपए दिए गए। आप बताइए कि बिहार में 65 लाख रुपए में क्या होगा। वह इतना बड़ा क्षेत्र है, वहां पर बहुत से लोग रहते हैं, वहां के लिए मात्र 65 लाख रुपए ही दिए गए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार सरकार के द्वारा जो बीपीएल सूची की लिस्ट आई है, उन्हें यहां से एक करोड़ 40 लाख रुपए दिए जाएं और जल्द से जल्द उसे स्वीकृत किया जाए। बिहार में हमारे यहां जो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार मोदी जी की सरकार है, उन्होंने पूरे बिहार में घूम-घूम करके हस्ताक्षर अभियान चलाने का काम किया कि बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। मैं सबसे पहले बिहार के विशेष दर्जे के लिए जो संकल्प लाया गया है, उसके लिए मैं भोला बाबू, पुतुल जी और अन्य सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस संकल्प को लाने का काम किया। इसके साथ ही मैं यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि वहां जो हाई डेम बनेगा, उससे भी बिजली का उत्पादन होगा। वहां पर बहुत सी शुगर मिलें थीं।

17.00 hrs.

वे शुगर मिलें करीब-करीब 80 परसेंट बन्द हो गई हैं। अगर भारत सरकार चाहेगी तो वे शुगर मिल्स चालू हो जाएंगी तो वहां का किसान, जो ईख उत्पादन करता है, ईख उत्पादन करने के बाद वह मिल में जायेगी और वहां शुगर उत्पादन होगा।

साथ ही मैं आग्रह करना चाहता हूं कि वित्तीय प्रबन्धन, जो स्टेट के अनुसार पूरे भारत में किया जाता है, कम से कम बिहार में, जो गरीब स्टेट है, उसी के अनुसार वित्तीय प्रबन्धन भारत सरकार करे और विशेष राज्य का दर्जा बिहार को देने का काम करे।

मैं इन्हीं चन्द शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस संकल्प पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं यद्यपि मूलतः उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, परन्तु सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते पांच वर्ष मुझे बिहार में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और बिहार को जानने का सौभाग्य भी मिला है। निःसंदेह मैं बिहार से बहुत प्यार करता हूं और पूरे देश से बहुत प्यार करता हूं। इस कारण से जो विषय विभिन्न पक्षों से, विभिन्न कोणों से यहां पर आया है, मैं सबसे पहले तो उससे स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

कहीं भी उद्यमशीलता को यदि सफल बनाना है तो श्रम और पूंजी दोनों का संयोग होना बहुत आवश्यक है। बिहार के पास पुरुषार्थ है, लेकिन बिहार के पास पूंजी का अभाव है। बिहार का यह पुरुषार्थ पूरे देश में दिखाई देता है, चाहे वह श्रम से सम्बन्धित पुरुषार्थ हो या बौद्धिक पुरुषार्थ हो। इस संकल्प के माध्यम से जो बात भोला बाबू के द्वारा कही गई है और सदन के सभी माननीय सदस्यों के द्वारा कही गई है, उसके अनुरूप बिहार को समुचित पूंजी प्रदान की जाये, ताकि उसका पुरुषार्थ यशस्वी हो और अपनी परम्परा के अनुरूप बिहार देश के अन्दर अपना स्थान बना सके और आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर सके। ...(व्यवधान)

अभी देवकीनन्दन से यशोदानन्दन बने, हमारे एक माननीय सांसद बिजली का कुछ जिक्र कर रहे थे। अनेक बार मैंने भी इस बात को सदन में सुना है कि कोल कनैक्टिविटी की मांग बराबर बिहार की सरकार करती रही है। मैं समझता हूं कि विद्युत के उत्पादन की व्यवस्था हो जायेगी, अगर कोल कनैक्टिविटी उसको दी जाये।

अन्त में विषय को बहुत लम्बा न करते हुए, देश की आजादी की शुरूआत महात्मा गांधी ने बिहार से की, चम्पारन से की। बिहार का दर्द उन्होंने समझा और बिहार के दर्द के माध्यम से पूरे देश का दर्द उन्होंने समझा। मैं इस सदन से और सरकार से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार के दर्द को वह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखे, जिस दृष्टि से महात्मा गांधी ने चम्पारण में देखा था और बिहार के विकास के लिए जो प्रार्थना भोला बाबू के द्वारा की गई है, जो प्रस्ताव किया गया है, उसको स्वीकार किया जाये और एक विशेष पैकेज के अन्दर उसको सहायता दी जाये।

बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

MR. CHAIRMAN : Shri Jagdambika Pal. You also follow the time-limit like the other Members. Please be very brief. I give three minutes to you.

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): Sir, I take only whatever time you are giving.

MR. CHAIRMAN: I give you three minutes.

SHRI JAGDAMBIKA PAL : सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि माननीय भोला सिंह जी के द्वारा जो एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया है, उस पर आपने मुझे भी बोलने का अवसर दिया है।

इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते हैं कि जंगे आजादी में बिहार और उत्तर प्रदेश का योगदान आज भी स्वर्णाक्षरों में लिखा है। गंगा और गोमती के बीच में जो भी लड़ाई लड़ी गई, जैसा अभी माननीय राजेन्द्र अग्रवाल जी ने चम्पारण का जिक्र किया तो वह चाहे काकोरी कांड हो, चाहे चौरीचौरा कांड हो, चाहे चम्पारण हो, सारी ब्रितानिया हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ने में योगदान उस बिहार की भी धरती के लोगों का रहा है और उत्तर प्रदेश के लोगों का भी रहा है। स्वाभाविक है कि अगर कहीं क्षेत्रीय असंतुलन होता है, रीजनल इम्बेलेंस होता है, जिसके कारण लोग पलायन करते हैं या जिस तरह से जिक्र हमारा सदन कर रहा है कि आज भी वहां के पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं है, लेकिन उस पुरुषार्थ का पलायन होकर सूरत हो, अहमदाबाद हो, मुम्बई हो, दिल्ली हो, कोलकाता हो, उन जगहों पर आज वहां की अर्थव्यवस्था में, वहां के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यहां चाहे दिल्ली के कॉमन वेल्थ गेम्स हों, उसको भी बनाने में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों का, वहां के मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं समझता हूं कि किसी भी राज्य को केवल एक स्पेशल स्टैटस दे देने से ही उस राज्य का विकास नहीं हो सकता है। राज्य के विकास के लिए निश्चित तौर से एक शार्ट टर्म प्लानिंग और एक लांग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसमें राज्य सरकार का भी एक दायित्व होगा कि हम उस दायित्व को निभायेंगे। केंद्र सरकार से जो अपेक्षायें हों, केंद्र सरकार से जो भी वित्तीय संसाधन दे रहे हों, चाहे वह विकास के लिए हो, चाहे भारत निर्माण की योजनाओं के लिए हो, ...(व्यवधान) चाहे वह वहां के दूसरे विकास कार्यक्रमों के लिए हो, उसके लिए निश्चित तौर से इस चीज को देखना होगा। मैं समझता हूं कि बिहार के पिछड़ेपन के कारण या बिहार आज भी अगर बीमारू राज्य माना जा रहा है तो उसके लिए सदन को गंभीरता से चिंता करनी पड़ेगी कि आज बिहार में विकास न होने या पिछड़ेपन का कारण क्या है? मैं समझता हूं कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश को आप अलग नहीं कर सकते हैं। आज दोनों की परिस्थितियां ऐसी ही हैं। इसका सबसे बड़ा

कारण फ्लड है। वह फ्लड इसलिए है कि पूरे बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक, हम नेपाल के फुट-हिल्स पर हैं। चाहे नेपाल की जलकुंडी हो, करनाली हो, वहां की सारी नदियों का पानी हों, जिस तरह से बिहार की कोसी नदी में बाढ़ एक नियत बन गयी है या उत्तर प्रदेश में घाघरा हो, राप्ती हो या गंगा हो, वहां भी उसी तरह की बाढ़ की नियत बन गयी है। उन परिस्थितियों में आज क्या हो रहा है? अगर बिहार में पिछले वर्ष बाढ़ आयी, तो वहां रिलीफ के लिए भारत सरकार ने एक हजार करोड़ रुपए दिए और जब एक हजार करोड़ रुपए से अधिक की डिमांड आयी, तो आपको याद होगा, इसी सदन में कहा गया कि एक हजार करोड़ रुपए जो हमने फ्ल्ड रिलीफ वर्क के लिए दिया था, उसका यूटिलाइजेशन सार्टिफिकेट नहीं आया। स्वाभाविक है कि ...(व्यवधान) इसके लिए एक हजार करोड़ रुपया गया। अच्छा चलिए, इसको भी न मानिए। क्या आप यह भी नहीं मानेंगे कि वर्ष 2010-11 में भारत सरकार ने बीस हजार करोड़ रुपए दिए और वर्ष 2011-12 में भी 6 हजार करोड़ रुपए केंद्र सरकार से योजनाओं के लिए जा चुके हैं। स्पेशल पैकेज के लिए यहां से गया है, आप जवाब दे दीजिए। ...(व्यवधान) उनको हर साल 2 हजार करोड़ रुपए मिल रहे हैं। ...(व्यवधान) माननीय मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में जरूर बता देंगे कि आपने बिहार को कितना दिया है, लेकिन मैं जानता हूं कि आज उस स्पेशल प्लान में हर साल बिहार को अगर दो हजार करोड़ रुपए मिल रहे हैं या दस हजार चार सौ करोड़ रुपए जो स्पेशल पैकेज में आज तक सैंक्शन हुए, निश्चित तौर से कम से कम इस बात के लिए तो धन्यवाद देना चाहिए कि भारत सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं में जो हमने आज तक 32 हजार करोड़ दिए ...(व्यवधान)

श्री कौशलेन्द्र कुमार : वह हमारा अधिकार है। ...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : आप सुन लीजिए। ...(व्यवधान) मैं कौशलेन्द्र जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने स्वीकार किया कि हमें मिला है। बिल्कुल आपका अधिकार है, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपका अधिकार नहीं है। अगर आपके अधिकार के ...(व्यवधान) लेकिन आज हम जो दे रहे हैं, वहां पॉवर प्लांट बनाने के लिए ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please take your seat. Hon. Minister will reply now.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

* Not recorded

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister will start his reply.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

*(Interruptions) …**

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : माननीय सभापति जी, पिछले कई घंटों में हमने बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा देने के प्रस्ताव को, जिसे भोला बाबू इस सदन में लाए हैं, एक विस्तृत चर्चा सुनी। इस संबंध में बहुत भावनात्मक विचार व्यक्त किए गए और बहुत दलीलें दी गयीं। मैं उन भावनाओं के साथ अपने आपको जोड़ता हूं और दोहराना चाहता हूं कि देश का समग्र विकास तब तक नहीं हो सकता है, जब तक हमारे देश के सारे राज्यों का विकास पूरी तरह से न हो जाए। जो खास बात इस चर्चा में सामने आयी, वह है बिहार का गौरवमयी इतिहास। एक ऐसा इतिहास जो केवल बिहार को ही गौरवान्वित नहीं करता है, बल्कि सारे राष्ट्र को गौरवान्वित करता है। हम जब कॉलेज में पढ़ा करते थे तो देश की आजादी के बारे में जिन योद्धाओं ने, देश के महापुरूषों ने योगदान दिए थे उनमें बड़े नाम आते थे - जैसे सर्वश्री जयप्रकाश नारायण जी, बाबू जगजीवन राम जी, राजेन्द्र प्रसाद जी और ऐसे अनेकों नाम आते थे। जब कभी संस्कृति की चर्चा होती थी तो रामधारी दिनकर जी का नाम जिनकी पंक्तियां मुझे बहुत प्रिय है। मैं अपनी तकरीर में उनका कई बार इस्तेमाल भी करता हूं।

समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध
जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी उसका अपराध।

जब नालंदा की बात आती है तो बिहार की बात आती है। जब ज्ञान की बात आती है तो तक्षशिला और वैशाली की बात आती है। मैं किन-किन का नाम लूं, किन-किन का जिक्र करूं - गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, शिवपुजन सिंह जी और अमर विर कुँअर सिंह जी का नाम जब आता है तो बिहार का नाम आता है। जब इनका नाम आता है तो देश अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। जहां तक भावनाओं का सवाल है, जहां तक विचारों का सवाल है किसी किस्म का मतभेद नहीं है। बिहार का समग्र विकास हो। इसका जल्द विकास हो। ऐसा विकास हो जिससे देश आगे बढ़े, जिससे एक सामाजिक न्याय की प्रक्रिया आगे बढ़े। इन किसी भी मुद्दों पर किसी भी तरह से मुझे और कुछ नहीं कहना है जो आप ने कहा उन सभी धारणाओं, विचारों और भावनाओं के साथ मैं अपने-आप को जोड़ता हूं।

सभापति जी, मैं आपकी आज्ञा से जो दो-चार जो तथ्य हैं उन्हें सदन में रखना चाहूंगा। बिहार के प्रति जितनी संवेदना, जितनी उदारता इस सरकार ने दिखाई है उसका प्रमाण कुछ आंकड़ों से देना चाहूंगा। वर्ष 2003-04 में स्पेशल प्लान के तहत, जो सिर्फ बिहार के लिए बनाया गया था, एक हजार करोड़ रूपये सलाना की राशि मंजूर की गई जिस राशि को बढ़ाकर वर्ष 2008-09 में दो हजार करोड़ रूपये सलाना कर दिया गया है। जैसा कि जगदम्बिका पाल जी ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने उसका जिक्र किया। वर्ष 2010-11 में बीस हजार करोड़ रूपये की राशि जो विभिन्न सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं उसके तहत बिहार को

प्रदान की गई। उससे पहले बारह हजार करोड़ रूपये वर्ष 2009-10 में दिया गया। बारह हजार करोड़ रूपये की रकम को बढ़ाकर बीस हजार करोड़ रूपये हमारी सरकार ने मंजूर कर दी। इस प्रकार आठ हजारा करोड़ रूपये का बढ़ावा एक साल के अंदर हमारी सरकार ने दिया। इसके अलावा 13वीं फाइनैंस कमीशन के मापदंडों के मुताबिक बिहार को आज कहीं ज्यादा अतिरिक्त राशि अपने विकास के लिए मिल रही है जो पहले नहीं मिलती थी।

सभापति जी, जहां तक बिहार के विशेष श्रेणी के दर्जे का सवाल है इसके मुतल्लिक पिछले दिनों नीतिश कुमार जी प्रधानमंत्री जी से मिले थे। उन्होंने विशेष प्रार्थना की थी। एमपीज ने एक मेमोरैंडम दिया। इसके पहले वर्ष 2009-10 में भी इसकी मांगे आती रहीं और इसके मुतल्लिक आए दिन सदन में चर्चा होती है, सवाल पूछे जाते हैं। बिहार उन्नति करे, देश का प्रगतिशील प्रदेश बने और जल्द उन्नति करे। इसमें कोई दो राय नहीं है जैसा मैंने कहा। मगर उसका माध्यम क्या है? क्या केवल विशेष श्रेणी के दर्जे से ही इस उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। हमने जो स्पेशल प्लान बनाया है उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि बिहार का समग्र विकास हो। पिछले दिन, मैंने एक सवाल के जवाब में बताया था कि दिल्ली की बनिस्बत पिछले तीन-चार सालों में बिहार का विकास बढ़ा है, लेकिन एक निचले और छोटे बेस से विकास हो रहा है इसलिए अभी और बहुत कुछ करना है। कोसी की बाढ़ का प्रभाव उससे जो संपत्ति एवं खेती का नुकसान होता है उसके बारे में हमें पूरी जानकारी है, उसके बारे में पूरा एहसास है। इसलिए बिहार सरकार खास हालातों से जूझने के लिए जो-जो योजना केन्द्र सरकार को देती है, करीब-करीब सभी मानी जाती हैं। मैं उनका विवरण अभी आपको दूंगा। हमने चार-पांच मापदंड रखे हैं और नेशनल डैवलपमैंट काउंसिल के मापदंड हैं। चाहे जनसंख्या का जमावड़ा हो चाहे पहाड़ी इलाकों की बात हो, इन दो-तीन मापदंडों पर आज के मापदंड पर बिहार को स्पैशल श्रेणी का दर्जा नहीं दिया जा सकता, ऐसी प्लानिंग कमीशन की भावना है। उड़ीसा, गोवा, राजस्थान के मुताल्लिक भी समय-समय पर डिमांड्स आई हैं। उनके मुताल्लिक इन्हीं मापदंडों को सामने रखते हुए जो उचित फैसला समझा गया, वह किया गया। मगर इस फैसले के बावजूद इस बात से कभी भी इंकार नहीं किया गया कि बिहार एक बड़ा प्रदेश है और एक ऐसा प्रदेश है जो जब तक पूरी तरह से विकसित नहीं होता, देश का पूरी तरह से आर्थिक विकास नहीं हो सकता। हमने जो आंकड़े देखे हैं, हम जिस तरह की विकास दर चाहते हैं 9 प्रतिशत, 8.5 प्रतिशत, 9.5 प्रतिशत, जो बारहवीं पंचवर्षीय योजना में हमारे उद्देश्य हैं, वह तब तक नहीं हो सकता जब तक बिहार का विकास नहीं होता। हम इस बात को स्वीकारते हैं। मगर मापदंडों को बदलने का इख्तियार नेशनल डैवलपमैंट काउंसिल को है। मेरा यह मानना है कि जब तक उन मापदंडों में कोई सुधार न हो या उनमें कोई अमैंडमैंट न हो, तब तक स्पैशल प्लान के तहत जो दो हजार करोड़ रुपये की राशि मिलती है या जो सैंट्रल स्पॉन्सर्स

स्कीम हैं या तेहरवीं फाइनैंस कमीशन की रिकमैंडेशन्स के तहत एक अतिरिक्त राशि का बिहार के लिए जो प्रावधान है, मैं समझता हूं कि बिहार की जो मुख्य चुनौतियां हैं, हम उन्हें झेलने में कामयाबी हासिल करेंगे और की भी हैं तभी विकास हुआ है। मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें अभी और बहुत कुछ करना है।

मैं पिछले दिनों बिहार गया था। ईस्टर्न स्टेट्स की प्लानिंग कमीशन की मीटिंग बिहार में रखी गई थी। नीतीश बाबू से व्यापक विचार-विमर्श किया गया और हर पहलू जो प्रदेश सरकार रखना चाहती थी, पूरे प्लानिंग कमीशन के सामने वे विचार रखे गए। मेरी अपनी भावना है कि जब नीतीश बाबू यहां आए थे, तब भी और उससे पहले भी उनसे जितनी भी बातचीत हुई, करीब-करीब सब लोग यह समझते हैं कि जो कुछ संविधान के दायरे में, नेशनल डैवलपमैंट काउंसिल के मापदंडों के दायरे में किया जा सकता है, वह किया गया है।

मैं आपको दो-तीन बातें और बताना चाहता हूं। कुछ खास प्रोजैक्ट जिनका सीधा ताल्लुक बिहार के एक बहुत जल्द होने वाले विकास के साथ है, जैसे स्टेट हाइवेज़, प्रधान मंत्री सड़क रोजगार योजना, नेशनल हैल्थ मिशन की बात, इंटग्रेटेड वाटरशैड डैवलपमैंट प्रोग्राम, मनरेगा की बात, जितनी भी सैंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, हम चाहते हैं कि उनकी इम्प्लीमैंटेशन बिहार के लिए और भी कारगर बने ताकि जो चीज़ हम विशेष श्रेणी न देने के कारण नहीं कर सकते, वह इन परियोजनाओं के माध्यम से कर सकें। लक्ष्य भी वही है और उद्देश्य भी वही है। किसी किस्म का इखतलाख नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बहुत फक्र से यह बात कहना चाहता हूं कि यूपीए सरकार डैवलपमैंट के मसले पर कभी भी किसी प्रदेश के साथ इरादतन भेदभाव नहीं करती। हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है कि किस प्रदेश में कौन सी सरकार है। हम समझते हैं कि नीतीश जी की सरकार ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और हम अपनी मर्यादाओं में रहकर, मापदंडों की मर्यादाओं में रहकर बिहार के लिए जो अधिक से अधिक कर सकेंगे, वह करेंगे। यह ऐसा राज्य है, ऐसी भूमि है, इसका ऐसा गौरवमयी इतिहास है कि हम सब लोग अपने आपको बिहार के विकास के साथ जोड़कर गौरवान्वित मानते हैं।

भोला बाबू, आप यह प्रस्ताव लाए हैं। मैं सरकार की ओर से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे भी जिन बहुत सी चीजों का ज्ञान नहीं था, मैंने चर्चा सुनी और उससे ज्ञान हासिल किया। लेकिन मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। वर्ष 2003-04 जब हमने स्पैशल प्लान शुरू किया, तब हम बिहार के लिए एक हजार करोड़ रुपये सालाना देते थे, जिसे वर्ष 2010 से बढ़ाकर दो हजार करोड़ रुपये कर दिए गए हैं। अब तक स्पैशल प्लान के तहत 10,468 करोड़ रुपये बिहार को जा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त जो स्पेशल स्कीम्स हैं, सैंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम्स, सैंट्रल असिस्टैंस टू स्टेट प्लान है, उसके तहत वर्ष 2009 में 12206.15 करोड़ रुपये बिहार को गये। इन्हीं के तहत वर्ष 2010-11 में 2096 करोड़

34 लाख रुपये बिहार को गये और अब तक वर्ष 2011-12 में 6123 करोड़ रुपये गये। इस तरह राशि का कोई अभाव नहीं है और जिन प्रौजेक्ट्स के लिए राशि गयी है, वे बहुत अहम हैं। उन प्रौजेक्ट्स को हमने प्रदेश सरकार के साथ बैठकर मंजूरी दी है। उनकी इम्प्लीमैंटेशन की मौनीटरिंग कुछ हद तक प्लानिंग कमीशन भी करता है, मगर अंततः यह जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। इनमें बहुत महत्वपूर्ण विकास के जो कार्य हुए हैं या होने हैं, उनमें स्टेट हाईवेज, रेल कम रोड ब्रिज, सब ट्रांसमिशन सिस्टम, जो बिजली आपूर्ति करने के लिए है और माडर्नाइजेशन जो बरौनी, मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन का है, बिहार के ग्राउंड वाटर इरीगेशन की स्कीम्स हैं, उनके मुताल्लिक है। जो ईस्टर्न गंधक कनाल और इंटेग्रेटिड वाटरशेड डेवलपमैंट प्रोग्राम है, उसके मुताल्लिक है। इसके अलावा जो फॉरेस्ट मैनेजमैंट है, उसके मुताल्लिक है। ये सारी परियोजनाएं जो प्रदेश सरकार ने हमें भेजीं, हमने उन्हें स्वीकृति दी है। उनके लिए उचित राशि भी आवंटित की है। मेरा यह मानना है कि इन सभी चीजों को देखते हुए, इन सभी आंकड़ों को देखते हुए, परियोजनाओं को देखते हुए और इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि आपकी भावनाओं से सरकार सहमत है कि बिहार का विकास हो, मैं मानता हूं कि इस प्रस्ताव को प्रैस करने की आवश्यकता नहीं है। केन्द्र सरकार पूरी उदारता और खुले दिल के साथ बिहार के विकास में जितना भी अधिक से अधिक योगदान दे सकती है, वह देगी, ताकि बिहार की जो गौरवमयी गाथा है, वह आगे भी चलती रहे और आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं, वे बिहार को एक बहुत प्रगतिशील प्रदेश के रूप में देख सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं सभी माननीय सदस्यों का, जिन्होंने चर्चा की, धन्यवाद करता हूं और जो कुछ करना होगा, वह हम करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप यह प्रस्ताव वापस ले लें।

डॉ. भोला सिंह (नवादा): सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के विवाद पर, बहस पर, विमर्श पर अपने जो उद्‌गार प्रकट किये हैं, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, बिहार वह मां है, जो पूरे राष्ट्र को खिलाकर, उसकी अस्मिता की रक्षा करके, स्वयं फटे-चिटे चिथड़ों में लिपटी हुई है और इसके लिए बिहार को गौरव है। हम केन्द्र सरकार के दरवाजे पर कोई याचना करने के लिए नहीं आये हैं, कोई प्रार्थना करने नहीं आये हैं। मैं कोई रुपये की थैली मांगने नहीं आया हूं। आप हमें क्या देंगे? बिहार ने सम्पूर्ण राष्ट्र को दिया है और यह सम्पूर्ण राष्ट्र की आत्मा का दीप है। इसने सम्पूर्ण भारत को गौरव के आसन पर बिठाया था। चन्द्रगुप्त मौर्य के जमाने में भारत का इतिहास, इंदिरा जी को छोड़कर, विफलता और डिफीट का रहा है। बिहार ने चन्द्रगुप्त मौर्य के जमाने में विजयी सिकंदर के सेनापति को हराकर उसकी बेटी के साथ शादी करके बिहार की सीमा, जो भारत की सीमा हुई, हिन्दुकुश पर्वत तक बढ़ायी। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा के दीप हैं।

सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने आंकड़ों का जो जाल बिछाया है, उसको मैं जानता हूं। क्या मैं यह जान सकता हूं कि केन्द्र सरकार ने बिहार को जो कुछ दिया है, फाइनेंस कमीशन, जो सम्पूर्ण देश के राज्यों की आवश्यकता, उनके पिछड़ेपन आदि सब कुछ देखकर आवंटित करता है, वह आपकी दया से नहीं प्राप्त हुआ है, वह हमारा अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। आपने कोई दया करके हमें नहीं दिया है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please wind up.

डॉ. भोला सिंह : सभापति महोदय, मुझको अपनी बात कहने दीजिए। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं। बिहार विडंबनाओं का राज्य है। एक तरफ 46 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, दूसरी तरफ बिहार अपना पेट काटकर, पीड़ा सहकर प्रतिवर्ष राष्ट्रीयकृत बैंकों में 58,000 से लेकर 60,000 करोड़ रुपये जमा करता है और बिहार को मिलता है सिर्फ 28,000 करोड़ रुपये, 31,000 करोड़ रुपये। इसका मतलब है कि हमने अपने पेट को काटकर, बचा-बचाकर जो पैसे जमा किए हैं, हमारे पैसे से महाराष्ट्र को बैंक से 92 प्रतिशत लोन मिलता है, राजस्थान को मिलता है 88 प्रतिशत, गुजरात को मिलता है 92 प्रतिशत और हमको मिलता है सिर्फ 27 प्रतिशत। हमसे आप आबाद हैं, हमसे आप बहार में आए हैं, हम मज़ार के रूप में उपस्थित हो रहे हैं। इसलिए हम कोई दया मांगने के लिए नहीं आए हैं।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बिहार संभावनाओं का राज्य है, समस्याओं का नहीं। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Your allotted time is over. You have to wind up.

डॉ. भोला सिंह : यह मैं जानता हूं। मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदय, इस बहस में 20 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। इस पर बोलते हुए उत्तर प्रदेश के शैलेन्द्र जी ने बिहार को स्पेशल दर्जा मिले, इसकी अपने स्तर से व्याख्या की, समर्थन किया। मंगनीलाल मंडल जी ने अपने अनुभव से बिहार को स्पेशल दर्जा दिए जाने के लिए तथ्यों को प्रस्तुत किया। किशनगंज के हमारे माननीय सदस्य ने बिहार की गौरव-गरिमा के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में तथ्यों को पुरःस्थापित किया। श्री सतपाल महराज ने बिहार के आध्यात्मिक चरित्र को पुरःस्थापित करते हुए कहा कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। श्री शाहनवाज हुसैन ने और डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने बिहार के समुचित विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। श्री सुशील कुमार सिंह और श्रीमती पुतुल कुमारी जी ने बिहार की गौरव-गरिमा के बारे में सारे तथ्यों को रखा है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please come to the point. There are many other Bills and Resolutions that we have to take up.

डॉ. भोला सिंह : मैं समाप्त कर रहा हूं सभापति महोदय। मैं जानता हूं कि आपको समय की पीड़ा है, हमें आत्मा की पीड़ा है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please do not quote names. There is no time for all that.

डॉ. भोला सिंह : मैं समाप्त करने वाला हूं। श्री संजय निरुपम जी, जो हमारी कोख से महाराष्ट्र गए हैं।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please do not quote names. There is no time for all that.

डॉ. भोला सिंह : श्री मेघवाल जी ने, जो राजस्थान के बीकानेर से आए हैं, उन्होंने बिहार को स्पेशल दर्जा देने की मांग की है।

सभापति महोदय, श्री मुनव्वर हुसैन जी ने, श्री महेश्वर हजारी जी ने, श्री राजेन्द्र अग्रवाल जी ने और अन्य तमाम माननीय सदस्यों ने बिहार को स्पेशनल दर्जा देने के लिए आवाज़ उठाई है। श्री जगदम्बिका पाल जी, जिनका स्वर्णिम इतिहास रहा है और उस स्वर्णिम इतिहास को लेकर वह यहां उपस्थित हैं, उन्होंने भी बिहार के बारे में कहा।

मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि बिहार आप पैकेज दें या न दें, हम नहीं कहते, लेकिन जो आपने असम के साथ, मणिपुर, मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल के साथ और अन्य राज्यों के कुछ हिस्सों के साथ किया, अगर बिहार के साथ ऐसा नहीं हुआ तो, बिहार का पूर्वी हिस्सा क्षेत्रीय असंतुलन का और

पिछड़ेपन का शिकार हो जाएगा। तब एक आवाज़, एक हुंकार वहां से उठेगी, जो समस्त देश की सीमाओं की ओर जा सकती है। बिहार की जो संवैधानिक जिम्मेदारी है, जैसा तत्कालीन राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बिहार के बारे में कहा था कि 2015 तक यह प्रदेश विकसित राज्य बने और इस सम्बन्ध में उन्होंने बिहार के मुख्य मंत्री जी के सामने यह प्रस्ताव रखा था। मुख्य मंत्री जी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए बिहार को 2015 तक विकसित राज्य बनाने की बात कही थी। मंत्री जी ने बिहार के बारे म जो भावनाएं व्यक्त की हैं, वह ममता आपके हृदय में है। सूरज से धरती बनती है, लेकिन बिहार की धरती की कोख से सूरज निकलता है, दिनकर है। हम सदन में सिर्फ इतना ही आश्वासन आपसे चाहते हैं कि बिहार को विशेष दर्जा देने के मामले में तमाम तथ्यों को देखेंगे और बिहार के मुख्य मंत्री जी के साथ विचार-विमर्श करके, साथ ही दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी बात करके बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे। बिहार की तरक्की भारत की तरक्की है, बिहार की अस्मिता भारत की अस्मिता है और बिहार का विकास भारत का विकास है। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप आश्वासन दें और हम उस आश्वासन के आलोक में आपकी बात को मानेंगे।

श्री अश्विनी कुमार : सभापति जी, मैं भोला सिंह जी को और पूरे सदन को जरूर यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि मैंने पहले भी कहा है और फिर दोहरा रहा हूं कि जहां तक बिहार के विकास का सवाल है, यह विकास जल्द से जल्द हो, तीव्र गति से हो, समग्र हो और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाएं। इस बात की हमने हमेशा कोशिश की है। मैं आज भी कह रहा हूं कि सरकार के साथ बीतचीत करके, अपनी मर्यादाओं के बीच रहते हुए जो कुछ हो सकेगा, हम जरूर करेंगे। मैं माननीय सदस्य से उनका संकल्प वापस लेने की अपील करता हूं।

डॉ. भोला सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं।

MR. CHAIRMAN : Is it the pleasure of the House that the Resolution moved by Dr. Bhola Singh be withdrawn?

The Resolution was, by leave, withdrawn.

17.33 hrs.

RESOLUTION RE: SPECIAL ECONOMIC DEVELOPMENT PACKAGE FOR DESERT REGIONS OF THE COUNTRY

MR. CHAIRMAN : Now, we shall take up item no. 14 – Shri Harish Chaudhary.

श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"यह सभा देश के मरू प्रदेशों में व्याप्त पिछड़ेपन पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह:-

(एक) मरू प्रदेशों में रहने वाले लोगों के समक्ष आ रही समस्याओं को कम करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को दिए गए आर्थिक पैकेज की तर्ज पर मरू प्रदेशों के समग्र विकास; तथा

(दो) इन प्रदेशों के लोगों को देश के अन्य भागों में रहने वाले लोगों के समतुल्य सामाजिक-आर्थिक विकास का स्तर प्राप्त करने में समर्थ बनाने हेतु विशेष आर्थिक पैकेज तैयार करे और इसे कार्यान्वित करे।"

सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछड़े क्षेत्र, मरू प्रदेश मरुस्थल की तरफ से जो हमारे हालात को इस सदन के अंदर बताने का आपने मौका दिया है। इस समस्या के समाधान के रास्ते की चर्चा करने का जो आपने अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं।

सभापति महोदय, हमारा देश विभिन्नता वाला देश है, कहीं पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं लम्बी नदियां हैं, कहीं बर्फीला क्षेत्र है, कहीं समुद्र का किनारा है और कहीं मरुस्थल है। देश के जिन क्षेत्रों का विकास उनके भौगोलिक और प्राकृतिक कारणों से नहीं हो सका, उसमें देश का उत्तर-पूर्वी भाग और मरुस्थलीय क्षेत्र मुख्यतः है।

सभापति महोदय, रेगिस्तान के बारे में इस सदन में चर्चा ही बहुत हुई है, पर रेगिस्तान है क्या? रेगिस्तान की पीड़ा वहां रहने वाले बाशिंदे ही जानते हैं। जिन विषम परिस्थितियों में वे अपना जीवनयापन करते हैं, शायद वैसी विषम परिस्थितियां किसी भौगोलिक क्षेत्र में नहीं हैं। इस संसद के अंदर कई क्षेत्रों की चर्चा हुई है और मैं राज्यों के आधार पर कहना चाहता हूं कि राज्य एक प्रशासनिक सीमाओं के तहत होते हैं। जो क्षेत्र भौगोलिक तौर पर पिछड़ा हुआ है, सदियों से पिछड़ा हुआ है, जिस क्षेत्र की आवाज यहां दिल्ली तक पहुंचने की भी व्यवस्था नहीं है और वह व्यवस्था इसलिए नहीं है क्योंकि प्राकृतिक तौर पर वह क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ है कि उस क्षेत्र के अंदर शिक्षा की भी बहुत कमी है।

रेगिस्तान क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जिनमें ढाई सौ मि.मि. से कम वर्षा हो। औसतन 1600 से 1700 मि.मि. वर्षा हम लोगों के वहां होती है। मेरे खुद के क्षेत्र बाड़मेर-जैसलमेर में, वर्ष में सिर्फ 100 मि.मि. वर्षा होती है। उतनी वर्षा दूसरे प्रदेशों में कुछ ही मिनटों में हो जाती है।

मैं राजस्थान से आता हूं और वहां का 61 प्रतिशत भू-भाग रेगिस्तानी है और उस भू-भाग में लगभग 41 प्रतिशत आबादी रहती है। रेगिस्तान के अंदर जो बाशिंदे रहते हैं, उनको लगातार तनाव, अनियमित वर्षा, तीव्र शुष्कता, उच्च हवा-वेग, चल रेत के टीबे और सूखे जैसी प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जो रेगिस्तानी इलाके हैं वे लगभग 10 प्रतिशत इस देश का भू-भाग है और उसमें सिर्फ 2 प्रतिशत जल ही हमारे हिस्से में है। वह दो प्रतिशत कैसा जल है, वह मैं इस संसद के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। किसी भी पैमाने के अंदर वह जल मनुष्य ही नहीं जानवरों के लिए भी वह जल पीने योग्य नहीं है। उस पेयजल को पीकर, उस विषम परिस्थिति में पलने वाले राजस्थान के लोग हैं, मरुस्थल के लोग हैं। उन विषय परिस्थितियों के बावजूद भी हमने अपनी बात बड़ी विनम्रता के साथ रखी है और कभी भी हमने अपनी बात के अंदर उग्रता और उग्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। कहावत है कि जितना गहरा पानी होता है, उतना सहनशील वहां का व्यक्ति होता है। मैं इस सदन के माध्यम से निवेदन करता हूं कि हम लोगों की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनका अहसास किया जाए। मैं माननीय भोलासिंह जी की तरह हक और अधिकार की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे नेता माननीय राहुल गांधी की जो समग्र विकास की सोच है कि भारत में दो प्रकार का देश न हो - एक विकसित देश और एक पिछड़ा हुआ देश।

सभी को साथ में ले कर हम देश का विकास कैसे करें, इसी विचार और सोच को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूं।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN): Please address the Chair…. (*Interruptions*)

श्री हरीश चौधरी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शायद हमारी संसद विश्व का सबसे पवित्र स्थान है और संसद में बोला गया शब्द, संसद में रखा गया विचार सारा देश गंभीरता से सुनता है और हम लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश को आगे कैसे बढ़ाएं, इस बारे में सोचना चाहिए। देश के विकास में प्रत्येक किसान और मजदूर की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमें सामूहिक प्रयास करना चाहिए। माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं, मैं बैठने के बाद उनकी बात भी सुनूंगा।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please address the Chair. You address the Chair. Do not discuss with them. If there is diversion, you cannot put all your points.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I am only helping him. Then only he can concentrate on his speech. Otherwise, if he goes on discussing with them, he cannot say all his points.

… (*Interruptions*)

श्री हरीश चौधरी : हमें इस खाई को पाटने के लिए ग्रामीण भारत का समग्र विकास करना है। देश के विकास की मुख्य रीढ़ मजदूर और किसान हैं। जब तक हम इनके महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक हम देश के विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज दुर्भाग्य से मजदूर और किसान के प्रति देश के लोगों का दृष्टिकोण है, शायद इतिहास में कभी नहीं था। आज हम लोग अपने आपको किसान या खेती से जुड़े किसी भी कार्य से जोड़ते हैं, तो हमें गर्व नहीं होता है। अगर हम अपने आपको मजदूरी के कार्य से जोड़ते हैं, तो हमें गर्व नहीं होता है। कोई भी देश, कोई भी व्यवस्था, कोई भी समाज जब तक किसान और मजदूर का सम्मान नहीं करेगा, तब तक विकास की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं।

मैं सदन के माध्यम से यह आग्रह करना चाहता हूं कि सबसे पहले हम लोगों की सोच किसान और मजदूर का सम्मान करने की होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, तो वैकल्पिक तौर पर इस देश के अंदर कई प्रकार की मांग आएगी। हमें संसद में तय करना पड़ेगा कि किसान और मजदूर की भागीदारी तथा पिछड़े इलाकों की भागीदारी देश के विकास में कैसे सुनिश्चित करें। देश के उत्तरी-पूर्वी राज्यों के अंदर विकास की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछड़े इलाके के लिए केंद्र सरकार और पूरा देश सोच रखता है और देश के समग्र विकास में भागीदार बनने का मौका देता है। उत्तरी-पूर्वी सात राज्यों का क्षेत्रफल लगभग 0.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इस योजना के लिए विभिन्न मंत्रालयों का आबंटन का प्रावधान 10 प्रतिशत है। हमारे देश के मरुस्थलीय इलाके का भू-भाग 0.4 मिलियन वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है। मैं यह सिर्फ तुलनात्मक आंकड़े देने के लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ ज्यादा मांगने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं धरातल में स्थिति बताने के लिए सबके सामने यह बात रख रहा हूं। इसमें से 0.2 मिलियन वर्ग स्क्वायर किलोमीटर राजस्थान के अंदर है। इतना बड़ा राजस्थान का मरुस्थलीय भू-भाग है। राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर संसदीय क्षेत्र जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ इलाका है, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं संसद में आया हूं। अगर इस भू-भाग की हम राजनीतिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर हम पैमाना करने तो हरियाणा राज्य से डेढ़ गुना लगभग मेरा संसदीय क्षेत्र है। क्षेत्रफल के आधार पर लगभग 58 हजार स्केयर किलोमीटर बाड़मेर, जैसलमेर मेरा संसदीय क्षेत्र है।

मेरा संसदीय क्षेत्र बाड़मेर-जैसलमेर सबसे मरुस्थल प्रभावी क्षेत्रों में से है। राजस्थान के अलावा मरुस्थल में जो क्षेत्र हैं उसमें गुजरात, पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र है जो कि मरुस्थल हॉट डैजर्ट के नाम से कहा जाता है। उस मरुस्थल के अंदर हॉट डैजर्ट के अलावा कोल्ड डैजर्ट भी हैं। हॉट डैजर्ट रेतीले भूभाग से सटा

हुआ क्षेत्र है और कोल्ड डैजर्ट बर्फीला इलाका है। मैं सिर्फ रेतीले विषम परिस्थितियों के इलाके की ही बात नहीं कर रहा हूं। जो बर्फीला इलाका है, उसके लिए भी सदन से निवेदन करता हूं कि उसकी ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। वह क्षेत्र लाल सिंह जी जैसे बता रहे हैं कि वह जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, हिमाचल का क्षेत्र है वह भी मरुस्थलीय क्षेत्र जैसे ही कोल्ड डैजर्ट के नाम से जाना जाता है।...(व्यवधान) जम्मू कश्मीर हमारा सिरमौर है, हमारे देश का ताज है।

इस देश में हरित क्रांति की बातें हो रही हैं। मैं संसद के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अंदर सबसे बड़ा योगदान किसी इलाके का अगर हो सकता है तो वह इस रेगिस्तान के इलाके का है। इसके अंदर अगर हम लोग सिंचाई के प्रावधान करें, राज्य सरकारों की तरफ से, केन्द्र सरकार की तरफ से इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट भी इस इलाके के अंदर आया है। नर्मदा नहर परियोजना भी इस रेगिस्तान के अंदर आई है। इन परियोजनाओं से अगर हम लोग सिंचाई का अवसर उन किसानों को दें तो सबसे ज्यादा हरित क्रांति के अंदर अगर योगदान की संभावना है तो वह इसी इलाके के अंदर है। इस इलाके के अंदर पिछड़ापन सिर्फ सिंचाई का अवसर और पेयजल के अवसर नहीं मिलने के कारण हैं। आज हम लोग इतना विकास कर गये हैं कि उस विकास के अंदर उन किसानों के लिए, उन मजदूरों के लिए, उस इलाके के लिए अगर सिंचाई की व्यवस्था हम लोग करें तो भी उस इलाके का काफी भला हो सकता है।

इस देश में कई जगह बाढ़ की बहुत विकट समस्या है। इस सदन में ही अनेकों बार बिहार के प्राकृतिक हालात के बारे में बहुत गंभीरता से चर्चा की गई है और सभी पक्षों द्वारा यह चिंता ज़ाहिर की गई है कि वहां के किसान बाढ़ से जो परेशानी झेलते हैं, उनको ही इस परेशानी का पता है। हम लोग इस पीड़ा को नहीं बता सकते क्योंकि हम लोगों को इस बाढ़ का क्या प्रारूप रहता है, उससे हम लोग अवगत नहीं हैं। मरुस्थल के अंदर जो बाशिन्दे हैं, उन लोगों की क्या पीड़ा है, उस पीड़ा का भी आप ऐसे ही एहसास करो और इस विकास के अंदर हम लोगों की भी भागादारी रखो। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि 1975 में राजस्थान सरकार ने इस मरुस्थल की स्थिति का आकलन करने के लिए स्वर्गीय पूनमचंद बिश्नोई जी की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बनाई और उसके बाद केन्द्र सरकार ने 1976 में स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन किया। उन दोनों रिपोर्ट्स में मरुस्थलीय भूभाग का काफी गहनता से अध्ययन किया गया। आज से 30-40 साल पहले हम लोगों के पास इतने संसाधन नहीं थे, इसलिए उन योजनाओं का क्रियान्वयन करते हुए हम लोग उस मरुस्थलीय इलाके को विकास की दिशा में आगे नहीं ले जा सके। आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है। इसलिए आज उन समस्याओं का समाधान जो उन रिपोर्ट्स में बताया गया है, उनके क्रियान्वयन करने का आज समय आ गया है, यही बात मैं सदन के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहता

हूं। दुर्भाग्य से इतने बड़े भूभाग के लिए किसी भी प्रकार का अध्ययन नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार की कमेटी नहीं बन रही है और किसी भी प्रकार का सोच विचार उस इलाके के अंदर नहीं जा रहा है। मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों पर भी आप ध्यान देने की कृपा करें।

मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं -

या खुदा रेत के सहरे को समुंदर कर दे
या तरसती हुई आंखों को पत्थर कर दे।

मेरे पड़ोस के लोकसभा क्षेत्र से अर्जुन राम जी हैं। वे बता रहे थे कि बिहार से बहुत आईएएस आते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि इनके फलने फूलने और विकसित होने के लिए प्राकृतिक तौर पर संसाधन थे। हम लोगों की पीड़ा और स्थिति को देखें, दुर्भाग्य से ये संसाधन हमारे पास नहीं हैं। हमारे बच्चे दो समय की रोटी के संघर्ष वाली परिस्थितियों से आते हैं। आप उन्हीं परिस्थितियों से आए हैं और उन्हीं परिस्थितियों से मैं भी आया हूं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मरुस्थलीय परिस्थितियों की अब भी वही स्थिति है। हमारे यहां अगर मरुस्थल में किसी को दो वक्त इज्जत की रोटी मिल जाए तो उसे सफलता का सबसे बड़ा पैमाना पारंपरिक तौर पर माना जाता है। हम लोगों के लिए वही विकास, सफलता के पैमाने थे। आज जरूर भौगोलिक तौर पर भौतिकवाद बहुत तेजी से बढ़ता आ रहा है लेकिन मरुस्थलीय इलाके में वही स्थिति आज भी है कि दो टाइम की रोटी, स्वच्छ पीने के पानी, तन पर कपड़े और मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा के बिना जीवन क्या होता है, वहां जाकर आप देखिए, यह मेरा निवेदन है। यहां प्राकृतिक तौर पर इतना पिछड़ापन है। यहां विकास की बहुत चर्चा होती है लेकिन विकास से यहां किसी प्रकार का जुड़ाव नहीं है। आज यहां पेयजल की बहुत विकराल स्थिति है। मेरे संसदीय क्षेत्र में 58,000 स्कवेयर किलोमीटर में कोई प्राकृतिक साधन, डैम और नदी नहीं है। यहां कहने के लिए एक नदी जरूर है, लूनी नदी, लेकिन इस नदी में पिछले 20 सालों से पानी ही नहीं आया है। आज मैं यहां अगर प्रश्न पूछूं तो यह जरूर कहा जाता है कि वहां लूनी नदी है लेकिन इसमें 20 साल से पानी नहीं आया है। वहां इस प्रकार की प्राकृतिक स्थितियां हैं।

मुझे गर्व है कि मैं इस इलाके से आता हूं, इस इलाके से आने वाला हर नागरिक, हर इंसान देश के विकास में भागीदारी रखता है। यहां का हर नागरिक पाकिस्तान की सीमाओं के ऊपर बड़ी मुस्तैदी से राष्ट्रीय सुरक्षा में भागीदारी करता है और यह जानना चाहता है कि देश के विकास में भागीदारी कैसे हो? मैं यही जानने के लिए इस सदन में खड़ा हुआ हूं।

MR. CHAIRMAN : There is a time-limit. We have also to take other Members to participate in this discussion.

श्री हरीश चौधरी : मैं किसी से तुलना नहीं करना चाहता हूं लेकिन इससे पहले बिहार की चर्चा के लिए एक घंटा मिला था। अगर आपका हुक्म नहीं होगा तो मैं एक सेंकिण्ड भी नहीं बोलूंगा और बैठ जाऊंगा। लेकिन प्राइवेट मैम्बर रिजर्वेशन की परंपरा रही है, अगर आप उसे तोड़ना चाहते हैं तो मैं अभी बैठ जाऊंगा।

MR. CHAIRMAN: No, that is not the case. The time allotted for this discussion is two hours. You are the initiator of the discussion. You can allow other Members also to participate in this discussion and support it. Then only it will be helpful.

श्री हरीश चौधरी : सभापति महोदय, हम सबने बिहार की समस्या को तीन दिन तक बहुत गंभीरता से सुना है। हम आपसे अपनी तकलीफ के बारे में बताने के लिए आग्रह करते हैं। अगर आप संसदीय प्रणाली और परंपरा को निभाते हुए कहेंगे तो मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा।

MR. CHAIRMAN: You can continue up to 6 o'clock.

श्री हरीश चौधरी : आपने प्राइवेट मैम्बर रिजर्वेशन में भोला सिंह जी को अलाऊ किया गया था।

MR. CHAIRMAN: You speak.

श्री हरीश चौधरी : महोदय, मेरा सुझाव है कि डेजर्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनानी चाहिए। मरुस्थल के लिए योजना बनाकर समग्र विकास की सोच के साथ काम किया जाना चाहिए। मेरा सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से यह अनुरोध है। डेटर्ज डैवलपमैन्ट प्रोग्राम के तहत सात राज्यों में 1995-96 से 2010 तक 3004 करोड़ रुपये जारी किये गये। लेकिन मुझे बड़े दुख और तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि धरातल पर उन योजनाओं की धनराशि का क्या हश्र हो रहा है। आज इस हश्र की पीड़ा को यह संसद समझे, चूंकि इतनी बड़ी योजनाओं और इतनी बड़ी धनराशि के बावजूद भी नीचे तक उसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, यह उसकी स्थिति का आकलन करे। हम सिर्फ योजनाएं बना दें और उन योजनाओं को किसी और व्यवस्था के हवाले छोड़ दें और उन योजनाओं का फायदा जमीनी स्तर पर गांवों के गरीब किसानों को नहीं मिले तो स्थिति बहुत चिंतनीय हो जाती है। लेकिन आज यही हो रहा है, योजनाएं तो बहुत बड़ी-बड़ी बन रही हैं, परंतु उन योजनाओं की धरातल पर क्या स्थिति है।

महोदय, मेरे जेहन में इस समय एक बात और आती है कि आजादी के बाद जहां पिछले 20-25 सालों में हमारी लोकतंत्रीय परम्परा और लोकतंत्र की मजबूती के कारण जनप्रतिनिधि की जो आवाज और गवर्नेन्स में भागीदारी और भूमिका रहती थी, वह दुर्भाग्य से पिछले कई दशकों से नहीं रह पा रही है। आज जनप्रतिनिधियों को योजनाएं बनाने, बल्कि मैं कहता हूं कि बिल, कानून और नियम बनाने में जनप्रतिनिधि

की भूमिका धीरे-धीरे नगण्य होती जा रही है। उस भूमिका को हम लोग अन्य हाथों में दे रहे हैं। मुझे इस संसद में आए हुए 26 महीने हो गये हैं। मेरा अनुभव बहुत कम है, परंतु मैं यह अहसास नहीं कर पा रहूं कि योजना कैसे बने, बिल कैसे बने और उसके क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधि की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कैसी व्यवस्था हो, वह दुर्भाग्य से इस देश में कहीं भी नहीं हो रही है। आज हम लोगों को यह समझना और सोचना चाहिए कि बिल बनाने, योजना बनाने और उसके क्रियान्वयन में यदि जनप्रतिनिधियों की भागीदारी नहीं होगी तो देश में ऐसा ही वातावरण रहेगा और जो अविश्वास जनप्रतिनिधि भुगत रहे हैं, अविश्वास किसका अविश्वास, आज जनप्रतिनिधियों के पास कुछ भी नहीं है। इस लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों के पास वोट की ताकत है और वोट की ताकत से ही हम लोग यहां आकर बैठते हैं। परंतु किसी बिल में, किसी योजना में या उसके क्रियान्वयन में क्या हम लोगों की भागीदारी है? इस सदन के माध्यम से मैं अपनी यह पीड़ा जाहिर करना चाहता हूं। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं, मैं आगे की बैंचों पर बैठे हुए माननीय सदस्यों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पीछे की बैंचों पर बैठे हुए सभी जनप्रतिनिधियों की यही स्थिति है। यह स्थिति सिर्फ इस संसद में ही नहीं है, बल्कि विधान सभाओं और ग्राम पंचायतों में भी यही स्थिति है। आज हमारे यहां ऐसी व्यवस्था है।

महोदय, पहले हमारे हिंदुस्तान के किसान...(व्यवधान) मैं राजनीतिक तौर पर नहीं कहना चाहता। पहले हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, ग्रामीण और देश के लोग यह मानते थे कि हिंदुस्तान गरीब है। वे इस विकास में अपनी भागीदारी नहीं देखते हैं। परंतु पिछले कुछ समय से हम एक विकसित हिंदुस्तान देख रहे हैं और इस विकसित हिंदुस्तान में वह अपनी भागीदारी नहीं देख पा रहा है। यह आज हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आज हमारे यहां से बहुत बड़ी-बड़ी योजनाएं बनती हैं। आज आई.डब्ल्यू.एम.पी. की योजना के बारे में मंत्री महोदय बता रहे कि यह हम लोगों के लिए बनी है। किसान क्रेडिट कार्ड की योजना यहां से बनती है। आज किसान क्रेडिट कार्ड की जो स्थिति मरूस्थल के किसानों के बीच है, वह मैंने इस संसद में बताई है, परंतु इसके बावजूद भी किसानों की राहत के लिए कुछ काम नहीं हुआ है, यह मुझे बहुत दुख के साथ इस संसद में कहना पड़ रहा है।

महोदय, जो आईडब्ल्यूएमपी की स्कीम बनी है, उस स्कीम का हश्र यह है कि पिछले साल की स्कीम का डीपीआर भी आज तक नहीं बना है। रेगिस्तान के लिए जो स्कीमें बनाकर लागू की गई हैं, उनकी धरातल पर क्या स्थिति है, आज वहां का आदमी जयपुर तक भी नहीं पहुंच सकता है। आज दिल्ली में आकर अपनी व्यथा का बखान करने की उसके पास ताकत नहीं है। हमारे पास रेलवे की भी उचित

व्यवस्था नहीं है। मेरे पूरे संसदीय क्षेत्र के 58 हजार स्क्वायर किलोमीटर में बहुत सीमित इलाका है, जिसमें रेल जा सकती है। मैं केन्द्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

18.00 hrs.

कुछ लोग अपने सीमित ज्ञान के कारण यह राय रखते हैं कि मरूस्थल की भूमि में विकास नहीं हो सकता है, वह अनुपजाऊ जमीन है। हम लोग पड़ोस के जिलों के अंदर जो देख रहे हैं, राजस्थान के अंदर गंगानगर ओर हनुमानगढ़ के अंदर यही रेतीली जमीन थी, उसके अंदर सिंचाई की व्यवस्था कराई गई तो आज वही जमीन बहुत उपजाऊ हो गई है। पंजाब और हरियाणा के अंदर भी यही स्थिति थी। जब वहां सिंचाई की व्यवस्था हुई तो वहां की जमीन भी सिंचित और उपजाऊ हो गई। मैं संसद में उपजाऊ और अनुपजाऊ जमीन का जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि अब लैण्ड एक्युज़ीशन बिल आ रहा है। उसके अंदर उपजाऊ और अनउपजाऊ जमीन का भी जिक्र होगा। जो मरूस्थली इलाका है, वहां की जमीन अनुपजाऊ क्यों है, वह भी मैं इस संसद के माध्यम से इस देश को बताना चाहता हूँ।

MR. CHAIRMAN : It is six o'clock now, so you can continue your speech next time.

If the hon. Members agree, we will take up 'Zero Hour' now.

श्री गणेश सिंह (सतना): महोदय, यह विषय मध्यप्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित है। आज हमारे प्रदेश में कुल 3,827 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनमें 2,393 किलोमीटर की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। आज सुबह दस बजे मध्यप्रदेश के राज्य सभा और लोक सभा के सभी सांसादों ने श्रीमती सुषमा स्वराज जी के नेतृत्व में गांधी जी प्रतिमा के सामने सत्याग्रह कर भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी से इस बात का निवेदन करते रहे हैं कि मध्य प्रदेश के दस राष्ट्रीय राजमार्ग जो पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, उनके सुधार के लिए हमें पैसा दिया जाए और यदि पैसा नहीं दे सकते हैं तो उनको डिनोटिफाई कर के राज्य सरकार को अधिकार दिया जाए कि वे उन सड़कों की मरम्मत कर सकें। उनको नए तरीके से बनाने का काम कर सकें। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत सरकार ने उन सड़को सुधारने के लिए अभी तक न तो पैसा दिया है और न ही उन सड़को को बनाने के लिए राज्य सरकार को देने का काम किया है। दस राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनमें एनएच-3 जो 517 किलोमीटर खराब है, एनएच-7 जो 300 किलोमीटर खराब है, एनएच-12 जो 290 किलोमीटर खराब है, एनएच-12ए जो 189 किलोमीटर खराब है, एनएच-69 जो 277 किलोमीटर खराब है, एनएच-86 जो 186 किलोमीटर खराब है एवं एनएच-86ए जो 119 किलोमीटर खराब हैं, उनकी सड़कें पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग किसी भी राज्य के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर वे इसी तरह से खराब रहेंगे, तो उससे एक तरफ जहाँ केंद्र सरकार की छवि खराब हो रही है वहीं राज्य सरकार के विकास का काम भी रूक रहा है। मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग है कि उन सड़को की मरम्मत के लिए और उनके पुनर्निमाण के लिए जो धनराशि मांगी गई है उसको दिया जाए।

MR. CHAIRMAN : The hon. Members Shri Rakesh Singh, Shri K.D. Deshmukh and Shri Ashok Argal have associated themselves with the matter raised by Shri Ganesh Singh.

श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र सुपौल जो नेपाल के तराई एवं कोसी नदी की मांद में बसा है, उसके जनिहत की समस्या को उठाना चाहता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र में व्यवसायिक बैंक की बहुत कमी है। इस संदर्भ में पूर्व में भी 26 अगस्त 2009 एवं 9 नवम्बर 2010 को नियम 377 एवं शून्य काल के तहत माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया गया था। निर्मली प्रखण्ड के कुणौली बाजार एवं त्रिवेणीगंज के जदिया में भी व्यवसायिक बैंक खोलने का आग्रह किया गया था। किंतु माननीय वित्त राज्यमंत्री जी ने 24 जनवरी 2011

को पत्र के माध्यम से यह हवाला देते हुए बैंक खोलने से मना कर दिया था कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार वहां की आबादी मात्र दस हजार है।

महोदय, वर्ष 2001 के बाद जो जनगणना हुई है, उसमें उन जगहों की आबादी लाखों में है। जहां बैंक खोलने हैं, वहां आबादी बहुत बढ़ गयी है। साथ ही साथ वहां थाना, ब्लांक, कॉलेज एवं वहां पर एस.एस.बी. कैम्प भी है। ईस्ट-वेस्ट कॉरीडार बनने के चलते वहां पर गैमन इंडिया का भी बहुत बड़ा व्यावसायिक प्रतिष्ठान बना हुआ है। वहां प्रतिदिन करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है। वित्त मंत्री जी ने बजट पेश करते समय एक हजार की आबादी पर बैंक खोलने की बात कही थी, उनकी तरफ से यह आश्वासन भी दिया गया था।

अतः मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र व्यावसायिक बैंक जदिया और कुणौली में खोलने का आदेश निर्गत करें ताकि वहां पर लोगों को सुविधा मिल सके।

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): महोदय, भारत सरकार के द्वारा मिड डे मील स्कीम के लिए एक प्रोग्राम वर्ष 2009 में बनाया गया था। उस प्रोग्राम के मुताबिक स्कूल में जो कुक है, जो स्कूल में खाना बनाती है, उन लोगों को एक हजार रूपये महीना ऑनरेरियम देने की बात थी। साथ ही साथ जितनी भी किचन हैं, स्टोर हैं, उन्हें बनाने के लिए मदद देंगे, भारत सरकार ने यह प्रस्ताव पारित करके पूरे द्वीप समूह प्रशासन को दिया था। लेकिन दुःख की बात है कि वर्ष 2009 का प्रोग्राम आज तक अंडमान के स्कूलों में शुरू नहीं हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में करीब 311 स्कूल्स हैं। इन स्कूलों में 760 कुक कम हैल्पर काम कर रहे हैं। जिन्हें महीने में एक हजार रूपये मिलने थे, करीब-करीब 20 महीने से वह ऑनरेरियम नहीं मिला है, मतलब कुल मिलाकर डेढ़ करोड़ रूपये का ऑनरेरियम उन्हें नहीं मिला है। इसीलिए अण्णा हजारे जी की याद आती है। अण्णा हजारे जी का जन लोकपाल बिल होने से शायद अंडमान के कुक कम हैल्पर को ऑनरेरियम मिल जाता। इसके साथ-साथ मैं मांग करूंगा कि उस प्रोग्राम के मुताबिक स्कूलों में किचन कम स्टोर बने, खाना अच्छा बने, ऊपर से पानी टपककर खाने में न गिरे, खाना हाइजेनिक बने, खाना साफ बने। यह स्कीम तो वर्ष 2009 में बनायी गयी, लेकिन द्वीप समूह में आज तक एक भी स्कूल में किचन नहीं बनी और स्टोर भी नहीं बना। आज अण्णा हजारे जी की बात मुझे बार-बार याद आती है। राहुल गांधी जी आज चिल्ला-चिल्ला कर बोल रहे थे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत सरकार के अन्तर्गत है तो वह ऐसे ही नहीं है। अण्णा हजारे जी का जन लोकपाल बिल होने से कोई न कोई सिटीजन चार्टर में लोकपाल को जगाता, लोकायुक्त को जगाता और अपने अधिकार की मांग करता। ऑनरेरियम में डेढ़ करोड़ रूपया खा गये, लेकिन उस खाना बनाने वाली महिला को उसका ऑनरेरियम नहीं

मिला। मैं भारत सरकार से मांग करूंगा कि कुक कम हैल्पर का जो ऑनरेरियम एक हजार रूपये महीना है, वर्ष 2009 से आज तक उनका जो ऑनरेरियम बनता है, वह ऑनरेरियम तुरन्त उन्हें दिया जाये। मेरी आखिरी मांग भी उसी से सम्बन्धित है। करीब 250 ऐसे स्कूल्स हैं, जहां किचन बननी है, जहां स्टोर बनाना है, मेरी मांग है कि भारत सरकार तुरन्त इसके लिए राशि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दे। अपनी कथनी और करनी में इसे दिखाये तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आगे बढ़ेगा नहीं तो अण्णा हजारे का स्लोगन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए सही होगा।

श्री के.डी. देशमुख (बालाघाट): महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मैं मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिले बालाघाट से आता हूं। बालाघाट जिला भारत के अति पिछड़े जिलों में आता है। वर्ष 1996-97 में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अन्तर्गत गोंदिया से जबलपुर तक नेरोगेज से ब्राडगेज रेलवे लाइन की स्वीकृति रेल मंत्रालय द्वारा दी गयी थी। 15 वर्षों में इस ब्राडगेज का मात्र गोंदिया से बालाघाट तक का कार्य सम्पन्न हुआ है। बालाघाट से जबलपुर ब्राडगेज परिवर्तन का कार्य आज भी आधा-अधूरा पड़ा हुआ है। इस मार्ग पर अभी तक 500 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने वन्य प्राणियों को पेंच अभयारण्य से कान्हा अभयारण्य में आवागमन में बाधा उत्पन्न होने की आशंका से रेलवे कार्य रोक दिया है जिसे दो वर्ष हो चुके हैं। रेलवे मंत्रालय वन्य प्राणियों के आवागमन में उत्पन्न बाधाओं को दूर करने के लिए तैयार है तथा वन एवं पर्यावरण विभाग की सभी शर्तें मानने को तैयार है। वन्य प्राणियों को आवागमन में बाधा न हो, इस बाबत विकल्प का प्रस्ताव वन और पर्यावरण मंत्रालय को भेजा जा चुका है परंतु दुख है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय रेलवे मंत्रालय को निर्माण कार्य की स्वीकृति देने में अनावश्यक विलंब कर रहा है जिससे मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की जनता में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो चुका है। दो राज्यों को जोड़ने वाली रेलवे लाइन को शीघ्र पूरा करना अति आवश्यक है। अतः मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जी से मांग करता हूँ कि रेलवे को निर्माण कार्य प्रारंभ करने की अविलंब अनुमति देने का कष्ट करें।

सभापति महोदय : श्री राकेश सिंह का नाम श्री के.डी.देशमुख द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध किया जाता है।

श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली): माननीय सभापति जी, मैं एक अहम मुद्दे पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे क्षेत्र अमरेली में आज़ादी के 67 साल बाद भी सेन्ट्रल स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं है। 2011 की जनगणना के हिसाब से मेरे क्षेत्र अमरेली ज़िले में आज 17 लाख से ज्यादा की आबादी है। इनमें

से छः साल से कम उम्र वाले बच्चे ढाई लाख के आस-पास हैं। उनको पढ़ाने के लिए वहाँ कोई सैन्ट्रल स्कूल की व्यवस्था नहीं है। दो लाख बच्चों की शिक्षा के लिए वहाँ कोई सेन्ट्रल स्कूल नहीं होना बहुत ही दुख का विषय है। सेन्ट्रल स्कूल नहीं होने के कारण ऐसे छोटे मासूमों को अपनी अच्छी पढ़ाई के लिए माता-पिता को छोड़कर दूसरे जिले या प्रदेश में जाना पड़ता है और पढ़ाई करनी पड़ती है। छोटी उम्र में उनको माता-पिता का साथ छोड़ना पड़ता है और इस तरह से नन्हे-मुन्ने बच्चे अपनी मासूमियत गँवा देते हैं और लोगों को भी अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए होस्टल इत्यादि में बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। इस प्रकार उनकी पढ़ाई काफी खर्चीली होती है। हमें हर साल जो दो पास मिलते हैं, वे भी हमारे किसी काम के नहीं हैं क्योंकि वहाँ सेन्ट्रल स्कूल ही नहीं हैं तो वे पास किसी काम के नहीं हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में जल्द से जल्द सेन्ट्रल स्कूल खोला जाए और इन बच्चों को ध्यान में रखकर जल्द से जल्द वहाँ सेन्ट्रल स्कूल की स्थापना करने की कृपा करें।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूँगा कि जिन-जिन क्षेत्रों में सेन्ट्रल स्कूल नहीं हैं, उन बच्चों के साथ केन्द्र की सरकार अन्याय और खिलवाड़ करना बंद कर दे और बच्चों के भविष्य के लिए जल्दी से जल्दी सेन्ट्रल स्कूल खोला जाए और उनका ध्यान रखा जाए।

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बहुत ही अविलंबनीय लोक महत्व का मामला इस सदन में उठा रहा हूँ। पूरे देश में आज जो समस्या है जिससे पूरा देश जूझ रहा है, वह भ्रष्टाचार की समस्या है लेकिन इससे भी बड़ी समस्या इस देश में पढ़े-लिखे नौजवानों की बेरोज़गारी की समस्या है। आज आप सड़कों पर जो देख रहे हैं, वह पढ़ा-लिखा नौजवान है। बिना पढ़े-लिखे नौजवान के लिए तो हमने मनरेगा जैसी योजनाएँ बनाई हैं लेकिन पढ़े-लिखे नौजवानों के हाथ में काम देने के लिए हमारे पास कोई योजना नहीं है।

आज़ादी के बाद पूरे देश में बड़ी-बड़ी मिलों की स्थापना की गई थी। मैं यह कहना नहीं चाहता हूं कि किसके कारण ऐसा हुआ। लोग कहते हैं कि कालीदास जिस डाल पर बैठे थे, उसी को काट रहे थे। हमारे देश के मिल-कारखानों को ऐसी ही कालीदासों ने बंद करने का काम किया है। जिसके कारण मजदूरों के परिवार सड़क पर आ गए हैं।

महोदय, उत्तर प्रदेश में कानपुर, जो कि बीआईसी, एनटीसी, लाल ईमली धारीवाल, जिसे सूती उद्योग का हब कहा जाता था, जो कि पूरे संसार में मशहूर था। जिसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था, वह मैनचेस्टर आज उत्तर प्रदेश के नक्शे में नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वहां जो बंद पड़ी मिलें हैं, जो कर्मचारी वहां आज सड़क पर घूम रहे हैं, उनके बच्चे भूखे मरने की कगार पर हैं। नई

मिलें खोलने में तो बहुत पैसा लगेगा, उन्हीं बंद मिलों को अगर खोला जाए, चाहे वह एलगिन मिल नंबर एक हो, चाहे एलगिन मिल नंबर 2 हो, चाहे लाल इमलीधारीवाल हो, ऐसी मिलों को अगर भारत सरकार थोड़ा पैसा दे दे, तो जो कर्मचारी आज बेरोजगार है, जो हड़ताल पर हैं, उन्हें रोजगार मिलेगा। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और कपड़ा मंत्रालय से मांग करना चाहता हूं कि 11 एनटीसी मिलें खुलनी हैं। मेरी मांग है कि कानपुर में भी एक एनटीसी मिल और दूसरी एनटीसी मिल रायबरेली में स्थापना की जाए, ताकि नौजवानों को नौकरी मिल सके और बेरोजगारी की समस्या से निजात मिल सके।

श्री श्रीपाद येसो नाईक (उत्तर गोवा): सभापति महोदय, गोवा सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों पर हो रहे अत्याचार से उत्पन्न गंभीर स्थिति के बारे में मैं सदन को बताना चाहता हूं। गोवा में 12 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ था। आठ साल से अनुसूचित जनजाति के संगठन, जिसका नाम यूनाइटेड ट्राइबल एसोसिएशन है, अपने अधिकारों के खातिर हर दिन लड़ रहा था। गोवा की सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। संविधान ने उन्हें जो अधिकार दिए हैं, इसके लिए उन्होंने विधानसभा पर धरना और जनसभा सब कुछ करके राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किया, लेकिन राज्य सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। इसी आंदोलन के तहत ऊटा ने उनकी मांग मनवाने के लिए डेड लाइन भी दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। इसके बाद ऊटा ने अपना आंदोलन तीव्र कर लिया। गोवा के अनुसूचित जनजाति के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने राज्य सरकार को दस दिनों की मोहलत दी और नोटिस दे कर कहा कि अगर दस दिनों में हमारी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो हम रास्ता रोको बड़ा आंदोलन करेंगे। दसवें दिन 25 मई, 2011 को ऊटा ने रास्ता रोको आंदोलन किया। शांति से आंदोलन चल रहा था और कोई भी दुर्घटना नहीं घटी थी। जिला अधिकारी के जरिए सरकार के साथ बातचीत हो रही थी और सरकार ने उनकी मांगें पूरी करने का आश्वासन दे दिया था। उनमें से 90 प्रतिशत लोग जब अपने घर वापस जा रहे थे, तब उन पर सरकार की ओर से लाठीचार्ज किया गया, जिसका कोई कारण नहीं था। इस लाठीचार्ज में बहुत से कार्यकर्ता घायल हो गए और राज्य सरकार ने उस जिलाधिकारी को सस्पैंड कर दिया। उसी समय ...* ऊटा के अध्यक्ष के दो स्टोरेज फैक्टरियां थीं, उनको आग लगा दी। जिसमें लाखों रुपए का काजू पड़ा हुआ था। उसको आग लगा दी गयी। इसके पहले उसी वक्त ... * ने एक विधायक को घेर लिया और उसे आग में डालने का प्रयास किया।

* Not recorded

MR. CHAIRMAN : You cannot make any allegation against anybody. No. That is not allowed. If there is any allegation, it will not go on record.

(Interruptions) ... *

श्री श्रीपाद येसो नाईक : इसके बाद कई पत्रकारों ने उन्हें बचा लिया, इसलिए वे बच गए। उसके बाद दो कार्यकर्त्ताओं को जिंदा आग में जला दिया। यह तो घटना है। मैं असत्य नहीं बोल रहा हूं।

MR. CHAIRMAN: No. I am not allowing that.

(Interruptions) ... *

श्री श्रीपाद येसो नाईक : ऐसा होते हुए भी मैं मांग करता हूं कि यह जो घटनाएं बढ़ी हैं, इसमें आपके माध्यम से दरख्वास्त करता हूं कि इसकी जांच करें और उनकी जो जायज मांगे हैं, इन्हें जो संविधान प्रदत्त अधिकार है, उसे पूरा करने के लिए बाध्य हो। यही मेरी विनती है।

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): I want to associate with this issue.

MR. CHAIRMAN: Yes. You are allowed.

SHRI NRIPENDRA NATH ROY (COOCH BEHAR): Thank you, Sir. The Government of India has proposed that a flyover will be erected in the historic Tin Bigha Corridor in the district of Cooch Behar and the Tin Bigha Corridor will remain open for 24 hours. It has also been decided that the Indians will move over the flyover and the people of Bangladesh will move under it.

I cannot understand why such harmful proposals relating to the protection of the hundreds of residents of India are considered very necessary and in some cases, very urgent. Is it not necessary to think of the protection and security of the residents of the areas?

This flyover and the opening up of the Corridor for 24 hours will raise the question of protection and security of the Indians. Above all, the sovereignty of India will be badly hampered. Erecting the flyover in the Tin Bigha Corridor and also keeping it open for 24 hours will be a drastic step of the decade; it will lead to many problems and it will be a blunder.

---

* Not recorded

So, I earnestly demand that the proposal for erecting the flyover in the Tin Bigha Corridor and keeping it open for 24 hours should immediately be withdrawn so far as the sovereignty of India and the security as also the protection of the Indian residents are concerned.

श्री ओम प्रकाश यादव (सिवान): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकृष्ट कराने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

महोदय, रेल बजट, 2010 में तत्कालीन रेल मंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी ने हमारे क्षेत्र में लार-रोड-मांझी रेल लाइन का प्रस्ताव लाया था। इस रेल खंड का निर्माण कराने के लिए सर्वे हो रहा है, लेकिन काम काफी धीमा है। दूसरी बात यह है कि यह जो रेलखंड है, उसमें हमारे क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोहागरा मंदिर है। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से मांग करता हूं कि इस रेल लाइन का निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराया जाए। इस रेल लाइन को लार-रोड से होते हुए सोहागरा और वहां से मांझी ले जाने का हम आपसे अनुरोध करते हैं।

श्री सज्जन वर्मा (देवास): माननीय सभापति जी, धन्यवाद। मैं संपूर्ण देश के संदर्भ में वह क्षेत्र, जो आज भी विकास की गति में पिछड़े हुए हैं, उन क्षेत्रों की बात यहां रखने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2010-11 और वर्ष 2011-12 के रेल बजट भाषण में तत्कालीन रेल मंत्री जी ने इस बात का उल्लेख किया था कि जो क्षेत्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हैं, जो विकास की गति में पिछड़े हैं और जो क्षेत्र नक्सलाइट इलाके कहलाते हैं, वहां पर बिना लाभ-हानि के आधार पर नई रेलवे लाइन बिछाने का काम अतिशीघ्र किया जाएगा। दुर्भाग्य के साथ मैं कहना चाहता हूं कि तत्कालीन रेल मंत्री जी ने ये शब्द अपने भाषण में कहे और महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इस तरह के शब्द कहे कि सरकार पिछड़े, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जो क्षेत्र हैं, उनमें नयी रेल लाइन बिछाएगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में दुख के साथ कहना चाहता हूं कि मेरा देवास लोक सभा क्षेत्र मध्य प्रदेश का है, जहां रामगंज मंडी झालावाड़, आगरा होते हुए उज्जैन एक रेलवे लाइन का सर्वे आज से आठ-नौ वर्ष पहले हुआ था। मैंने इसके लिए बार-बार लोक सभा में प्रश्न किया। माननीय मंत्री जी के यहां कहे हुए शब्द अलग हो जाते हैं। मुझे प्रश्नों का जवाब यह आता है कि इस रेलवे लाइन का सर्वे संपूर्ण हो गया है, लेकिन इस रेलवे लाइन के निर्माण में हानि परिलक्षित हो रही है, इसलिए यह रेलवे लाइन नहीं बिछाई जा सकती।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जो शब्द सरकार कहे, वे शब्द मिथ्या नहीं होने चाहिए और निश्चित ही वे इलाके, जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के नक्सलाइट प्रभावित हैं, वहां पर सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाने का काम किया जाना चाहिए। तभी जो विकसित क्षेत्र एवं अविकसित क्षेत्र हैं, उनकी असमानता और दूरी हम कम कर सकते हैं और इस तरह के सही निर्णय धरातल पर मूर्त रूप ले सकते हैं।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जो मैंने रेलवे लाइन के सर्वे की बात बताई, उसे संपूर्ण कराने की व्यवस्था करें। धन्यवाद।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): सभापति महोदय, आपके आदेश से मैं संसद, सरकार और देश के प्रबुद्ध नागरिकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि अतारांकित प्रश्न संख्या 2956, दिनांक 18-12-2009, प्रश्न संख्या 2717, दिनांक 10-8-2010, वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08, इन तीनों वित्तीय वर्षों के अंदर हिन्दुस्तान के जितने एनजीओ, स्वयंसेवी संगठन चलाने वाले हैं, उन्हें विदेश से 28879 करोड़ रुपए विदेशी धन प्राप्त हुआ है। उसमें दिल्ली में अकेले 5456 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है। भारत-नेपाल सीमा पर 1104 करोड़ और भारत-बंग्लादेश सीमा पर 1874 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है। 87 संगठनों के खिलाफ कार्यवाही की गई।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और गृह मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस संबंध में एक श्वेत-पत्र जारी करें, क्योंकि यह राष्ट्र की एकता, अखंडता, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा से संबंधित है। विदेशी धन इस अबाध गति से आएगा तो देश में बैठ कर जिसका धन खाएगा, उसका गीत गाएगा और हिन्दुस्तान के अंदर आंतरिक असुरक्षा को पैदा करके हिन्दुस्तान की स्थिति को कमजोर कर सकता है। इसलिए मैं सरकार से दो बातों की मांग करता हूं। पहली यह है कि सरकार श्वेत-पत्र जारी करे कि ये धन लेने वाले कौन हैं, किस देश से लाए हैं और जिस काम में लगाए हैं, उसमें उपयोग किए गए या नहीं? क्या उस धन से राष्ट्र विरोधी काम तो नहीं किए गए हैं? दूसरा, एक राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी संगठन बने, जो विदेशी धन के उपयोग की निगरानी करे और ऐसे संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करे। माननीय सदस्यों ने कहा कि लोकपाल विधेयक बन रहा है, सबसे पहले इसे शामिल किया जाए और लोकपाल के दायरे में रखा जाए, क्योंकि यह विदेशी धन से जुड़ा हुआ मामला है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing, except what Shri Gorakhnath Pandey says, will go on record.

(Interruptions) ... *

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members may be allowed to associate with the issue raised by Shri Hukmadeo Narayan Yadav:

1. Shri S.S. Ramasubbu
2. Shri Rajaram Pal
3. Dr. Sanjeev Ganesh Naik
4. Dr. Rajan Sushant
5. Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi
6. Shri Shripad Yesso Naik
7. Shri Ravindra Kumar Pandey
8. Shri Ramesh Bais
9. Shri P.K. Biju
10. Shri Rajendra Agrawal
11. Prof. Ramshankar
12. Shri Haribhau Jawale
13. Shri Arjun Ram Meghwal
14. Shri K.D. Deshmukh
15. Shrimati Rama Devi
16. Shri Ramen Deka
17. Shri Ghanshyam Anuragi

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): सभापति महोदय, आपने मुझे एक अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मेरा लोक सभा क्षेत्र भदोही है। वहां और उसके साथ-साथ अगल-बगल के जनपदों में हर वर्ष गंगा एवं अन्य नदियों की वजह से बाढ़ आती है और कटान से किसानों की मेहनत से उगाई गई फसलों का

* Not recorded

नुकसान हो रहा है। हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है, सैंकड़ों एकड़ जमीन कटान से प्रभावित होती है, जिसके कारण किसान भुखमरी एवं दयनीय स्थिति में पहुंच जाते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भदोही लोक सभा क्षेत्र से मैं आता हूं। सन्त रविदास नगर (भदोही) पूरे देश में कालीन नगरी के रूप में जाना जाता रहा है। आज वह क्षेत्र कई संकटों से जूझ रहा है। एक तरफ तो कालीन का संकट है और दूसरी तरफ हमारे ही क्षेत्र में तीन विधानसभा क्षेत्र और इलाहाबाद से रिलेटिड हमारी विधान सभा है, जहां गंगा एवं वरुणा नदियों की बाढ़ की वजह से हजारों एकड़ जमीन हर वर्ष बर्बाद होती है और दूसरी तरफ गंगा के कटान से भी हमारा एक क्षेत्र कोनियाँ है, वह तीन तरफ से गंगा से घिरा हुआ है और उस क्षेत्र में कई ऐसे गांव हैं, जैसे छछुआ, भुर्रा, हरीरामपुर, मवैया व इटहरा आदि, उसके साथ-साथ औरई विधान सभा क्षेत्र में दर्जनों गांव हैं, जहां हर वर्ष कटान से सैंकड़ों एकड़ जमीन बर्बाद हो रही है। वहां तटबन्ध बनाने की आवश्यकता है। इस महत्वपूर्ण विषय पर पिछली बार भी कई बार हमने इस बात को सदन में उठाया है, माननीय मंत्री जी का भी ध्यान आकृष्ट किया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इसके पहले एक हरिहरपुर नाम का गांव पूर्ण रूप से गंगा में विलीन हो गया है। दर्जनों गांव आज कटान की स्थिति में हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वह क्षेत्र, जो कोनियाँ के नाम से जाना जाता है, जहां दर्जनों गांव कटान और गंगा नदी में विलीन होने की स्थिति में हैं, वहां तत्काल केन्द्रीय सर्वे कराकर अतिशीघ्र तटबन्ध बनाने की कार्रवाई की जाये, जिससे किसानों की बर्बादी, तबाही रोकी जा सके और हजारों एकड़ जमीन को बर्बाद होने से बचाया जा सके।

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार के द्वारा दिनांक 4 जून, 2010 को देश के सभी केंटोनमेंट बोड्र्स को मानद नगरपरिषद्, डीम्ड म्युनिसिपैलिटी का दर्जा देने का निर्णय लिया गया और राज्यों को उचित कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किये गये। इस निर्णय से केंटोनमेंट क्षेत्र में रहने वाली गरीब जनता को केन्द्र एवं राज्यों द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन राज्य सरकारों द्वारा इस पर उचित कार्रवाई नहीं होने से आज भी केंटोनमेंट में जनता विकास कार्यों से वंचित है। राज्य सरकार से उक्त निर्णय पर उचित कार्रवाई तुरन्त हो, यह सुनिश्चित किया जाये और साथ ही केंटोनमेंट बोर्ड को भी इस निर्णय पर कार्रवाई करने हेतु दिशा-निर्देश भेजने की आवश्यकता है।

इसी के साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि जब से देश आजाद हुआ, तब से इन केंटोनमेंट बोड्र्स में छोटे-छोटे गांवों में सिंगल स्टोरी बिल्डिंग्स थीं, उसमें एक परिवार रहता था, उनके दो बच्चे थे। अभी दो बच्चों के 10 बच्चे हो गये, घर गिरने को आ गये, लेकिन घर गिरने के बाद भी उनको एफ.एस.आई. नहीं

मिल रहा है। इस दृष्टिकोण से केंटोनमेंट में रहने वाले न दलित को लाभ मिलता है, न इन्दिरा आवास योजना का लाभ मिलता है, न संजय गांधी निर्माण योजना का लाभ मिलता है। इन केंटोनमेंट बोर्ड्स में जितनी भी केन्द्र सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं होता है, इसलिए तुरन्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है, इस प्रकार की मेरी मांग है।

सभापति महोदय : श्री राजेन्द्र अग्रवाल और प्रो. रामशंकर को श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी के साथ सम्बद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

प्रिंट मीडिया और इलैक्ट्रोनिक मीडिया, दो तरह के मीडिया हैं, लेकिन प्रिंट मीडिया के अखबार कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसके लिए भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक मजीठिया कमेटी बनाई थी। उसकी जो सिफारिशें हैं, वे लागू नहीं हो रही हैं। उसके बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूं। जो हाकर्स हैं, वे सुबह दो बजे उठकर अखबार बांटते हैं। प्रिंट मीडिया बहुत प्रभावी है और उसको बहुत रिकग्नीशन मिला हुआ है। उसको पत्रकारों की श्रेणी के रूप में प्लाट भी मिलते हैं और दूसरी सुविधायें भी मिलती हैं। अखबार किसी के घर में कैसे पहुंचता है? वह सिर्फ हॉकर के माध्यम से पहुंचता है। अस्सी परसेंट लोग हॉकर बीपीएल श्रेणी के होते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हॉकर रात को डेढ़ बजे उठता है और दो बजे अपनी साइकिल लेकर, जहां अखबार होता है, वहां पहुंचता है। मैं बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। मुझे हॉकर एसोशिएसन के सदस्य मिले। मुझे बताया गया कि महीने में एक हॉकर को एक कुत्ता काट लेता है। दो बजे या तीन बजे जब हॉकर कहीं जाता है, तो उसे कुत्ता काट लेता है। आजकल कुत्ते द्वारा काटने पर 16 इंजेक्शन तो नहीं लगते हैं, लेकिन पांच इंजेक्शन जरूर लगते हैं। एक इंजेक्शन चार सौ रूपए का आता है। अगर एक हॉकर को कुत्ते ने काटा तो उसके दो हजार रूपए महीने के इंजेक्शन में ही खर्च हो जाते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से श्रम और रोजगार मंत्रालय से कहना चाहता हूं कि मजेठिया कमेटी की सिफारिशें अभी तक क्यों नहीं लागू की गयीं? अगर आप उसको पत्रकार नहीं मान सकते हैं, तो उसे कर्मचारी मानिए और उसको मजेठिया कमेटी की सिफारिश के अनुसार लाभ पहुंचाइए। मैं आपके माध्यम सरकार को इस बात को कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : The following hon. Members associated themselves with the matter raised by Shri Arjun Ram Meghwal.

1. Shri K.D. Deshmukh
2. Shri Shripad Yesso Naik
3. Shri Rajendra Agrawal

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Sir, I would like to bring to the urgent attention of the House the matter regarding a serious mistake occurred in the Census 2011 Manual. In Page 68 of the English version (it repeats in the regional language versions too) of the "Instruction Manual for Updating of Abridged house lists and Filling up of the Household Schedule" - Section 6.125 states that a person can be classified as a cultivator or an agricultural labourer only on the basis of the crop grown. Growing of following crops is considered as cultivation. In clause (viii) they are named as - growing of Ganja, cinchona, opium as cultivation and the person is classified either as cultivator or agricultural labourer. Also clause 6.126 states that "The growing of plantation crops is not considered as agriculture. If a person is engaged in the growing of such crops she or he will not be considered as the cultivator or agricultural labourer but considered as other worker."

This will have serious implications, while illegal drugs such as ganja, cinchona, opium, etc. find a place in the official list of agricultural crops, farmers of plantation crops are excluded from being considered as farmers or agricultural labourers. In States like Kerala and Tamil Nadu which survive on plantation crops such as rubber, coconut, areca nut, tea, coffee, etc will bear the maximum brunt of this provision in this Manual and have to stay outside the purview of the Central Government's financial assistance. The move to exclude coconut, which is extensively used as part and parcel of daily life of Keralites from the list of plantation crops is doubtful and involves a negative regional bias. Recently, the State Bank of India has issued a circular to its Branches not to give loans for plantation of crops like cardamom, rubber, coconut, areca nut, tea and coffee.

Hence I would request you to direct the concerned officials to take immediate steps to make corrections in the Manual by removing ganja, cinchona, and opium from the list of crops and put farmers of the plantation crops such as rubber, coconut, areca nut, tea and coffee and include them in the list of farmers or agricultural labourers.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): सभापति महोदय, आज यह ज्वलंत मुद्दा है कि हमारे गांव क्षेत्र में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का आरंभ अप्रैल, 2005 में हुआ, तब यह लगा था कि अब गांव में अंधेरा छटेगा और गांव के बच्चों को पठन-पाठन की सुविधा मिलेगी। पर सदन को बताते हुए खेद हो रहा है कि सरकार अपने कुछ नेताओं के नाम पर वाहवाही लूटने हेतु गांव में बोर्ड लगा देती है और कुछ गांव में पोल भी गड़ गए हैं। परंतु इन गांवों की दलित बस्तियों में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। इस योजना से किसी टोले में बिजली देने की बात होती है, तो दूसरे टोले में बिजली देने की बात अगले साल के लिए की जाती है। इस योजना के अंतर्गत जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं, वह इतनी कम क्षमता व वजन के होते हैं। जिससे ये जल जाते हैं या चोरी हो जाते हैं। खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे संसदीय क्षेत्र, शिवहर में सरकारी आंकड़ों में 54 गांव, मेरे पड़ोस सीतामढ़ी में 245 गांव एवं पूर्वी चम्पारण जिले में 96 गांव ऐसे हैं जिनमें 11वीं योजना की शुरुआत तक बिजली नहीं थी। इन पर इस योजना के अंतर्गत उपरोक्त कार्य असंतोषजनक ढंग से हो रहा है। जिन गांवों में बिजली पहुंचाने की बात की जाती है उन गांवों के सभी टोले में बिजली नहीं दी जाती है। गांव के कुछ ही घरों में बिजली का कनेक्शन है उसकी भी आपूर्ति नहीं हो रही है। माननीय विद्युत मंत्री जी बताते हैं कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के कार्यों की निगरानी ग्रामीण विकास की तर्ज पर सांसद कर सकते हैं, परन्तु आज तक कोई एजेन्डा मेरे संसदीय क्षेत्र की निगरानी बैठक में नहीं रखा गया है और न ही जिला स्तर पर अलग से कोई बैठक की गई है। मैं सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर के गांव में बुनियादी आवश्यकता, बिजली को गांव तक पहुंचाने का कार्य, ग्रामीणों की सुविधा के उद्देश्य से चलाया जाए न कि सिर्फ नेताओं के प्रचार हेतु चलाया जाए। यह पूरे देश की समस्या है। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN : Shri Ghyanshyam Anuragi may be allowed to associate with the submissions of Smt. Rama Devi.

SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): Mr. Chairman, Sir, it is an important problem that has arisen in the recent months because of the prevailing prices of gold in the country. The prices of gold have increased. In the domestic

market the prices of gold have increased to the tune of Rs. 28,000 per ten gram. Our Government is importing huge quantities of gold, but on the contrary, its prices are increasing.

One of the major reasons contributing to the steep hike in prices of gold is the steep fall in global equity markets and the investors parking their investments in gold. Another reason is that the corrupt elements are stacking their unaccounted money in gold which has ultimately pushed up its demand and has resulted in the increase in its prices.

The gold metal is having a special significance in our tradition and culture, particularly in the Southern States where wearing of gold ornaments is considered sacred in the religious functions. Even poor people used to purchase at least a few grams of gold to knot in the *Mangal Sutra* of the brides in the marriages. However, due to this unprecedented hike in its prices, now they are very much worried about getting their daughters married. The hike in gold prices also leads to increasing crimes, like, theft, chain snatching, murder, burglary, robbery, etc. in the country.

Sir, keeping in view the above, I humbly urge upon the Central Government to take necessary steps to contain the increasing trend in the prices of gold and also crack down on the people who are stashing their black money in gold and to reduce its prices so as to facilitate the needy. Also, we should also have to find out new gold mines because there is a trend of law of diminishing returns in our gold mines and so we have to look for and trace new gold mines in our country. Another point is that some people are buying gold from the Jewellery Mart and they are not being given bills for the purchase. So, the Government should ensure that bill is given with the purchase of gold. It can avoid tax evasion. It will bring more revenue to the Government Exchequer.

श्री हरिभाऊ जावले (रावेर): धन्यवाद सभापति महोदय, मेरा रावेर संसदीय क्षेत्र जो महाराष्ट्र में आता है। इस क्षेत्र से गुजरात से अंकलेश्वर और मध्यप्रदेश से बुरहानपुर तक 380 किमी का राज्य महामार्ग क्रमांक-4 हैं। इस महामार्ग में बुरहानपुर, रावेर, यावल, चोपड़ा, शिरपुर, शहादा जैसे बड़े तहसील आते हैं। पूरी 380 किमी लंबाई में से 120 किमी लंबाई मेरे संसदीय क्षेत्र में है। गुजरात, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के खान्देश, विदर्भ तक इस महामार्ग से भारी रूप से वाहनों की यातायात चलती रहती है। यह महामार्ग आज बारिश और भारी वाहनों के यातायात से अत्यधिक क्षतिग्रस्त हुआ है। महाराष्ट्र शासन पर ढाई लाख करोड़ रुपये का कर्जा है जिसकी वजह से उस रास्ते की मरम्मत नहीं की जा सकती। मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार पूरे देश में राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राज मार्गों में परिवर्तित कर रही है। उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 4 को परिवर्तित किया जाए। इस राज्य महामार्ग में हर रोज कम से कम 35 से 40 हजार ट्रक आदि की आवाजाही रहती है। केला, गन्ना, कॉटन, अनाज जैसी कृषि उपज इस महामार्ग से होती है। इसी रास्ते पर पांच शक्कर मिलें, जिनिंग मिलें, बहुत से इंडस्ट्रियल एरियाज़, दो आर्डिनैंस फैक्ट्रियां हैं। इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र राज्य के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमैंट ने इस महामार्ग 4 को राष्ट्रीय महामार्ग में उन्नतीकरण करने हेतु 29.03.2010 को केन्द्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के पास प्रस्ताव भेजा है। अगर उस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो इस महामार्ग द्वारा पूरे परिसर का विकास होने में निश्चित रूप से गति मिलेगी।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जे कहना चाहता हूं कि यह मेरे संसदीय क्षेत्र का अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं तत्काल करने वाला काम है। इस महामार्ग को अपग्रेड करने के लिए मैं केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

SHRI KALIKESH NARAYAN SINGH DEO (BOLANGIR): Sir, I rise to speak about the impending severe drought condition which looms over the regions of Western Orissa and KBK of Orissa. This area is predominantly resided by the people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It has some of the lowest human development industries of the entire country. Now, in the month of June, there has been more than 50 per cent deficit rainfall. Even in the month of July, there has been deficit rainfall. In my recent visit to those areas and in particular the districts of Bolangir and Sonepur, I have found that more than 75 per cent drought conditions exist.

I would urge upon the Government through you to declare this area as a drought prone area and to grant a special package from the Centre for the help of the farmers of this area.

I would also urge on one more point. There has been a request from the State Government for a special package sanction of the KBK area to the tune of Rs. 4500 crore which has been pending with the Planning Commission for the last five years. I would request you to tell the Government of India to sanction this package as early as possible.

MR. CHAIRMAN: Shri Tathagata Satpathy is allowed to associate with the issue raised by Shri Kalikesh Narayan Singh Deo.

SHRI RAMEN DEKA (MANGALDOI): Mr. Chairman Sir, I thank you for giving me this opportunity to raise an important issue of public importance on floods in Assam.

Flood is a curse for the people of Assam and it is a regular feature. Both the Central Government and the State Government fail to combat floods and soil erosion in Assam caused by Brahmaputra and its tributaries in this era of scientific age. Our neighbour, China managed the sorrow of China's Hwang Ho River and utilised its water in irrigation and hydroelectric power and turned this yellow river as a source to boost economy.

The present flood in Assam has affected 12 districts and created havoc in those areas affecting approximately ten lakh people. The worst affected district is Dhamaji where four people died pathetically. But I am sorry to say that this incident was not catching the eyes of the national media whereas the same type of incident when occurred in Indore was widely focussed by both the national print and electronic media.

The present flood affected human lives, livestock, agricultural produce and land erosion. A number of bridges have been damaged by the flood and thousands of people are taking shelter in relief camps or on roads.

In view of this, I urge upon the Government through you, Sir, to take a long term policy to combat floods in Assam and demand a special package for this purpose.

MR. CHAIRMAN : Shri Lal Singh, you may give your point in writing to the concerned Minister.

CHAUDHARY LAL SINGH (UDHAMPUR): Sir, I have already given it to him but I would like to say something.

MR. CHAIRMAN: All right. What do you want to say?

CHAUDHARY LAL SINGH : Sir, there is great difficulty faced by the people of my area.

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी कांस्टीटूएंसी में हमारी बहन समान एक औरत को मेडिकल फैसीलिटी की सुविधा न होने से उसकी जो दुर्दशा हुई है, उस बारे में मैं आपको एक मिनट बताना चाहता हूं।

MR. CHAIRMAN : You can give that in writing. You already mentioned that. You can give that in writing to the hon. Minister. He will do that.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: You have already said whatever you wanted to say.

… (*Interruptions*)

चौधरी लाल सिंह : आपने हमारी बात नहीं सुनी।...(व्यवधान) सभी माननीय सदस्य बोलने के लिए कह रहे हैं। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Whatever you said has already been recorded.

… (*Interruptions*)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति महोदय, आप हम सबको एक-एक मिनट बोलने का मौका दीजिए। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: No, I am sorry. Whatever you want to say, you give that to the hon. Minister in writing.

… (*Interruptions*)

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): आप इन्हें एक मिनट बोलने दीजिए। ...(व्यवधान) आप मुझे लिखकर दे दीजिए। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You told that already.

… (*Interruptions*)

चौधरी लाल सिंह : मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं आपका ध्यान एक ऐसे मसले की ओर दिलाना चाहता हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। हर इंसान को मेडिकल फैसीलिटी की जरूरत होती है। This is in my constituency. There are 17 MLAs in that constituency. There are seven districts. मेरे एरिया का जो डिस्टैंस है, एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एक सब सैंटर के लिए डेढ़ सौ किलोमीटर का डिस्टैंस है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: What do you want?

चौधरी लाल सिंह : सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मेरी बहन समान एक औरत के बच्चा हुआ। उसका आधा बच्चा अंदर और आधा बच्चा बाहर रह गया। This is a shame for the people. मैं कहना चाहता हूं कि एक अस्पताल में 24 घंटे तक ऐसा होता रहा। फिर मेडिकल फैसीलिटी कहां रही? उसका बच्चा मर गया और वह औरत भी मर गयी। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: The Minister will take care of what you have said.

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन): सभापति महोदय, मैं चौधरी लाल सिंह जी के विषय के साथ अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet tomorrow, the 27th August, 2011 at 11 a.m.

18.52 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, August 27, 2011/Bhadra 5, 1933 (Saka).